

7.1 संवृद्धि की गति बढ़ाने तथा आय की असमानताओं और गरीबी को कम करने के लिए निर्धन और असुरक्षित वर्गों, सुविधा-रहित अंचलों और पिछड़े क्षेत्रों द्वारा सुरक्षित, सुलभ और वहनीय ऋण एवं अन्य वित्तीय सेवाओं तक पहुँच को एक पूर्व शर्त के रूप में स्वीकार किया गया है। समान अवसर निर्मित करने के माध्यम से एक सुसंचालित वित्तीय प्रणाली तक पहुँच आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से बहिष्कृत लोगों को अर्थव्यवस्था में बेहतर ढंग से एकीकृत होने और विकास में सक्रिय रूप से अंशदान करने तथा आर्थिक आघातों से स्वयं की रक्षा करने में समर्थ बनाती है। गरीबी हटाने के लिए एक अत्यावश्यक साधन के रूप में वित्त तक पहुँच के महत्व के संबंध में व्यापक अंतरराष्ट्रीय सहमति के बावजूद¹ यह अनुमान है कि वैश्विक तौर पर दो बिलियन से भी अधिक लोग वर्तमान में वित्तीय सेवाओं तक पहुँच से वंचित हैं (संयुक्त राष्ट्र, 2006ए)। अधिकांश विकासशील देशों में समाज के एक बड़े वर्ग, विशेष रूप से कम आय वाले लोगों की, औपचारिक और अर्ध-औपचारिक दोनों वित्तीय सेवाओं तक पहुँच बहुत कम है। इसके परिणामस्वरूप, उनमें से कई लोगों को आवश्यक रूप से वित्त के अपने स्वयं के अथवा अनौपचारिक स्रोतों पर सामान्यतः अनुचित रूप से अत्यधिक लागत पर निर्भर होना पड़ता है। अधिकांश न्यूनतम विकसित देशों (एलडीसी) में स्थिति बदतर है जहाँ 90 प्रतिशत से अधिक आबादी औपचारिक वित्तीय प्रणाली तक पहुँच से अपवर्जित है (संयुक्त राष्ट्र, 2006ए)।

7.2 विकास के सिद्धांत यह कहते हैं कि वित्तीय विकास एक 'आपूर्ति-प्रेरित' (वित्तीय विकास वृद्धि को प्रेरित करता है) अथवा एक 'माँग-अनुगामी' (वृद्धि वित्तीय उत्पादों के लिए माँग उत्पन्न करती है) माध्यम से वृद्धि के लिए समर्थक स्थितियाँ निर्मित करता है। पूर्व में विकास के सिद्धांतों ने परिकल्पना की कि विकास के प्रारंभिक चरणों में असमानता की वृद्धि अपरिहार्य है। इस विषय पर प्रारंभिक साहित्य ने एक ऐसी व्यापक वित्तीय प्रणाली को विकसित करने की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित किया जो बचत से धनसंग्रह करे तथा इस प्रकार जुटाई गई निधियों को व्यापक वैविध्यपूर्ण गतिविधियों की दिशा में सरणीबद्ध करे। विकास का आधुनिक सिद्धांत वित्त तक पहुँच के अभाव को निरंतर बनी हुई आय की असमानता एवं अपेक्षाकृत मंद वृद्धि के लिए जिम्मेदार एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखता है। अनुभवजन्य

साहित्य का एक बड़ा भाग यह संकेत करता है कि वित्तीय क्षेत्र को विकसित करने और वित्त तक पहुँच में सुधार लाने से आय की असमानता और गरीबी में कमी के साथ ही आर्थिक वृद्धि में गति आ सकती है। सम्मिलित करनेवाली वित्तीय प्रणाली के बिना, निर्धन व्यक्तियों और छोटे उद्यमों को वृद्धि के अवसरों का लाभ उठाने के लिए अपनी शिक्षा और उद्यमवृत्ति में निवेश करने के लिए अपनी स्वयं की सीमित बचत और आमदनी पर निर्भर रहना होगा (विश्व बैंक, 2008)।

7.3 एक अल्पविकसित वित्तीय प्रणाली में आबादी के कुछ खंड वित्तीय सेवाओं तक उचित प्रवेश प्राप्त करने में कठिनाई अनुभव करते हैं। इसके परिणामस्वरूप, उन्हें साहूकारों जैसे उच्च लागत वाले अनौपचारिक स्रोतों का सहारा लेना पड़ता है। यह अनुत्पादक उपभोग प्रयोजनों और चिकित्सा-व्यय जैसी अन्य आपाती आवश्यकताओं के लिए निम्न आय वाले परिवारों की छिट-पुट वित्तीय अपेक्षाओं के संबंध में विशेष रूप से सही है। अतः वृद्धि के लाभ उन्हीं के हाथों में केंद्रीकृत होने की प्रवृत्ति दर्शाते हैं जो औपचारिक वित्तीय प्रणाली द्वारा पहले ही लाभान्वित हो चुके हैं। दूसरी ओर, परिपक्व वित्तीय प्रणालियों में वित्तीय संस्थाएँ मूल्यांकन की तकनीकें एवं सूचना संग्रहण और आदान-प्रदान के तंत्र विकसित करती हैं जो उन्हें उन गतिविधियों या फर्मों अथवा व्यक्तियों को भी वित्त प्रदान करने में समर्थ बनाते हैं जो सीमांत में हैं तथा इसके द्वारा की वृद्धि को प्रेरित करनेवाले उनके उत्पादक कार्यकलापों को बढ़ावा दिया जाता है। तथापि, विकसित वित्तीय प्रणालियाँ भी निम्न आय वाले समूहों के उपभोग और अन्य आवश्यकताओं का वित्तपोषण करने में कठिनाइयों का सामना करती हैं। संभावित उद्यमियों और छोटे फर्मों को बाह्य वित्त की उपलब्धता नये प्रवेशकों को समर्थ बनाती है जिससे पदधारियों के लिए प्रतियोगिता बढ़ जाती है। इससे फिर उद्यमवृत्ति और उत्पादकता को प्रोत्साहन मिलता है।

7.4 सुरक्षित बचत, निर्धन और निम्न आय वाले परिवारों तथा व्यष्टि, छोटे और मध्यम-आकार वाले उद्यमों के लिए उपयुक्त रूप में अभिकल्पित ऋणों एवं उचित बीमा और भुगतान सेवाओं सहित समावेशक वित्त जनता को अपनी आय बढ़ाने, पूँजी अर्जित करने, जोखिम प्रबंध करने तथा गरीबी से बाहर निकल आने के लिए सहायता पहुँचा सकता है (संयुक्त राष्ट्र, 2006बी)। यह भलीभाँति स्वीकार

1 सहस्राब्दी विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यष्टि-वित्त के अत्यावश्यक महत्व को विश्व के शीर्ष-सम्मेलन, 2005 में एवं विकास के लिए वित्तपोषण संबंधी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की मोन्टेरी सर्वसम्मति हेतु शीर्ष-सम्मेलन द्वारा समर्थन में रेखांकित किया गया। मोन्टेरी सर्वसम्मति के अंतिम घोषणापत्र में ग्रामीण क्षेत्रों और महिलाओं जैसे कम सेवा-प्राप्त खंडों को शामिल करने के लिए धरेलू वित्तीय क्षेत्रों को मजबूत करने पर विशेष रूप से जोर दिया गया।

क्रिया गया है कि वित्तीय सेवाओं तक पहुँच वित्तीय भुगतान करना और प्राप्त करना सुगम कर देती है तथा लेनदेन लागतों को घटाती है। इसके अलावा, वित्तीय सेवाओं तक पहुँच उच्चतर उत्पादन और सामाजिक सुरक्षा में अंशदान करती है क्योंकि वित्तीय क्षेत्र - संचित बचत, ऋण और बीमा के माध्यम से - संकट को कम करने के एक उपाय के रूप में काम आता है। फिर भी, वित्तीय सेवाओं तक अधिक व्यापक पहुँच ने कम ध्यान आकर्षित किया है यद्यपि सिद्धांत में इस पर बल दिया गया है।

7.5 भारत में आयोजना की प्रक्रिया के प्रारंभ से ही इक्विटी के साथ वृद्धि केंद्रीय लक्ष्य रहा है। तदनुसार, वर्षों से समावेशक वृद्धि की समस्या का समाधान करने के लिए सरकार और रिजर्व बैंक द्वारा लगातार पहलें की गई हैं। हाल के वर्षों में समग्र जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय में तीव्र वृद्धि के होते हुए भी, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण अनुपात अभी भी औपचारिक वित्तीय प्रणाली में प्रवेश करने में कठिनाई महसूस करता है। उच्चतर आर्थिक वृद्धि के बावजूद, गरीबी के स्तरों में अपर्याप्त कमी, वृद्धि और रोजगार के अवसरों में क्षेत्रीय भिन्नताओं तथा अन्य सामाजिक संकेतकों में मंद गति से सुधार से हाल में चिंताएं उत्पन्न हुई हैं। अतः ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि अधिक व्यापक हो, एक अधिक समावेशक वृद्धि की आवश्यकता पर पुनः बल दिया गया है। तीव्रतर और अधिक समावेशक वृद्धि का लक्ष्य प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने के लिए कृषि, व्यष्टि, छोटे और मझौले उद्यमों के पास असीम संभावना है क्योंकि ये क्षेत्र प्रांतीय तौर पर विविधीकृत उत्पादन का विस्तार करने तथा व्यापक रूप से फैले हुए कृषीतर रोजगार को पैदा करने की क्षमता के साथ उल्लेखनीय रूप में उत्पादन और रोजगार निर्माण में अंशदान करते हैं।

7.6 बृहत्तर आबादी को सुनियोजित और सुसंगठित वित्तीय प्रणाली के अंतर्गत लाना सुस्पष्ट रूप से 2005 से रिजर्व बैंक की कार्यसूची में रहा है (मोहन, 2006)। जबकि अनेक केंद्रीय बैंक एकमात्र मुद्रास्फीति पर ध्यान केंद्रित करते हैं, भारत सहित, कई विकसित और उभरती अर्थव्यवस्थाओं में समान रूप से वृद्धि पर भी ध्यान केंद्रित किया जाता है। वर्तमान में एक अवबोधन है कि बड़ी संख्या में ऐसे लोग, संभावित उद्यमी, छोटे उद्यम और अन्य हैं जिनका वित्तीय क्षेत्र में पर्याप्त प्रवेश नहीं है जिसके कारण वे हाशिये में चले जाते हैं तथा वृद्धि और समृद्धि के अवसर से वंचित रह जाते हैं। अतः रिजर्व बैंक ने देश में वित्तीय व्याप्ति के विस्तार को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न नये उपाय लागू किये हैं। वित्तीय समावेशन एक अधिक सम्मिलनकारी ढंग से आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए अनिवार्य माना जाता है।

7.7 एक तीव्र वृद्धिशील अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि वृद्धि को कैसे बनाए रखा जाए और उसका विविधीकरण कैसे किया जाए ताकि वृद्धि की प्रक्रिया के लिए जोखिम को विभिन्न क्षेत्रों के बीच विविधीकृत किया जा सके। इस संदर्भ में बढ़ती हुई वृद्धि के संभावित स्रोतों अर्थात् वित्तीय सेवाओं तक पहुँचने में कठिनाई अनुभव करनेवाले

क्षेत्रों की तलाश महत्वपूर्ण हो जाती है। अतः एक ओर इन खंडों या क्षेत्रों को शामिल करने से उनकी उत्पादक क्षमताएँ खुल जाती हैं तथा दूसरी ओर ऐसे क्षेत्रों से आय और उपभोग की वृद्धि द्वारा संचालित रूप में एक धारणीय आधार पर घरेलू माँग में भी वृद्धि होगी। इससे मजबूत अंतर-क्षेत्रीय सहबद्धताएँ भी विकसित होंगी।

7.8 उपर्युक्त पृष्ठभूमि के साथ इस अध्याय में सैद्धांतिक गतिविधियों, विभिन्न देशों के अनुभवों और अनुभवजन्य निष्कर्षों को लेते हुए भारत में वित्तीय समावेशन/वंचन के संबंध में महत्वपूर्ण मुद्दों के परीक्षण का प्रयास किया गया है। खंड II में संकल्पनात्मक ढाँचे और माप संबंधी मुद्दों की चर्चा की गई है। खंड III में वित्तीय वंचन के स्वरूप, कारणों और परिणामों की चर्चा है। खंड IV में भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए की गई नीतिगत पहलुओं का विवरण है। खंड V भारत में वित्तीय समावेशन/वंचन के स्वरूप और सीमा का विश्लेषण किया गया है। वित्तीय समावेशन की परिचालन लागत और वित्तीय समावेशन में प्रौद्योगिकी की भूमिका पर खंड VI में चर्चा की गई है। विभिन्न देशों के अनुभवों का अवलोकन और भारतीय संदर्भ में अनुभवजन्य विश्लेषण करते हुए खंड VII में भावी दिशा के रूप में भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए कुछ सुझाव दिये गये हैं। खंड VIII में इस अध्याय का समाहार किया गया है।

II. वित्त तक पहुँच : संकल्पनात्मक ढाँचा

संकल्पना और परिभाषा

7.9 वित्तीय समावेशन की परिभाषा देना एक संकल्पनात्मक ढाँचे को विकसित करने तथा वित्तीय प्रणाली तक निम्नस्तरीय प्रवेश को प्रेरित करनेवाले अंतर्निहित कारकों की पहचान करने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जाता है। साहित्य की समीक्षा से संकेत मिलता है कि वित्तीय समावेशन की कोई सर्वतः स्वीकृत परिभाषा नहीं है। चूँकि समावेशन को मापना कठिन पाया गया है, अतः वित्तीय समावेशन की परिभाषा सामान्यतः वित्तीय प्रणाली से वंचन के तौर पर दी जाती है। वित्तीय वंचन की प्रारंभिक चर्चा से पूर्व सामाजिक बहिष्कार पर चर्चा की गई थी तथा वित्तीय सेवाओं, खास तौर से बैंकिंग आउटलेटों तक भौगोलिक पहुँच के मुद्दे पर प्रधानतः ध्यान केंद्रित किया गया था (लेशोन और थ्रिफ्ट, 1993)। तथापि, वित्तीय वंचन केवल वित्तीय सेवाओं की बदलती स्थलाकृति (टोपोग्राफी) द्वारा प्रेरित भौतिक प्रवेश के बारे में नहीं है। अतः बहस को अब विस्तृत किया गया है ताकि इसके अंतर्गत सभी प्रकार के लोगों को, जो वित्तीय सेवाओं का बहुत कम उपयोग करते हों या कोई उपयोग नहीं करते हों, एवं वित्तीय वंचन की प्रक्रियाओं को शामिल किया जा सके (फोर्ड और रौलिंगसन, 1996, केम्पसन और वाइली, 1998)।

7.10 सामाजिक, आर्थिक और वित्तीय विकास; वित्तीय क्षेत्र में हितधारिता की संरचना; वित्तीय रूप से बहिष्कृत खंडों की सामाजिक-

आर्थिक विशेषताओं; और प्राधिकारियों या सरकारों द्वारा समस्या की पहचान की सीमा के भी आधार पर वित्तीय समावेशन की परिभाषा के संबंध में बल विभिन्न देशों और भौगोलिक क्षेत्रों के बीच भिन्न-भिन्न है। मोटे तौर पर वित्तीय वंचन को व्यक्तियों/संस्थाओं के निरुत्साहजनक अनुभवों अथवा अवबोधनों के प्रतिक्रियास्वरूप पहुँच, स्थितियों, कीमतों, विपणन या स्व-बहिष्करण के साथ संबद्ध समस्याओं के कारण एक उपयुक्त रूप में आवश्यक वित्तीय सेवाओं तक पहुँचने में असमर्थता के रूप में माना जाता है।

7.11 साहित्य में वित्तीय वंचन की परिभाषाएँ वंचन के 'विस्तार', 'केंद्रबिंदु' (फोकस) और 'मात्रा' जैसे आयामों के आधार पर भिन्न-भिन्न हैं। 'विस्तार' का आयाम सभी परिभाषाओं में सबसे विस्तृत है जो वित्तीय वंचन को सामाजिक वंचन के साथ संबद्ध करता है तथा वित्तीय वंचन की परिभाषा निर्धन और वंचित सामाजिक वर्गों को वित्तीय प्रणाली में प्रवेश पाने से रोकनेवाली प्रक्रियाओं के रूप में देता है (लेशोन और थ्रिफ्ट, 1995)। 'केंद्रबिंदु' (फोकस) का आयाम उस समुच्चय के मध्य में है जो वित्तीय वंचन को वंचन के अन्य आयामों के साथ संबद्ध करता है। वह वित्तीय वंचन की परिभाषा बैंक खातों/गृह बीमा जैसी मुख्य धारा की वित्तीय सेवाओं में आबादी के कुछ खंडों द्वारा अनुभव की जा रही संभावित कठिनाइयों के रूप में देता है (मेडोस और अन्य, 2004)। 'केंद्रबिंदु' (फोकस) पर बल देनेवाली परिभाषाएँ भी व्यक्तियों, परिवारों, समुदायों और व्यवसायों जैसे विभिन्न खंडों को सम्मिलित करते हुए उल्लेखनीय रूप में भिन्नता रखती हैं। 'मात्रा' का आयाम जो वित्तीय वंचन की सभी परिभाषाओं में संकीर्णतम है, वित्तीय वंचन की परिभाषा बीमा, बिल-भुगतान सेवाओं तथा सुलभ और उचित जमा खातों सहित ऋण और अन्य वित्तीय सेवाओं के विशिष्ट स्रोतों से वंचन के रूप में देता है (रोगैली, 1999)। अंतिम रूप से, वित्तीय वंचन की परिभाषाएँ बहुत कुछ सापेक्षता की संकल्पना जैसे आयामों के अनुसार भिन्न-भिन्न हैं अर्थात् वित्तीय वंचन को कुछ मानक (अर्थात् समावेशन) के सापेक्ष रूप में परिभाषित किया गया है। यह चिंतन पद्धति वित्तीय वंचन की समस्या को व्यक्तियों और परिवारों के एक अल्पमत को पीछे छोड़ते हुए, बढ़े हुए समावेशन से उत्पन्न समस्या के रूप में परिभाषित करती है (केम्पसन और अन्य, 2000)। इस प्रकार अति समावेशन की द्विविधता विद्यमान है जिसमें वित्तीय उत्पादों के एक दायरे में कुछ के लिए प्रवेश है तथा उसी समय एक अल्पमत के लिए मूलभूत बैंकिंग सेवाओं का भी अभाव है। यह परिदृश्य अधिकांशतः विकसित देशों में पाया जाता है जहाँ वित्तीय विकास की मात्रा अत्यधिक है।

7.12 वर्षों से वित्तीय समावेशन/वंचन की अनेक परिभाषाएँ विकसित हुई हैं (सारणी 7.1)। वित्तीय वंचन की कार्यकारी अथवा परिचालनात्मक परिभाषाएँ सामान्यतः विशिष्ट वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के स्वामित्व अथवा उन तक पहुँच पर ध्यान केंद्रित करती हैं। यह फोकस मुख्य रूप से मुख्य धारा के वित्तीय सेवाप्रदाताओं द्वारा प्रदत्त उत्पादों और सेवाओं तक सीमित हो जाता है (मेडोस और अन्य, 2004)। ऐसे वित्तीय

उत्पादों में धन-प्रेषण, गृह बीमा, अल्पावधि और दीर्घावधि ऋण तथा बचत शामिल हो सकते हैं (ब्रिजमैन, 1999)। इसके अलावा, परिचालनात्मक परिभाषाएँ भी अंतर्निहित सरकारी नीति के सरोकारों से विकसित हुई हैं कि कई लोग, विशेष रूप से निम्न आय पर जीवन-यापन करनेवाले लोग बैंक खातों और निम्न लागत वाले ऋणों जैसे मुख्य धारा के वित्तीय उत्पादों तक नहीं पहुँच सकते, जो फिर उनके संबंध में जो प्रायः सर्वाधिक असुरक्षित लोग हैं, वास्तविक लागतें लागू करती है (एच. एम. ट्रेजरी, 2004)।

7.13 साहित्य की समीक्षा से संकेत मिलता है कि सर्वाधिक परिचालनात्मक परिभाषाएँ संदर्भ-विशिष्ट हैं, जो वित्तीय वंचन और सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों की देश-विशिष्ट समस्याओं से उत्पन्न हुई हैं। इस प्रकार, वित्तीय वंचन के संदर्भ-विशिष्ट आयाम सार्वजनिक नीति के परिप्रेक्ष्य से महत्व प्राप्त करते हैं। इसके अलावा, उक्त परिभाषाओं ने पूर्व की परिभाषाओं से बल में एक परिवर्तन देखा है। पूर्व की परिभाषाओं में वित्तीय समावेशन और वंचन की परिभाषा अधिकांशतः शारीरिक रूप से पहुँच के रूप में दी गई है जबकि परिवर्तित बल वाली अधिक व्यापक परिभाषा में उत्पादों और सेवाओं तक पहुँच, उनके प्रयोग और उनकी समझ को शामिल किया गया है।

7.14 वित्तीय उत्पादों और सेवाओं तक पहुँच पर आधारित वित्तीय समावेशन की परिचालनात्मक परिभाषा भी इस प्रक्रिया में संबद्ध वित्तीय संस्थाओं अथवा सेवाप्रदाताओं की भूमिका को रेखांकित करती है। विभिन्न वित्तीय उत्पादों या सेवाओं एवं संस्थागत संरचना का विश्लेषण संक्षिप्त रूप में चार्ट VII.1 में प्रस्तुत किया गया है।

वित्तीय समावेशन/वंचन की माप

7.15 जबकि वित्तीय समावेशन का महत्व व्यापक तौर पर स्वीकार किया गया है, इस बारे में यह काफी कम ज्ञात है कि वित्तीय प्रणालियाँ कितनी समावेशक हैं तथा किसको किस वित्तीय सेवा में प्रवेश है। वित्तीय समावेशन संबंधी साहित्य के पास ऐसे व्यापक माप का अभाव है जिसका प्रयोग विभिन्न देशों में वित्तीय समावेशन की सीमा को निर्दिष्ट करने के लिए किया जा सके। यद्यपि बैंकिंग प्रणाली, पूँजी बाजारों और बीमा क्षेत्र की गहराई के संकेतक व्यापक तौर पर उपलब्ध हैं, तथापि वित्तीय समावेशता की मात्रा के बारे में कम जानकारी उपलब्ध है। विकासशील देशों में सूचना का अभाव अधिक सुस्पष्ट है जहाँ इस संबंध में सुव्यवस्थित सूचना कम है कि औपचारिक वित्तीय क्षेत्र द्वारा किसकी सेवा की जा रही है, निर्धन परिवारों और छोटे उद्यमों के लिए समर्थनकारी प्रवेश सहित कौन-सी वित्तीय संस्थाएँ अथवा सेवाएँ सबसे अधिक कारगर हैं, अथवा कौन-से व्यावहारिक और नीतिगत अवरोध उक्त अभिगम्यता में बाधा डाल रहे हैं। अलग-अलग संकेतक अर्थात् बैंक खातों की संख्या और बैंक शाखाओं की संख्या, जिनका सामान्यतः उपयोग वित्तीय समावेशन की माप के रूप में किया जाता है, किसी अर्थव्यवस्था में वित्तीय समावेशन के स्तर के संबंध में केवल

सारणी 7.1 : वित्तीय समावेशन/वंचन के परिभाषात्मक पहलू

संस्था/लेखक	परिभाषा	संकेतक
1	2	3
एशियाई विकास बैंक (2000)	निर्धन और निम्न आय वाले परिवारों और उनके व्यष्टि-उद्यमों को जमाराशियाँ, ऋणों, भुगतान सेवाओं, धन अंतरणों और बीमा जैसी वित्तीय सेवाओं के विस्तृत दायरे की व्यवस्था।	जमाराशियाँ, ऋण, भुगतान सेवाएँ, धन अंतरण और बीमा।
स्टीफन पी. सिनक्लेअर (2001)	वित्तीय वंचन का अर्थ है, उचित रूप में आवश्यक वित्तीय सेवाओं तक पहुँचने में असमर्थता। वंचन नकारात्मक अनुभवों या अवबोधनों के प्रतिक्रियास्वरूप पहुँच, स्थितियों, कीमतों, विपणन या स्व-वर्जन संबंधी समस्याओं के परिणामस्वरूप उत्पन्न हो सकता है।	धनप्रेषण, ऋण, बीमा, कर्ज और कर्ज सहायता, दीर्घकालिक बचत और वित्तीय साक्षरता के लिए मूलभूत बैंकिंग सेवाएँ।
चान्त लिंक एण्ड एसोसिएट्स, आस्ट्रेलिया (2004)	वित्तीय वंचन मुख्य धारा के प्रदाताओं से उपयुक्त कम लागत वाले, उचित और सुरक्षित वित्तीय उत्पादों तथा सेवाओं के संबंध में कुछ उपभोक्ताओं के लिए पहुँच का अभाव है। वित्तीय वंचन तब चिंता बन जाता है जब वह निम्न आय वाले और/या वित्तीय संकट से ग्रस्त उपभोक्ताओं पर लागू होता है।	जमा खाते, प्रत्यक्ष निवेश, आवास ऋण, क्रेडिट कार्ड, वैयक्तिक ऋण, भवन बीमा और गृह बीमा।
राजकोष समिति, हाउस ऑफ कॉमन्स, यूके (2004)	उपयुक्त वित्तीय उत्पादों और सेवाओं तक पहुँचने के लिए व्यक्तियों की क्षमता।	सभी के लिए वहनीय ऋण और बचत एवं वित्तीय परामर्श तक पहुँच।
स्कॉटिश सरकार (2005)	उपयुक्त वित्तीय उत्पादों और सेवाओं तक व्यक्तियों के लिए प्रवेश। इसमें उन उत्पादों और सेवाओं का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए क्षमता, कौशल, ज्ञान और समझ का होना शामिल है। तुलना में वित्तीय वंचन इसके विपरीत है।	उत्पादों और सेवाओं तक पहुँच और/या क्षमता, कौशल, ज्ञान और समझ।
संयुक्त राष्ट्र (2006 बी)	एक वित्तीय क्षेत्र जो सभी 'बैंक सहायता योग्य' लोगों और फर्मों को ऋण तक, सभी बीमा योग्य लोगों और फर्मों को बीमा तक तथा प्रत्येक व्यक्ति को बचत और भुगतान सेवाओं तक 'प्रवेश' देता है। समावेशक वित्त यह अपेक्षा नहीं करता कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति प्रत्येक सेवा का उपयोग करे, परंतु यदि वांछित हो तो उन्हें उपयोग हेतु चुनने में समर्थ होना चाहिए।	ऋण, बीमा, बचत, भुगतान सेवाओं हेतु प्रवेश।
भारत में वित्तीय समावेशन संबंधी समिति (अध्यक्ष : सी. रंगराजन) की रिपोर्ट (2008)	एक वहनीय लागत पर कमजोर वर्गों और निम्न आय वाले समूहों जैसे दुर्बल वर्गों द्वारा जहाँ अपेक्षित हो वहाँ वित्तीय सेवाओं एवं समय पर और पर्याप्त ऋण के लिए प्रवेश सुनिश्चित करने की प्रक्रिया।	वित्तीय सेवाओं तथा समय पर और पर्याप्त ऋण के लिए प्रवेश।
विश्व बैंक (2008)	वित्तीय सेवाओं के लिए व्यापक प्रवेश के अंतर्गत वित्तीय सेवाओं के उपयोग में कीमत संबंधी और कीमत से इतर अवरोधों का अभाव निहित है। इसे परिभाषित करना और मापना कठिन है क्योंकि प्रवेश (एक्सेस) के कई आयाम हैं।	जमा, ऋण, भुगतान, बीमा जैसी वित्तीय सेवाओं के लिए प्रवेश।


आंशिक सूचना ही उपलब्ध करा सकते हैं। बैंकों, डाक बचत बैंकों, ऋण संघों, वित्त कंपनियों, व्यष्टि-वित्त संस्थाओं (एमएफआइ), तथा अन्य औपचारिक और अर्ध-औपचारिक बैंकेतर संस्थाओं द्वारा प्रदत्त वित्तीय सेवाएं अथवा उत्पाद सामान्यतः वित्तीय समावेशन को मापने के लिए आधार बनते हैं।

7.16 अक्सर यह पाया गया है कि लोगों की वित्तीय सेवाओं तक पहुँच हो सकती है, परंतु यह संभव है कि वे उनका उपयोग नहीं करना चाहते हों। यह तर्क दिया जाता है कि इस प्रकार के स्वैच्छिक रूप से वर्जित व्यक्तियों को पहुँच की मापों में शामिल किया जाना चाहिए भले ही वे वित्तीय सेवाओं का उपयोग नहीं करते हों। तथापि, 'स्वैच्छिक रूप से वर्जित' व्यक्तियों में भी यह वास्तव में इस कारण से हो सकता है कि ऐसी सेवाएँ वहनीय नहीं हैं, उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप

नहीं हैं, अथवा संभावित प्रयोगकर्ता आशंकित हैं कि अनुरोध करने पर भी उनके लिए ये सेवाएँ अस्वीकार की जाएँगी। ऋण जैसी सेवाओं से 'अनैच्छिक रूप से वर्जित' लोगों के बीच कुछ उस उच्च ऋण जोखिम का द्योतन करते हैं जिससे ऋणदाता उन्हें विवेकपूर्ण ढंग से सेवा प्रदान करने से कतराते हैं।

7.17 वित्त के लिए पहुँच की विभिन्न मापें हैं। उदाहरण के लिए, वित्त के लिए पहुँच को कुछ संस्थाओं (जैसे बैंक, बीमा कंपनियों तथा व्यष्टि-वित्त संस्थाओं) में प्रवेश अथवा ऐसी संस्थाओं द्वारा किये जानेवाले कार्यों अथवा उनके द्वारा उपलब्ध कराई जानेवाली सेवाओं (जैसे भुगतान सेवाओं, बचत अथवा ऋण और जमा) तक पहुँच के रूप में मापा जा सकता है। तथापि एक और दृष्टिकोण विशिष्ट वित्तीय उत्पादों, जैसे अन्यों के साथ-साथ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जीवन

चार्ट VII.1 : वित्तीय उत्पाद और सेवाएँ तथा संस्थागत संरचना



बीमा और गृह बंधक के प्रयोग संबंधी ब्योरे का अवलोकन करना है। फिर भी, ये तो बहुत हद तक देश-विशेष से संबंधित हैं। प्रायः उपयोग किये जानेवाले पहुँच के मुख्य संकेतक सामान्यतः विशेष रूप से वित्तीय संस्थाओं की औपचारिकता की मात्रा से संबंधित संस्थागत विशिष्टताओं पर आधारित हैं (विश्व बैंक, 2008)।

7.18 पहुँच के अंतर्गत अधिक औपचारिक से लेकर कम औपचारिक तक संस्थाओं का एक दायरा सम्मिलित है। समुच्चय (स्पेक्ट्रम) के एक छोर पर बैंक अथवा बैंक जैसी संस्थाएँ हैं जिन्हें प्रायः औपचारिक वित्तीय संस्थाओं के रूप में परिभाषित किया जाता है जो जमा, भुगतान और ऋण सेवाओं सहित बहुविध वित्तीय सेवाएँ अपने ग्राहकों को उपलब्ध करा सकती हैं। बैंकों और बैंकों जैसी संस्थाओं की विशेषताएँ मोटे तौर पर विभिन्न देशों में तुलनीय हैं। अन्य औपचारिक वित्तीय सेवा प्रदाता वे सभी अन्य वैध संस्थाएँ हैं जो वित्तीय सेवाएँ प्रदान करने के लिए लाइसेंसप्राप्त हैं। वे पंजीकृत हैं तथा सूचना देने की कुछ अपेक्षाओं के अधीन हैं। इस प्रकार, ऋण के मामले में इसके अंतर्गत उपभोक्ता वित्त कंपनियाँ, क्रेडिट कार्ड कंपनियाँ अथवा ऋण संघ सम्मिलित हो सकते हैं। वित्तीय सेवाओं के अनौपचारिक प्रदाता वित्तीय सेवाओं के अन्य संगठित प्रदाता हैं जो वित्तीय मध्यस्थों के रूप में पंजीकृत नहीं हैं तथा किसी पर्यवेक्षण के अधीन नहीं हैं। साहूकार और चेक नकदीकरण करनेवाले केंद्र (आउटलेट), जो विनियमित वित्तीय संस्थाएँ नहीं हैं,

इस श्रेणी में आते हैं। वित्तीय सेवा प्रदाताओं की उपर्युक्त विशेषताओं के आधार पर किसी देश में वित्तीय वंचन की सीमा/परिमाण को मापने के लिए मूलभूत संकेतकों के रूप में निम्नलिखित मापों/संकेतकों को सार रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है।

7.19 मुख्य और हेडलाइन संकेतक एक निश्चित आबादी को उसके द्वारा औपचारिक, अर्ध-औपचारिक और अनौपचारिक वित्तीय सेवाओं के प्रयोग एवं वित्तीय सेवाओं के प्रयोग से वर्जित लोगों के आधार पर पहुँच की निरंतरता के साथ-साथ रखते हैं। वित्त तक पहुँच को चार खंडों में विभाजित किया जा सकता है - (i) जनसंख्या का वह अनुपात जो किसी बैंक अथवा बैंक जैसी संस्था का उपयोग करता है; (ii) जनसंख्या जो बैंकेतर 'अन्य औपचारिक' वित्तीय संस्थाओं से सेवा का उपयोग करती है, परंतु बैंक सेवाओं का उपयोग नहीं करती; (iii) जनसंख्या जो केवल अनौपचारिक वित्तीय सेवा प्रदाताओं से ही सेवाओं का उपयोग करती है; (iv) जनसंख्या का प्रतिशत जो औपचारिक वित्तीय लिखतों के माध्यम से नियमित रूप से लेनदेन करता है; तथा (v) आबादी जो किसी वित्तीय सेवा का उपयोग नहीं करती।

7.20 मुख्य संकेतकों का दूसरा समूह, प्रदत्त वित्तीय सेवाओं के प्रकारों का अवलोकन अधिक विस्तृत रूप में करता है। यह कार्यात्मक परिदृश्य कम विकसित से अधिक विकसित वित्तीय परिवेश तक

प्राथमिकता के आधार पर सेवा की विशिष्ट आवश्यकताओं और उनके श्रेणीकरण पर फोकस को संभव बनाता है। ये अतिरिक्त मुख्य संकेतक वित्तीय सेवाओं के स्वरूप और गहराई की संवर्धित समझ प्रदान करते हैं। संकेतकों के लिए आधार के रूप में प्रयुक्त किये जाने के लिए अभिनिर्धारित वित्तीय सेवा कार्य हैं : (i) लेनदेन अथवा भुगतान सेवाएँ; (ii) बचत (जमाराशि) और निवेश सेवाएँ; तथा (iii) ऋण अथवा क्रेडिट सेवाएँ। बीमा जैसी जोखिम रूपांतरण सेवाओं को तार्किक तौर पर सम्मिलित किया जा सकता है। तथापि, यह संकल्पनात्मक रूप से एक परिष्कृत बचत और ऋण उत्पाद के समान है।

7.21 सारांश के तौर पर वित्तीय समावेशन की सर्वव्यापी रूप में स्वीकृत कोई परिभाषा उपलब्ध नहीं है। चूँकि समावेशन की माप करना कठिन पाया गया है, अतः वित्तीय समावेशन की परिभाषा सामान्यतः वित्तीय प्रणाली से वंचन के रूप में दी गई है। वित्तीय वंचन की कार्यात्मक अथवा परिचालनात्मक परिभाषाएं सामान्यतः विशिष्ट वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के स्वामित्व अथवा उन तक पहुँच पर फोकस करती हैं।

7.22 ऐसा कोई एकल व्यापक मानदंड नहीं है जिसका प्रयोग अर्थव्यवस्थाओं में वित्तीय समावेशन की सीमा को निर्दिष्ट करने के लिए किया जा सकता है। विशिष्ट संकेतक जैसे बैंक खातों की संख्या, बैंक शाखाओं की संख्या, जिनका प्रयोग वित्तीय समावेशन के मानदंडों के रूप में सामान्यतः किया जाता है, किसी अर्थव्यवस्था में वित्तीय समावेशन के स्तर के संबंध में केवल आंशिक सूचना ही उपलब्ध करा सकते हैं। एक और दृष्टिकोण विशिष्ट वित्तीय उत्पादों, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जीवन बीमा, और गृह बंधक, के प्रयोगों संबंधी विवरण का अवलोकन करना है, परंतु ये बहुत हद तक देश-विशेष से संबंधित हैं।

III. वित्तीय वंचन का स्वरूप, कारण और परिणाम

स्वरूप और कारण


7.23 वंचन का स्वरूप और उसके रूप एवं उसके लिए उत्तरदायी कारक भिन्न-भिन्न हैं तथा इस प्रकार कोई भी एक कारक परिदृश्य को स्पष्ट नहीं कर सकता। वित्तीय सेवाओं के विस्तार में प्रमुख अवरोध प्रायः भौतिक रूप में प्रवेश, उच्च प्रभार और अर्थदंड, उत्पादों के साथ संबद्ध शर्तों के रूप में पहचाने गये हैं जो उन्हें अनुपयुक्त अथवा जटिल बना देती हैं एवं वित्तीय सेवा संस्थाओं के अवबोधनों के रूप में अभिनिर्धारित की गई हैं जिन्हें निम्न आय वाले लोगों के लिए अवांछनीय माना जाता है (सिन्क्लेअर, 2001)। समावेशन के संबंध में ये अवरोध जानबूझकर निर्मित नहीं किये गये हैं; वे तो वित्तीय सेवा उद्योग के संरचनात्मक परिचालन के परिणाम हैं। केम्पसन और अन्य (2000) वित्तीय समावेशन के लिए भौतिक और भौगोलिक अवरोधों तथा एक विस्तृत दायरे में अन्य कारकों का विश्लेषण करते हैं जो कुछ परिस्थितियों के अंतर्गत विभिन्न उत्पादों और व्यक्तियों के लिए वित्तीय

वंचन में अंशदान कर सकते हैं। वित्तीय वंचन के अनेक 'आयाम' अथवा 'रूप' अभिनिर्धारित किये गये हैं। वित्तीय वंचन के महत्वपूर्ण आयामों में शामिल हैं : (i) प्रवेश का वंचन - जोखिम प्रबंध की प्रक्रिया के माध्यम से प्रवेश का प्रतिबंध (वित्तीय सेवाओं के प्रदाताओं द्वारा); (ii) शर्तों संबंधी वंचन - वित्तीय उत्पादों के साथ संबद्ध शर्तें, जो आबादी के कुछ खंडों की आवश्यकताओं के लिए उन्हें अनुपयुक्त बना देती हैं ; (iii) मूल्य संबंधी वंचन - केवल कुछ ही लोग ऐसी कीमतों पर वित्तीय उत्पादों तक पहुँच सकते हैं जो वे वहन नहीं कर सकते ; (iv) विपणन संबंधी वंचन - लक्ष्यीकृत विपणन और बिक्री द्वारा कुछ लोग प्रभावी रूप में वर्जित किये जाते हैं; तथा (v) स्व-वंचन - सेवाप्रदाताओं द्वारा प्रवेश अस्वीकार किये जाने की आशंका के कारण लोग किसी वित्तीय उत्पाद के लिए विकल्प न देने का निर्णय करते हैं (केम्पसन और वाइली, 1999; केम्पसन और अन्य, 2000; कॉनोली और हजाज, 2001)।

7.24 किसी व्यक्ति अथवा परिवार द्वारा एक निश्चित समय पर एक विशिष्ट वित्तीय उत्पाद के उपयोग का माप यह प्रकट नहीं कर सकता कि क्या वंचन अल्पकालिक है या किसी दीर्घकालिक प्रक्रिया का परिणाम, अथवा क्या पहुँच घट रही है या सुधर रही है (चान्ट लिंक और सहयोगी, 2004)। इस प्रकार वित्तीय वंचन को केवल कुछ वित्तीय सेवाओं तक पहुँच है या नहीं, इसके बजाय वंचन के प्रति असुरक्षितता के रूप में एक निरंतर प्रक्रिया की तरह देखा गया है। विशेष रूप से, वित्तीय वंचन अनेक उपभोक्ताओं के लिए एक दीर्घकालिक घटना अथवा एक जीवनकाल की प्रक्रिया भी हो सकता है (कॉनोली और हजाज, 2001)। सामाजिक-आर्थिक विशेषताओं से युक्त विशिष्ट समूहों के परिवारों के लिए वह एक परिवार के सदस्य व्यक्ति के जीवनकाल से भी अधिक विस्तृत हो सकता है तथा अंतर-पीढ़ीगत हो सकता है। सामान्यतः यह पहचान की गई है कि आबादी के अपेक्षाकृत अधिक निर्धन वर्गों की वित्तीय सेवाओं तक - चाहे वे औपचारिक हों या अनौपचारिक-पहुँच नहीं होती। तथापि, अनेक देशों में कई गैर-निर्धन व्यक्ति, व्यक्ति, छोटे और मझौले उद्यमी भी वित्तीय सेवाओं तक पहुँचने में कठिनाई अनुभव करते हैं। सर्वाधिक सुस्पष्ट आयाम यह है कि आबादी के कई निम्न आय वाले खंडों की पहुँच अत्यंत मूलभूत वित्तीय सेवाओं तक भी नहीं है। जिन लोगों के लिए वित्त तक पहुँच है उनमें से भी अधिकांश लोगों को उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता और मात्रा की दृष्टि से कम सेवाएँ प्राप्त हैं एवं निम्न आय वाले परिवारों का एक बड़ा भाग आधारणीय, सब्सिडी पर आधारित और खराब कार्यनिष्पादन वाली संस्थाओं पर निर्भर है (चार्ट VII.2)।

7.25 वंचन उनकी आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त उत्पादों की अनुपलब्धता, कठोर प्रलेखन और समर्थक आवश्यकताओं एवं वित्तीय सेवाओं में बड़ी हुई प्रतियोगिता जैसे विभिन्न संरचनात्मक कारकों का भी परिणाम हो सकता है। सामाजिक-सांस्कृतिक कारकों पर भी विशेष रूप से बल दिया गया है जो वित्तीय सेवाओं तक किसी व्यक्ति की पहुँच

चार्ट VII.2 : पहुँच की समस्याओं के आयाम



स्रोत : एशियाई विकास बैंक, 2007

के लिए महत्वपूर्ण हैं (संयुक्त राष्ट्र, 2006बी)। परिवारों का बहुत बड़ा भाग, जो विशेष रूप से कम आय वाला है तथा ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में रहता है, वर्तमान में कई देशों में औपचारिक वित्तीय प्रणाली की परिधि से बाहर है। वित्तीय समावेशन/वंचन संबंधी साहित्य ने अनेक ऐसे कारकों का अभिनिर्धारण किया है जो वित्तीय सेवाओं तक पहुँच को विस्तृत करने के प्रयासों को प्रभावित करते हैं (बॉक्स VII.1)।

7.26 आपूर्ति की ओर स्थित कारकों के अलावा माँग की ओर स्थित कारकों का भी वित्तीय समावेशन की सीमा के साथ महत्वपूर्ण संबंध है। गरीबी की रेखा से नीचे रहनेवाली आबादी का एक उच्चतर अंश वित्तीय सेवाओं के लिए निम्नतर माँग का कारण बनता है क्योंकि निर्धन लोगों के पास बचत बैंकों में जमा राशि के रूप में रखने के लिए कोई बचत नहीं होती। इस प्रकार, निम्न आय वित्तीय सेवाओं, विशेष रूप से बचत के उत्पादों के लिए कम माँग उत्पन्न करती है। इसी तरह विकास के निम्न स्तरों पर निवेश की गतिविधि निम्न हो सकती है तथा इस कारण से बैंकों और अन्य औपचारिक वित्तीय संस्थाओं से ऋण के लिए कम माँग पैदा हो सकती है। तथापि, जैसे-जैसे गरीबी के स्तर नीचे आते हैं तथा परिवार उच्चतर आय के वर्गों में पहुँचते हैं, बचत करने की उनकी प्रवृत्ति बढ़ जाती है जो फिर दोनों बचत और निवेश के प्रयोजनों हेतु वित्तीय सेवाओं के लिए उच्चतर माँग को प्रेरित करती है।

7.27 वित्तीय समावेशन समाज के विभिन्न खंडों की विशिष्ट ऋण आवश्यकताओं से भी प्रभावित होता है। जनता द्वारा ऋण की माँग अनेक गतिविधियों के लिए उत्पन्न होती है, जैसे आवास, व्यष्टि-उद्यम, कृषि कार्य और उपभोग की आवश्यकताएं। ऋण के औपचारिक स्रोतों तक पहुँचने में कठिनाइयों के कारण निर्धन व्यक्ति तथा छोटे और व्यष्टि-उद्यम सामान्यतः वृद्धि के अवसरों का उपयोग करने के लिए आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा एवं उद्यमवृत्ति की गतिविधियों में निवेश करने के लिए अपनी व्यक्तिगत बचत अथवा आंतरिक संसाधनों पर निर्भर रहते हैं (विश्व बैंक, 2008)।

7.28 भारत में, वित्तीय रूप से वंचित वर्गों में अधिकांशतः सीमांत कृषक, भूमिहीन श्रमिक, मौखिक पट्टेदार, स्व-नियोजित व्यक्ति और असंगठित क्षेत्र के उद्यम, शहरी झुग्गी निवासी, प्रवासी, मानवजातीय (एथनिक) अल्पसंख्यक और सामाजिक तौर पर बहिष्कृत समूह, वरिष्ठ नागरिक और महिलाएँ शामिल हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में संस्थागत ऋण के अपेक्षाकृत कम विस्तार के कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं - जोखिम अवबोधन, उसके निर्धारण और प्रबंध की लागत, ग्रामीण बुनियादी संरचना का अभाव, तथा आधे मिलियन से अधिक गाँवों के साथ, जिनमें से कुछ छुटपुट आबादी वाले हैं, ग्रामीण क्षेत्रों की विशाल भौगोलिक व्याप्ति (मोहन, 2006)।

बॉक्स VII.1

वित्तीय सेवाओं तक पहुँच को प्रभावित करनेवाले कारक

वित्तीय सेवाओं तक पहुँच को प्रभावित करनेवाले कई कारकों की पहचान अनेक देशों में की गई है। ये हैं :

- **लिंग संबंधी मुद्दे** : ऋण तक पहुँच प्रायः महिलाओं के लिए सीमित है जिनके पास भूमि और संपत्ति जैसी आस्तियों के लिए स्वत्वाधिकार नहीं होता या धारण नहीं कर सकतीं अथवा उन्हें उधार लेने के लिए अनिवार्यतः पुरुषों की गारंटी की माँग करनी पड़ती है।
- **आयु कारक** : वित्तीय सेवा प्रदाता सामान्यतः आर्थिक दृष्टि से सक्रिय जनता के मध्यम वर्ग को लक्ष्यीकृत करते हैं तथा अकसर अधिक आयवाले अथवा युवा वर्ग के संभावित ग्राहकों के लिए उपयुक्त उत्पादों के अभिकल्प को नजरअंदाज करते हैं।
- **कानूनी पहचान** : पहचान पत्रों, जन्मतिथि प्रमाणपत्रों अथवा लिखित अभिलेखों जैसे कानूनी पहचान के अभाव के कारण वित्तीय सेवाओं तक पहुँच से महिलाओं, मानवजातीय अल्पसंख्यकों, आर्थिक और राजनैतिक शरणार्थियों और आप्रवासी श्रमिकों को बहिष्कृत किया जाता है।
- **सीमित साक्षरता** : सीमित साक्षरता, विशेष रूप से वित्तीय साक्षरता अर्थात् आधारभूत गणित, व्यवसाय वित्त कौशल एवं समझ के अभाव से अकसर वित्तीय सेवाओं के लिए माँग में बाधा पहुँचती है।
- **निवास का स्थान** : यद्यपि प्रभावी दूरी परिवहन की बुनियादी संरचना के उतनी ही निकट है जितनी कि भौतिक दूरी, तथापि जनसंख्या की घनता, ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्र, आबादी की गतिशीलता (अर्थात् किसी नियत और औपचारिक पते से रहित अत्यधिक चलंत लोग), किसी स्थान पर सरकार-विरोधी वातावरण (इन्सर्जेन्सी) आदि तत्व भी वित्तीय सेवाओं तक पहुँच को प्रभावित करते हैं।
- **मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक अवरोध** : कई निम्न आय वर्गों की यह भावना कि उनकी उन्नति की ओर ध्यान देने में बैंकों को रुचि नहीं है, ने उन्हें स्व-वंचन के लिए प्रेरित किया है। तथापि, कुछ देशों में सांस्कृतिक और धार्मिक अवरोध भी देखे गये हैं।

- **सामाजिक सुरक्षा भुगतान** : उन देशों में जहाँ सामाजिक सुरक्षा भुगतान प्रणाली को बैंकिंग प्रणाली के साथ संबद्ध नहीं किया गया है, बैंकिंग वंचन अत्यधिक रहा है।
- **बैंक प्रभार** : अधिकांश देशों में जब तक किये गये लेनदेनों की लागत पूरी करने के लिए खाते में पर्याप्त निधियाँ हैं, तब तक लेनदेन निःशुल्क हैं। फिर भी, अन्य प्रभारों का एक दायरा है जिसका निम्न आय वाले लोगों पर अनुपातहीन प्रभाव है।
- **नियम और शर्तें** : उत्पादों के साथ संबद्ध नियम और शर्तें जैसे न्यूनतम शेष राशि की अपेक्षाएँ और खातों के उपयोग से संबंधित शर्तें अकसर ऐसे उत्पादों/सेवाओं का उपयोग करने से लोगों को विमुख कर देती हैं।
- **आय का स्तर** : वित्तीय सेवाओं तक पहुँचने के लिए लोगों की वित्तीय स्थिति सदैव महत्वपूर्ण है। अत्यधिक निर्धन व्यक्ति वित्तीय सेवाओं तक पहुँचने में कठिनाई महसूस करते हैं भले ही उक्त सेवाएँ उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप बनाई गई हों। सामूहिक उधार कार्यक्रमों में संभावित सदस्यों के बीच अवबोधन के अवरोध और आय संबंधी भेदभाव समुदाय के गरीब सदस्यों को बहिष्कृत कर सकते हैं।
- **व्यवसाय का प्रकार** : कई बैंकों ने छोटे उधारकर्ताओं और असंगठित उद्यमों के ऋण आवेदनपत्रों का मूल्यांकन करने की क्षमता विकसित नहीं की है और इस कारण से वे ऋण के लिए इस प्रकार के अनुरोधों को अस्वीकार करते हैं।
- **उत्पाद की आकर्षणीयता** : वित्तीय सेवाएँ/उत्पाद (बचत खाते, ऋण उत्पाद, भुगतान सेवाएँ और बीमा) तथा उनकी उपलब्धता का विपणन कैसे किया जाता है, ये दोनों ही बातें वित्तीय समावेशन में महत्वपूर्ण हैं।

संदर्भ :

विश्व बैंक, 2008; एशियाई विकास बैंक, 2007; तथा केम्पसन और अन्य, 2004।

वित्तीय वंचन की लागतें और परिणाम

7.29 मोटे तौर पर, वित्तीय वंचन की लागत के मुद्दे को दो दृष्टिकोणों से समझा जा सकता है जो परस्पर संबद्ध हैं। पहला, उक्त वंचन की लागत व्यक्तियों/संस्थाओं के लिए वित्त या ऋण तक पहुँच के अभाव में वृद्धि के लिए अवसरों की हानि के रूप में हो सकती है। दूसरा, सामाजिक अथवा राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में वंचन के कारण उत्पादन अथवा कल्याण की कुल हानि हो सकती है तथा देश अपनी संवृद्धि की संभावना को प्राप्त नहीं कर सकता। वित्तीय वंचन के अधिक गोचर परिणामों में शामिल हैं - नकदी प्रवाह और भुगतानों के प्रबंध में लागत और सुरक्षा के मुद्दे, अल्पावधि ऋण तक पहुँच के अभाव के परिणामस्वरूप समझौते से युक्त जीवन-स्तर, अनौपचारिक ऋण के प्रयोग से संबद्ध उच्चतर लागतें, अनैतिक, लुंठक और अविनियमित प्रदाताओं के प्रति बढ़ा हुआ एक्सपोजर, अभीमाकृत जोखिमों के प्रति असुरक्षितता, एवं कल्याण पर दीर्घकालिक अथवा विस्तारित निर्भरता जो बचत के विपरीत है (चान्त लिंक और सहयोगी, 2004)।

7.30 बैंक खाते, ऋण और बीमा के प्रति पहुँच को अब व्यापक तौर पर व्यक्तिगत वित्तीय प्रबंध के लिए और आधुनिक समाजों में लेनदेन करने के लिए भी अनिवार्य सहायक व्यवस्थाओं के रूप में माना जाता है (स्पीक और ग्राहम, 1999)। राजकोष समिति, यूके (2006) के अनुसार वित्तीय वंचन व्यक्तियों, परिवारों और समग्र रूप में समाज पर उल्लेखनीय लागतें लाद देता है। इनमें शामिल हैं, (i) रोजगार के लिए अवरोध क्योंकि मजदूरी का भुगतान करने के लिए नियोक्ताओं को बैंक खाते की आवश्यकता हो सकती है; (ii) बचत करने और उधार लेने के लिए अवसरों तक पहुँचना कठिन हो सकता है; (iii) आस्तियों का स्वामित्व रखना या उन्हें प्राप्त करना कठिन हो सकता है; (iv) आघातों को सहने के लिए आय को समकारी बनाने में कठिनाई; तथा (v) समाज की मुख्यधारा से बहिष्कार।

7.31 व्यक्तियों के लिए लागत के रूप में वित्तीय वंचन आजीविका के अर्जन एवं दैनंदिन जीवन-यापन से संबद्ध मूलभूत/न्यूनतम लेनदेनों में समग्र रूप में उपस्थित बाधाओं के साथ ही, धन अंतरण और महँगे

ऋण जैसे मूलभूत वित्तीय लेनदेनों के लिए उच्चतर प्रभारों को प्रेरित करता है। वह ऐसे बेहतर उत्पादों और सेवाओं तक पहुँच के अस्वीकरण को भी प्रेरित कर सकता है जिनके लिए एक बैंक खाते की आवश्यकता होती है। वह व्यक्ति को धन को धारण करने और संचित रखने में अंतर्निहित जोखिम के प्रति असुरक्षित कर देता है। केवल नकदी आधार पर ही परिचालन से हानि अथवा चोरी के प्रति असुरक्षितता बढ़ जाती है। व्यक्ति/परिवार गरीबी और वर्जन के एक शोषण-चक्र में फँस जाते हैं और साहूकारों से अधिक लागत पर ऋण लेने के लिए विवश होते हैं जिसके परिणामस्वरूप अधिकाधिक वित्तीय दबाव और अनियंत्रणीय ऋण के शिकार हो जाते हैं। समाज और राष्ट्र के अधिक व्यापक स्तर पर वित्तीय वंचन सामाजिक बहिष्कार, गरीबी एवं अन्य सभी संबद्ध आर्थिक और सामाजिक समस्याओं को प्रेरित करता है। इस प्रकार, वित्तीय वंचन प्रायः गरीबी का एक लक्षण एवं एक कारण है। वित्तीय वंचन सारे समाज में समान रूप से वितरित नहीं होता; वह सर्वाधिक वंचित समूहों और समुदायों के बीच केंद्रकृत होता है और इसके परिणामस्वरूप सामाजिक बहिष्कार की एक काफी अधिक व्यापक समस्या में अंशदान करता है।

7.32 ग्रामीण परिवारों द्वारा ऋण की माँग का एक उल्लेखनीय अंश फसल के खराब होने, बीमारी अथवा मृत्यु, तथा स्वास्थ्य-रक्षा के वित्तीय भार को आसान करने के लिए उत्पन्न होता है। व्यष्टि-उद्यमों के मामले में ऋण की आवश्यकता गतिविधियों के एक उचित और अर्थक्षम मान को प्राप्त करने के लिए हो सकती है। ग्रामीण, अर्धशहरी और शहरी क्षेत्रों, विशेष रूप से असंगठित और अनौपचारिक क्षेत्रों को शामिल करनेवाली उदीयमान उद्यम-वृत्ति ऋण की बड़ी संभावित माँग को उत्पन्न कर सकती है। भारत में ऋण के लिए माँग संबंधी साक्ष्य यह संकेत करता है कि चिकित्सा-संबंधी और वित्तीय आपात स्थितियाँ परिवारों के उधार के लिए प्रमुख कारण हैं। निम्नतम आय वाले चतुर्थक (क्वार्टाइल) के लिए चिकित्सा संबंधी आपात स्थितियाँ विशेष रूप से अत्यधिक हैं (आइआइएमएस, 2007)।² इस प्रकार, औपचारिक स्रोतों से वित्त प्राप्त करने में कठिनाई के बड़े सामाजिक निहितार्थ हैं।

7.33 वित्तीय वंचन की एक और लागत बैंकों के लिए विशेष रूप से मध्यावधि में व्यावसायिक अवसर की हानि है। बैंक प्रायः अपनी सेवाएँ निम्नतर आय वर्गों को प्रदान करने से बचते हैं जोकि इन सेवाओं का विस्तार करने में प्रारंभिक लागत के कारण है जो कभी-कभी ऐसे परिचालनों से प्राप्त राजस्व से अधिक हो जाती है। तथापि, बैंकों के व्यवसाय संबंधी ये सरोकार सार्थक थे जब प्रौद्योगिकीय विकास नवजात स्तर पर था तथा वित्तीय सेवाओं की व्याप्ति का विस्तार करने के लिए बहुत प्रारंभिक निवेश की आवश्यकता थी। प्रौद्योगिकी में हुई प्रगति ने अपेक्षित प्रारंभिक निवेश को उल्लेखनीय ढंग से कम कर दिया है। अपेक्षा यह है कि उपयुक्त प्रौद्योगिकी का पता लगाया जाए जो विचाराधीन

क्षेत्र की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों के लिए उपयुक्त हो। इसके अलावा, वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता और अन्यथा वंचित आबादी के समूहों द्वारा उनके उपयोग से उनकी आय के स्तरों और बचत में वृद्धि होगी। इससे फिर बचत जमाराशियों एवं ऋण की माँग में वृद्धि की संभावना होगी जिसके अंतर्गत मध्यावधि में बैंकों के लिए लाभप्रद व्यवसाय का निहितार्थ होगा।

7.34 दो अन्य कारकों को प्रायः वित्तीय वंचन के परिणामों के रूप में बताया जाता है। पहला, यह दैनंदिन नकदी प्रवाह के प्रबंध को जटिल बना देता है - वित्तीय रूप से वंचित परिवार, तथा व्यष्टि और छोटे उद्यमों द्वारा लेनदेन पूर्णतः नकदी तौर पर किया जाता है एवं अनियमित नकदी प्रवाहों से सुप्रभाव्य होते हैं। दूसरा, असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए बैंक खातों और अन्य बचत के अवसरों तक पहुँच के अभाव में वित्तीय आयोजना और सुरक्षा की कमी उनकी वृद्धावस्था के लिए व्यवस्था करने में उनके विकल्पों को सीमित कर देती है। समष्टि-आर्थिक दृष्टिकोण से औपचारिक बचत के बिना रहना दो प्रकार से समस्यामूलक हो सकता है। पहला, जो लोग अनौपचारिक आय द्वारा बचत करते हैं शायद ही वे उस ब्याज-दर और कर-लाभों से लाभान्वित होते हैं जिन्हें बचत की औपचारिक पद्धतियों का प्रयोग करनेवाले लोग प्राप्त करते हैं। दूसरा, अनौपचारिक बचत के माध्यम औपचारिक बचत सुविधाओं की तुलना में बहुत कम सुरक्षित हैं। कम से कम जो इन्हें वहन कर सकते हैं, वे अधिकतम जोखिम उठाते हैं। परिणामी बचत और बचत के मार्गों के अभाव का अर्थ है -साहूकारों जैसे अनौपचारिक ऋणदाताओं का सहारा लेना। इससे फिर दो प्रतिकूल परिणाम निकल सकते हैं- (क) अनौपचारिक ऋणदाताओं द्वारा लगाई गई उच्चतर ब्याज-दरों के प्रति एक्सपोजर; और (ख) ऋणों का शोधन या उनकी चुकौती करने में ग्राहकों की असमर्थता। चूँकि अनौपचारिक ऋणदाताओं से प्राप्त ऋण प्रायः उधारकर्ता की संपत्ति की जमानत द्वारा सुरक्षित होते हैं, अतः इससे स्पष्ट रूप से दो अलग-अलग बाजारों के बीच अंतरसंबद्धता की समस्या उत्पन्न होती है। इस विशिष्ट संदर्भ में आकलन करने पर वित्तीय वंचन मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित निम्न आय वाले परिवारों के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है (मोहन, 2006)।

7.35 सारांश के तौर पर वंचन का स्वरूप और उसके रूप एवं उसके लिए जिम्मेदार कारक भिन्न-भिन्न हैं और इस प्रकार कोई भी एक कारक इस परिदृश्य को स्पष्ट नहीं कर सकता। वित्तीय सेवाओं के विस्तार में प्रमुख अवरोधों को प्रायः शारीरिक रूप से पहुँच, अत्यधिक प्रभारों और अर्थदंडों, उत्पादों से संबद्ध उन स्थितियों जो उन्हें अनुचित और जटिल बना देती हैं एवं वित्तीय सेवा संस्थाओं के अवबोधनों जो निम्न आय वाले लोगों के लिए अनुचित माने जाते हैं, के रूप में अभिनिर्धारित किया जाता है। सामाजिक-सांस्कृतिक तत्वों पर भी बल दिया जाता रहा है जो किसी व्यक्ति के लिए वित्तीय सेवा तक पहुँच के लिए महत्वपूर्ण हैं। वंचन का सर्वाधिक सुस्पष्ट आयाम यह है कि निम्न

² इन्वेस्ट इंडिया मार्केट सोल्यूशन्स (आइआइएमएस) द्वारा किया गया इन्वेस्ट इंडिया आय और बचत सर्वेक्षण।

आय वाली जनसंख्या की बहुतायत के लिए अत्यंत मूलभूत वित्तीय सेवाओं तक पहुँच नहीं है। उन लोगों के अंतर्गत भी जिन्हें वित्त तक पहुँच है, अधिकांश के लिए उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता और मात्रा के तौर पर कम सेवाएँ प्राप्त हैं। वित्तीय वंचन के महत्वपूर्ण आयामों में शामिल हैं, प्रवेश का वंचन, शर्तों (वित्तीय उत्पादों से संबद्ध शर्तों) का वंचन, कीमत का वंचन, तथा स्व-वंचन जो सेवाप्रदाताओं द्वारा प्रवेश से अस्वीकरण की आशंका के कारण है। वित्तीय वंचन की प्रक्रिया खास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से वित्तीय उत्पादों तक सीमित पहुँच से युक्त समुदायों के लिए स्व-सुदृढ़ीकरणकारी बन जाती है तथा प्रायः सामाजिक वंचन में एक महत्वपूर्ण कारक हो सकती है। आपूर्ति संबंधी उपर्युक्त कारकों के अलावा, माँग संबंधी कारक भी वित्तीय समावेशन की सीमा को उल्लेखनीय रूप में प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए निम्न स्तरीय आय और इस कारण से कम बचत के परिणामस्वरूप जमाराशियाँ निम्नतर हो जाती हैं। इसी प्रकार निम्न स्तर की आय पर चुकौती की कम क्षमता और समर्थक जमानत (कॉलेटरल) प्रस्तुत करने में असमर्थता के कारण उधार लेने की क्षमता प्रभावित होती है। भारतीय संदर्भ में माँग और आपूर्ति दोनों कारकों का वित्तीय/बैंकिंग सेवाओं के उपयोग पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है।

7.36 लागत के मुद्दे पर दो दृष्टिकोणों से विचार किया गया है, जो परस्पर संबद्ध हैं। पहला, वंचन वित्त या ऋण तक पहुँच के अभाव में वृद्धि करने के अवसरों की हानि के रूप में व्यक्तियों / संस्थाओं के लिए खर्चीला हो सकता है। दूसरा, सामाजिक अथवा राष्ट्रीय परिदृश्य से, वंचन के कारण उत्पादन अथवा कल्याण की समग्र हानि हो सकती है तथा संभव है कि देश अपनी संवृद्धि की संभावना को प्राप्त न कर सके। विश्व भर में वित्तीय वंचन की अंतर्निहित और सुस्पष्ट लागत को स्वीकार करते हुए इस संबंध में कार्रवाई करने के लिए अनेक देशों ने उपाय शुरू किये हैं।

IV. भारत में वित्तीय समावेशन के लिए पहले

7.37 जैसी कि अध्याय III में चर्चा की गई है, भारत में बैंकिंग के विकास का एक लंबा इतिहास है। स्वतंत्रता के बाद सरकार और रिजर्व बैंक का प्रमुख फोकस एक सुदृढ़ बैंकिंग प्रणाली को विकसित करने पर रहा जो संसाधन/जमाराशियाँ जुटाने और उन्हें उत्पादक क्षेत्रों में उपलब्ध कराने के द्वारा सुनियोजित आर्थिक विकास को समर्थन प्रदान कर सके। तदनुसार, परिवर्तन के एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में बैंकिंग प्रणाली का उपयोग करने की सरकार की इच्छा स्वतंत्रता के बाद बनाई गई अधिकांश नीतियों के केंद्रबिंदु में रही। आयोजना की रणनीति ने आर्थिक वृद्धि के लाभों का वितरण एक लोकतांत्रिक तरीके से करने के साथ ही देश के समग्र विकास में व्यापक तौर पर जनसाधारण को ऋण और वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचाना। इस भूमिका को स्वीकार करते हुए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि समाज के विभिन्न खंडों की वित्तीय सेवाओं की आवश्यकताएं संतोषजनक

ढंग से पूरी की जाएँ, प्राधिकारियों ने नीतिगत ढाँचे को समय-समय पर संशोधित किया।

7.38 आबादी के व्यापकतर वर्गों को ऋण और वित्तीय सेवाओं का विस्तार करने के लिए वर्षों से वित्तीय संस्थाओं का एक व्यापक नेटवर्क स्थापित किया गया है। संगठित वित्तीय प्रणाली; जिसमें वाणिज्य बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी), शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी), प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (पीएसीएस) और डाक घर शामिल हैं; जनता की वित्तीय सेवाओं की आवश्यकताएं पूरी करती है। साथ ही, एमएफआई, स्वयं-सहायता समूह (एसएचजी) भी अधिक निर्धन वर्गों की वित्तीय सेवा आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इसके अलावा, हाल के वर्षों में संस्थागत ढाँचे के विकास ने व्यावसायिक सहायकों/प्रतिनिधियों के रूप में नागरिक सामाजिक संगठनों (सीएसओ), गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ), डाक घरों, किसान क्लबों और पंचायतों जैसे बहुविध माध्यमों का उपयोग करते हुए ऋण-वितरण से संबद्ध वित्तीय सेवाओं का विस्तार करने के नये मॉडलों पर ध्यान केंद्रित किया है। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए विशिष्ट वित्तीय लिखतें/उत्पाद भी विकसित किये गये हैं।

समग्र दृष्टिकोण

7.39 भारतीय संदर्भ में वित्तीय समावेशन से, वंचन किये जाने की प्रवृत्ति वाले लोगों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली द्वारा वहनीय वित्तीय सेवाओं अर्थात् भुगतान और विप्रेषण सुविधाओं, बचत, ऋणों और बीमा सेवाओं तक पहुँच की व्यवस्था अभिप्रेत है। पहुँच या प्रवेश के साथ ही, जनता के अल्पसुविधाप्राप्त वर्गों के लिए बचत, ऋण और विप्रेषण जैसी वित्तीय सेवाओं की वहनीयता (कम लागत) पर भी जोर दिया गया है। यद्यपि भारत में तब 'वित्तीय समावेशन' शब्द प्रचलन में नहीं था, तथापि 1960 के दशक के उत्तरार्ध से सरकार और रिजर्व बैंक दोनों समाज के अल्पसुविधाप्राप्त और कमजोर वर्गों को बैंकिंग सुविधाओं की अनुपलब्धता के बारे में चिंतित रहे हैं। तदनुसार, कुछ समय से अनेक पहलें की गई हैं जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के लक्ष्यों का निर्धारण, रियायती ब्याज-दरों पर कमजोर वर्गों को ऋण तथा अग्रणी बैंक योजना का प्रारंभ। वंचित लोगों तक बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार और ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए समय-समय पर ये पहलें की गई थीं। तथापि, 1970 और 1980 के दशकों में भारत में अनुसरण किया गया वित्तीय समावेशन के प्रति व्यापक दृष्टिकोण विशिष्ट क्षेत्रों/खंडों की ऋण आवश्यकताओं की ओर अधिक उन्मुख था तथा व्यक्तिगत/परिवार के स्तर पर समावेशन के संबंध में अपेक्षाकृत कम बल दिया गया था। भारतीय वित्तीय प्रणाली ने आवश्यक रूप से एक मिश्रित अर्थव्यवस्था के ढाँचे में सुनियोजित विकास की आवश्यकताएं पूरी कीं, जहाँ आर्थिक कार्यकलाप में सरकारी क्षेत्र की प्रधान भूमिका रही। 1990 के दशक के दौरान और 2000 के दशक के प्रारंभिक वर्षों तक बैंकिंग नीति का फोकस एक मजबूत और कुशल बैंकिंग प्रणाली का निर्माण करने पर अधिक था। तथापि, एक बार बैंकिंग प्रणाली की वित्तीय स्थिति

द्वारा पूर्व स्थिति प्राप्त करने पर वित्तीय समावेशन के संवर्धन पर पुनः ध्यान केंद्रित किया गया।

7.40 हाल का दृष्टिकोण व्यक्तिगत और परिवार के स्तर पर वित्तीय समावेशन पर ध्यान केंद्रित करता है (बॉक्स VII.2)। वित्तीय समावेशन के संबंध में हाल के फोकस में महत्वपूर्ण अंतर बाजार-उन्मुख दृष्टिकोण का स्वीकरण है जो प्रक्रिया की दीर्घकालिक धारणीयता के लिए बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं के व्यावसायिक चिंतन के महत्व को स्वीकार करता है। रिजर्व बैंक के वर्ष 2005-06 के वार्षिक नीति वक्तव्य में यह कहा गया है कि यद्यपि संवर्धित कौशल और प्रणालीगत आघात - सहनीयता दोनों को प्रेरित करनेवाला कारक बैंकों का विस्तार, अधिकाधिक प्रतियोगिता और स्वामित्व का विविधीकरण रहा है, तथापि ऐसी बैंकिंग प्रथाओं के संबंध में वैध चिंताएँ रही हैं जो आबादी के बड़े वर्गों, विशेष रूप से पेंशनभोगियों, स्व-नियोजित व्यक्तियों और असंगठित क्षेत्र में नियोजित व्यक्तियों का वंचन करने में प्रवृत्त हैं। उक्त वक्तव्य में आगे और कहा गया कि जबकि व्यावसायिक चिंतन महत्वपूर्ण है, बैंकों को अनेक विशेषाधिकार, विशेष रूप से अत्यंत लीवरेज्ड आधार पर जनता की जमाराशियों की माँग करने के संबंध में, प्रदत्त हैं और इसलिए उन्हें बाध्य होना चाहिए कि वे एक न्यायसंगत आधार पर आबादी के सभी खंडों को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराएँ।

7.41 हाल के वर्षों में भारत में वित्तीय समावेशन के लिए व्यापक कार्यनीति के अंतर्गत निम्नलिखित तत्व हैं : (i) बैंक-सुविधारहित और पिछड़े क्षेत्रों में प्रवेश को प्रोत्साहित करना तथा एनजीओ, एमएफआई, सीएसओ और व्यावसायिक प्रतिनिधियों (बीसी) जैसे एजेंटों और मध्यवर्तियों को प्रोत्साहित करना; (ii) राज्य-स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी) और जिला परामर्शदात्री समिति (डीसीसी) जैसी मौजूदा

व्यवस्थाओं का उपयोग करते हुए एक विकेंद्रीकृत कार्यनीति पर ध्यान केंद्रित करना तथा सहकारी संस्थाओं और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों जैसी स्थानीय संस्थाओं को मजबूत करना; (iii) वित्तीय समावेशन में और वृद्धि करने के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना; (iv) बैंकों को एक मूलभूत बैंकिंग 'नो-फ्रिल' खाता खोलने के लिए सूचित करना; (vi) वित्तीय साक्षरता और ऋण संबंधी परामर्श पर बल देना; तथा (vii) औपचारिक और अनौपचारिक खंडों के बीच सहक्रियाएँ निर्मित करना (थोरात, 2008)।

7.42 लिए गए विभिन्न पहलों को मोटे तौर पर तीन चरणों में विभाजित किया जा सकता है। 1960 के दशक के उत्तरार्ध से लेकर 1980 के दशक तक के पहले चरण तक फोकस अर्थव्यवस्था के उपेक्षित क्षेत्रों को ऋण उपलब्ध कराने पर था। समाज के कमजोर वर्गों पर भी विशेष जोर दिया गया था। 1990 के दशक के शुरुआती वर्षों से लेकर मार्च 2005 तक के दूसरे चरण में फोकस मुख्य रूप से वित्तीय क्षेत्र सुधारों के भाग के रूप में वित्तीय संस्थाओं को मजबूत करने पर था। इस चरण में वित्तीय समावेशन मुख्य रूप से 1990 के दशक के प्रारंभ में स्वयं-सहायता समूह (एसएचजी)-बैंक सहबद्धता कार्यक्रम तथा किसानों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) प्रारंभ करने के द्वारा प्रोत्साहित था। तीसरे चरण में जो अप्रैल 2005 में शुरू हुआ, 'वित्तीय समावेशन' को स्पष्ट रूप से एक प्रमुख नीतिगत लक्ष्य बनाया गया तथा नो फ्रिल्स खातों के माध्यम से बचत जमाराशियों की सुरक्षित सुविधा उपलब्ध कराने पर बल दिया गया।

1990 तक प्रगति

7.43 1990 से पहले धारणीय और न्यायसंगत वृद्धि के लिए बैंकिंग प्रणाली के उपयोग में वृद्धि के लिए विभिन्न पहलों की गई थीं। इनमें

बॉक्स VII.2

भारत में वित्तीय समावेशन - प्रमुख तत्व

- (i) वित्तीय समावेशन वंचित और निम्न आय वाले समूहों के सुविस्तृत वर्गों को एक वहनीय लागत पर बैंकिंग सेवाओं का वितरण है। सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं तक अबाधित पहुँच एक खुले और कुशल समाज की अनिवार्य शर्त है। चूँकि बैंकिंग सेवाएँ सार्वजनिक हित के स्वरूप की हैं, अतः यह अनिवार्य है कि किसी भेदभाव के बिना समस्त जनसमुदाय के लिए बैंकिंग और भुगतान की सेवाओं की उपलब्धता सरकारी नीति का प्रधान लक्ष्य हो (लीलाधर, 2006)।
- (ii) वित्तीय वंचन का अर्थ मुख्य धारा के प्रदाताओं से उपयुक्त, कम कीमत पर, उचित और सुरक्षित वित्तीय उत्पादों और सेवाओं तक समाज के कुछ खंडों द्वारा पहुँच की कमी है। इस प्रकार वित्तीय वंचन एक मुख्य नीतिगत चिंता है क्योंकि मुख्य धारा की वित्तीय सेवाओं के बिना किसी परिवार के बजट, अथवा किसी व्यक्ति/छोटे उद्यम का परिचालन करने के लिए विकल्प प्रायः खर्चीले हो सकते हैं। यह प्रक्रिया विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में खास तौर से वित्तीय उत्पादों तक सीमित पहुँच वाले

समुदायों के लिए स्व-सुदृढ़कारी बन जाती है तथा प्रायः सामाजिक वंचन में एक महत्वपूर्ण तत्व हो सकती है (मोहन, 2006)।

- (iii) वित्तीय समावेशन से आशय औपचारिक वित्तीय प्रणाली द्वारा उन लोगों के लिए, जो वंचित होने की प्रवृत्ति दर्शाते हैं, वहनीय वित्तीय सेवाओं, अर्थात् भुगतान और विप्रेषण सुविधाओं, बचत, ऋणों और बीमा सेवाओं तक पहुँच की व्यवस्था है (थोरात, 2006)।
- (iv) वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया में प्रत्येक परिवार की खोज करना और बैंकिंग प्रणाली में उनका समावेशन प्रदान करना शामिल है (रेड्डी, 2007)।
- (v) कमजोर वर्गों और निम्न आय समूहों जैसे असुरक्षित वर्गों के लिए जहाँ आवश्यक हो वहाँ एक वहनीय लागत पर वित्तीय सेवाओं एवं समय पर और पर्याप्त ऋण तक पहुँच को सुनिश्चित करने की प्रक्रिया (वित्तीय समावेशन संबंधी समिति, अध्यक्ष : डॉ. सी. रंगराजन, 2008)।

शामिल थे - निजी क्षेत्र के बैंकों का राष्ट्रीयकरण, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार के मानदंड लागू करना, अग्रणी बैंक योजना, ग्रामीण/अर्ध-शहरी शाखाओं पर बल सहित शाखा लाइसेंसिकरण मानदंड, कमजोर वर्गों को ऋण के लिए ब्याज-दर की उच्चतम सीमाएँ तथा निर्धन जनता की बहुतायत से युक्त कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकता पूरी करने के लिए विशेषीकृत वित्तीय संस्थाओं का निर्माण। आर्थिक नीति की आवश्यकताओं के साथ बैंकिंग प्रणाली के बेहतर सुयोजन को प्राप्त करने के उद्देश्य से बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण की नीति की घोषणा दिसंबर 1967 में की गई थी। मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों से बैंक ऋण के लिए माँग का आवधिक रूप से निर्धारण करने एवं ऋण और अग्रिम प्रदान करने हेतु प्राथमिकताएँ निर्धारित करने के लिए फरवरी 1968 में राष्ट्रीय ऋण परिषद की स्थापना की गई थी। बैंकिंग के सामाजिक नियंत्रण की नीति के अनुसरण में शीघ्र ही 1969 में प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए निर्धारित तत्काल अपेक्षित कार्य थे - भारी मात्रा में जमाराशियों का संग्रहण और सभी उत्पादक कार्यकलापों के लिए निधियाँ उधार देना। अर्थव्यवस्था के कमजोर वर्गों को ऋण सुविधाएँ प्रदान करने पर विशेष रूप से जोर दिया गया।

7.44 भारत में ग्रामीण उधार के लिए प्रशासनिक ढाँचा 1969 में लागू की गई अग्रणी बैंक योजना द्वारा उपलब्ध कराया गया जो विस्तृत पैमाने पर जमा संग्रहण और अर्थव्यवस्था के कमजोर वर्गों को उधार को बढ़ाने के दुहरे लक्ष्यों के कार्यान्वयन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। यह स्वीकार करते हुए कि रोजगार-उन्मुख क्षेत्रों के लिए ऋण की उपलब्धता अपर्याप्त थी, कृषि, लघु उद्योग, स्व-नियोजित व्यक्ति, छोटे कारोबार और इन क्षेत्रों के कमजोर वर्गों को बैंक ऋण की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए 1960 के दशक के उत्तरार्ध में रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र संबंधी मार्गदर्शी निदेश जारी किये गये थे। विनिर्दिष्ट प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों के लिए प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार के लिए लक्ष्य क्रमशः बढ़ाकर देशी बैंकों के मामले में अग्रिमों का 40 प्रतिशत (विदेशी बैंकों के मामले में निर्यात ऋण सहित 32 प्रतिशत) कर दिया गया। सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों से संबंधित दिशानिर्देशों सहित अन्य मार्गदर्शी सिद्धांतों के साथ प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत निर्धारित उप-लक्ष्यों का उपयोग अनुसूचित जातियों, धार्मिक अल्पसंख्यकों और अनुसूचित जनजातियों जैसे जनता के अभिनिर्धारित असुरक्षित वर्गों के लिए ऋण की उपलब्धता को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया। देश में निम्न आय वाले समूहों को रियायती दर पर ऋण प्रदान करने के लिए 1972 में विभेदक ब्याज-दर (डीआरआइ) योजना प्रारंभ की गई थी (विवरण के लिए अध्याय III देखें)।

7.45 1970 के दशक से बैंकिंग नीति के संवर्धक पहलुओं ने अधिकाधिक प्रमुखता प्राप्त की है। 1970 और 1980 के दशकों के दौरान शाखा लाइसेंसिंग नीति का प्रमुख बल ग्रामीण क्षेत्रों में वाणिज्य बैंक शाखाओं के विस्तार पर था जिसके परिणामस्वरूप बैंक शाखाओं में उल्लेखनीय विस्तार हुआ और प्रति शाखा जनसंख्या में कमी आई।

शाखा विस्तार योजना अन्य बातों के साथ-साथ बैंकिंग के विकास, ऋण के अभिनियोजन और ऋण वितरण में शहरी-ग्रामीण स्वरूप में अंतर-क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने के लिए एक साधन के रूप में बनाई गई। वाणिज्य बैंकों और अन्य संस्थाओं को विभिन्न श्रेणियों के छोटे उधारकर्ताओं को ऋण प्रदान करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए रिजर्व बैंक ने चुकौती में चूक की जोखिम के विरुद्ध गारंटियाँ देने के लिए 1971 में भारतीय ऋण गारंटी निगम की स्थापना का प्रवर्तन किया। तथापि, यह योजना बाद में समाप्त कर दी गई।

7.46 1982 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की स्थापना मुख्य रूप से कृषि को ऋण देनेवाले बैंकों को पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए की गई थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 1975 में अन्य बातों के साथ-साथ ग्रामीण निर्धन जनता को ऋण आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए की गई थी जिनकी हाल ही में पुनःसंरचना की गई है।

हाल में की गई पहलें

7.47 1990 के दशक के प्रारंभ में आर्थिक सुधारों के प्रचलन के साथ ही देश में वृद्धि की गति बढ़ाने के लिए तथा एक धारणीय तरीके से वित्तीय सेवाओं की व्याप्ति को विस्तृत करने के लिए भी एक मजबूत और समुत्थानशील वित्तीय क्षेत्र को आवश्यक समझा गया। तदनुसार, वित्तीय क्षेत्र सुधारों की प्रक्रिया ने एक मजबूत, स्फूर्त और प्रतियोगी बैंकिंग प्रणाली के निर्माण पर अधिक बल दिया। वित्तीय रूप से वंचित लोगों को औपचारिक वित्तीय क्षेत्र के दायरे में लाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम भारत में व्यष्टि-वित्त का संवर्धन था। निर्धन व्यक्तियों द्वारा सामूहिक निर्णयन को सुसाध्य बनाने तथा 'दरवाजे पर' (डोर स्टेप) बैंकिंग उपलब्ध कराने के लिए रिजर्व बैंक से नीतिगत समर्थन के साथ 1992 में नाबार्ड द्वारा स्वयं-सहायता समूह (एसएचजी)-बैंक सहबद्धता कार्यक्रम शुरू किया गया था। ऋण के थोक विक्रेताओं के रूप में बैंकों को संसाधन उपलब्ध कराने चाहिए थे जबकि गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को गरीब लोगों को संगठित करने, उनकी क्षमताओं का निर्माण करने और उन्हें सशक्त बनाने की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए एजेंसियों के रूप में कार्य करना चाहिए था (बॉक्स VII.3)।

7.48 देश में स्वयं-सहायता समूह-बैंक सहबद्धता कार्यक्रम का और संवर्धन करने के लिए 1998 में बैंकों को सूचित किया गया कि एसएचजी जो अपने सदस्यों के बीच बचत की आदतें बढ़ाने में लिप्त हैं, बचत बैंक खाते खोलने के लिए पात्र होंगे तथा ऐसे एसएचजी के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वे बचत बैंक खाते खोलने से पहले बैंकों से ऋण सुविधाएँ प्राप्त करें। वर्ष 1999-2000 के लिए मौद्रिक और ऋण नीति की घोषणा के बाद बैंकों को सूचित किया गया कि उनके द्वारा व्यष्टि-ऋण संगठनों को अथवा व्यष्टि-ऋण संगठनों द्वारा एसएचजी/सदस्य लाभार्थियों को दिये गये ऋणों पर लागू ब्याज-दरें उनके विवेक पर छोड़ दी जाएँ। उसके बाद बैंकों को सूचित किया गया कि उन्हें चाहिए कि वे एसएचजी का वित्तपोषण करने के लिए अपनी शाखाओं को पर्याप्त प्रोत्साहन उपलब्ध

बॉक्स VII.3

स्वयं-सहायता समूह - बैंक सहबद्धता कार्यक्रम

एक स्वयं-सहायता समूह (एसएचजी) समरूप श्रेणी के लगभग 15 से 20 व्यक्तियों का समूह है जो सामूहिक समस्याओं का समाधान करने के लिए एकसाथ जुड़ते हैं। वे नियमित आधार पर स्वैच्छिक रूप से बचत की गतिविधियों में संबद्ध होते हैं तथा संचित संसाधन का उपयोग समूह के सदस्यों को ब्याज युक्त ऋणों के रूप में देने के लिए करते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान वे वित्तीय मध्यस्थता के अनिवार्य तत्वों और लेखा रखने से संबंधित मूलभूत आवश्यकताओं को भी आत्मसात करते हैं। सदस्य अपनी व्यक्तिगत क्षमताओं से काफी अधिक आकार के संसाधनों का संचालन करना भी सीख लेते हैं। वे इस तथ्य को समझने लगते हैं कि संसाधन सीमित हैं और उनकी एक लागत है। एक बार जब समूह स्थिर हो जाता है और परिपक्व वित्तीय व्यवहार दर्शाता है जिसके लिए सामान्यतः छह महीने लगते हैं, तब बैंकों के साथ उसे सहबद्ध करने पर विचार किया जाता है। बैंकों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि वे स्वयं-सहायता समूहों को उनकी संचित बचत के कुछ गुणजों में ऋण प्रदान करें। ऋण किसी समर्थक जमानत (कॉलेटरल) के बिना और बैंकों द्वारा निर्णीत ब्याज-दरों पर दिये जाते हैं। बैंक इन समूहों को ऋण उधार देने को सुविधाजनक पाते हैं क्योंकि सदस्य अपनी बचत और आंतरिक उधार के कार्यकलापों द्वारा कुछ वित्तीय अनुशासन प्राप्त कर चुके होते हैं। उक्त समूह अपने सदस्यों को ऋण देने के संबंध में नियम और शर्तें निर्धारित करते हैं। समूह में समकक्ष व्यक्तियों का दबाव

समय पर चुकौती को सुनिश्चित करता है और बैंक ऋणों के लिए सामाजिक समर्थक जमानत बन जाता है।

सामान्यतः उक्त स्वयं-सहायता समूहों (एसएचजी) के लिए स्वयं-सहायता संवर्धक संस्थाओं (एसएचपीआई) की आवश्यकता है जो उनका प्रवर्तन करें और उन्हें प्रशिक्षित करें। इन स्वयं-सहायता संवर्धक संस्थाओं में शामिल हैं विभिन्न गैर-सरकारी संस्थाएं (एनजीओ), बैंक, किसान क्लब, सरकारी एजेंसियाँ, स्व-नियोजित व्यक्ति तथा स्वयं-सहायता समूहों के महासंघ। तथापि, कुछ स्वयं-सहायता समूह इस प्रकार की एसएचपीआई से किसी सहायता के बिना ही बनाये गये हैं।

उक्त सहबद्धता कार्यक्रम के अंतर्गत तीन भिन्न-भिन्न मॉडल उभरे हैं :

- मॉडल I : इसमें किसी एनजीओ द्वारा हस्तक्षेप/सरलीकरण के बिना स्वयं-सहायता समूहों को बैंकों द्वारा सीधे ही उधार देना शामिल है।
- मॉडल II : इसमें एनजीओ और अन्य एजेंसियों द्वारा सुसाध्य किए जाने पर स्वयं-सहायता समूहों को सीधे बैंकों द्वारा उधार देना परिकल्पित है।
- मॉडल III : इसमें सुसाध्यकर्ता और वित्तीय एजेंसी के रूप में कार्यरत किसी एनजीओ सहित उधार देना शामिल है।

मार्च 2007 के अंत में मॉडल II कुल सहबद्धता का लगभग 74 प्रतिशत था, जबकि मॉडल I और III क्रमशः लगभग 20 प्रतिशत और 6 प्रतिशत थे।

कराएँ तथा स्वयं-सहायता समूहों (एसएचजी) की कार्यपद्धति की सामूहिक गतिशीलता उन्हीं पर छोड़ दी जाए।

7.49 वित्तीय रूप से वंचित लोगों को बैंकिंग क्षेत्र के दायरे के अंदर लाने के लक्ष्य पर 2005-06 में नये सिरे से जोर दिया गया क्योंकि 'वित्तीय समावेशन' शब्द का प्रयोग स्पष्ट रूप से पहली बार 2005-06 के लिए वार्षिक नीतिगत वक्तव्य में किया गया। उसमें यह कहा गया कि बैंकिंग प्रथाओं के संबंध में वैध चिंताएं हैं जो आबादी के व्यापक वर्गों, विशेष रूप से पेंशनभोगियों, स्व-नियोजित व्यक्तियों और असंगठित क्षेत्र में नियुक्त व्यक्तियों को आकर्षित करने के बजाय उन्हें वंचित करने की प्रवृत्ति से संबंधित हैं। उसमें यह भी निर्दिष्ट किया गया कि रिजर्व बैंक (i) व्यापक तौर पर सेवाएँ प्रदान करनेवाले बैंकों को प्रोत्साहित करने की नीतियाँ कार्यान्वित करेगा, जबकि अल्पसुविधाप्राप्त लोगों सहित समुदाय की बैंकिंग आवश्यकताओं के प्रति अनुकूल रूप में प्रतिक्रियाशील न रहनेवाले बैंकों को निरुत्साहित किया जाएगा; (ii) क्या आम व्यक्ति के लिए मूलभूत बैंकिंग सेवाओं का अस्पष्ट अथवा सुस्पष्ट रूप में कोई अस्वीकरण है, यह निर्धारित करने के लिए सेवाओं के स्वरूप, व्याप्ति और लागत की निगरानी की जाएगी; तथा (iii) बैंकों से अनुरोध किया गया कि वे वित्तीय समावेशन के लक्ष्य के अनुरूप अपनी वर्तमान प्रथाओं को सुयोजित करने के लिए उनकी समीक्षा करें।

7.50 वित्तीय समेकन की प्रक्रिया को आगे और प्रोत्साहन नवंबर 2005 में मिला जब बैंकों को सूचित किया गया कि वे निम्न अथवा शून्य न्यूनतम शेषराशियों एवं प्रभारों के साथ एक मूलभूत बैंकिंग

'नो फ्रिल्स' खाता उपलब्ध कराएँ ताकि जनता के व्यापक वर्गों तक ऐसे खातों का विस्तार किया जा सके। विशेष रूप से निम्न आय वाले समूहों के लिए बैंकिंग सेवाओं में प्रवेश का विस्तार करने में कम लागत अथवा निःशुल्क खाते को अंतरराष्ट्रीय तौर पर सहायक माना गया है। कई अन्य देशों में भी बैंकों ने अपने स्वयं के आदेश अथवा संबंधित सरकारों के आदेश से वित्तीय सेवाओं को आम आदमी के लिए सुलभ बनाने के उद्देश्य से इसी प्रकार के खाते, हालांकि विभिन्न अन्य नामों से, उपलब्ध कराये हैं (सारणी 7.2)।

7.51 यह सुनिश्चित करने के लिए कि दोनों शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में निम्न आय वर्गों के व्यक्तियों को बैंक खाते खोलने में कठिनाई न हो, खाते खोलने के लिए अपेक्षित अपने ग्राहक को जानिये (केवाईसी) प्रक्रियाओं को उन खातों के लिए सरल कर दिया गया जिनकी एक वर्ष में शेषराशियाँ 50,000 रुपये से अधिक नहीं हैं तथा ऋण सीमाएँ 100,000 रुपये से अधिक नहीं हैं। सरलीकृत प्रक्रिया में किसी ऐसे ग्राहक द्वारा परिचय की अनुमति दी गई जिसके संबंध में केवाईसी की पूर्ण पद्धति पहले ही पूरी की जा चुकी है।

7.52 किसान क्रेडिट कार्डों (केसीसी) के साथ ही, जो 1998 में प्रारंभ किये गये थे, बैंकों को 2005 में सूचित किया गया कि वे अपनी ग्रामीण और अर्ध-शहरी शाखाओं में 25,000 रुपये तक एक सामान्य क्रेडिट कार्ड (जीसीसी) की सुविधा शुरू करने पर विचार करें। जीसीसी के अंतर्गत परिवार के नकदी प्रवाहों के मूल्यांकन के आधार पर जमानत अथवा प्रयोजन का आग्रह किये बिना ऋण-सीमाएँ स्वीकृत की जाती हैं।

सारणी 7.2 : मूलभूत/‘नो फ्रिल्स’ खाते - चयनित देशों में प्रमुख विशेषताएँ

देश	खाते का नाम और प्रारंभ करने का वर्ष	प्रमुख विशेषताएँ
1	2	3
भारत	नो-फ्रिल्स खाता, 2005	1. बहुत कम या शून्य न्यूनतम शेष 2. प्रति माह 5-10 निःशुल्क लेनदेन 3. एटीएम सुविधा
युनाइटेड किंगडम	मूलभूत बैंक खाता पासपोर्ट खाता (पीए)	1. वहनीय 2. निःशुल्क प्रत्यक्ष धन सूचना 1. अंतरराष्ट्रीय डेबिट-व-एटीएम कार्ड 2. ऑनलाइन, यूके और विदेश में फोन पर शॉपिंग 3. लचीले बचत खाते की लिखत 4. कम लागत का अंतरराष्ट्रीय मुद्रा अंतरण 5. बहुभाषी पुनःस्थान-निर्धारण सूचना 6. एसआइएम (अभिदाता पहचान मॉड्यूल) कार्ड
संयुक्त राज्य अमरीका	पहला खाता, 2002 वैयक्तिक विकास खाता (आइडीए), 1991 इलेक्ट्रॉनिक अंतरण खाता, 1999	1. बहुत कम या न्यूनतम शेष 2. कम शुल्क 3. जमा खातों से रहित लोगों के लिए 1. सर्वव्यापी बचत खाता 2. गरीबों द्वारा बचत, सरकार द्वारा समान राशि योजित 3. बचत का उपयोग आवास में निवेश, शिक्षा, व्यवसाय पूंजीकरण या विकास के अन्य प्रयोजनों के लिए सीमित 4. 44 से अधिक राज्यों ने इसे अपनाया 1. न्यूनतम शेष की अपेक्षा नहीं 2. एटीएम की सुविधा उपलब्ध 3. बाध्यताधारी बैंक को उसके द्वारा खोले जानेवाले प्रत्येक खाते के लिए सरकार 12.60 डॉलर सब्सिडी की एकबारगी अदायगी करती है 4. कोई चेकबुक या प्रत्यक्ष नामे भुगतान नहीं
बेल्जियम	मूलभूत बैंक खाता	1. प्रभारों पर 12 यूरो प्रति वर्ष की उच्चतम सीमा 2. डेबिट कार्ड से 36 निःशुल्क प्रत्यक्ष लेनदेन 3. अधिक खाते खोलनेवाले बैंकों के लिए क्षतिपूर्ति 4. विवाद की स्थिति में स्वतंत्र समर्पित न्यायेतर मुकदमा सेवा 5. अस्वीकृति के लिए कारण बैंक लिखित में देंगे
दक्षिण अफ्रीका	म्जान्सी खाता, 2004	1. कोई प्रबंध शुल्क नहीं 2. प्रति माह एक निःशुल्क नकदी जमा 3. परिचय के साक्ष्य के रूप में केवल वैध आइडी 4. जमा, आहरण, अंतरण (देश में कहीं भी) तक सीमित 5. डेबिट कार्ड भुगतान
आस्ट्रेलिया	सामान्य खाता, 2002	1. रखने का कोई शुल्क नहीं 2. कोई न्यूनतम शेष नहीं 3. निःशुल्क असीमित जमा 4. प्रति माह जमा से इतर छह निःशुल्क लेनदेन (काउंटर पर तीन नकदी आहरणों सहित)
फ्रांस	ला पोस्त खाता लिवरेत ए खाता	1. बचत बैंक खाते और बैंकिंग सेवाएं 2. कम आय वाले लोगों द्वारा व्यापक तौर पर प्रयुक्त 3. संपूर्ण डाक बैंक/ऋण संस्था के निर्माण का प्रस्ताव संसद के पास था 1. काउंटर पर आहरणों की कोई सीमा नहीं 2. कर-मुक्त
ब्राजील	काइक्सा एक्वी खाता	1. कार्ड आधारित 2. आवेदन की सरलीकृत प्रक्रियाएँ 3. प्रतिनिधियों के पास बिक्री केंद्र टर्मिनलों से प्रवेश सुलभ 4. सामाजिक लाभों और नकदी जमा राशियों के नियमित भुगतान स्वीकार्य 5. पारंपरिक माध्यमों द्वारा प्रभारित 8-15 प्रतिशत की तुलना में केवल 2.5 प्रतिशत पर विप्रेषणों हेतु विदेश स्थित ब्राजीलियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वर्शन ई-खाता काइक्सा

यह ऋण-सुविधा परिक्रामी (रिवाल्विंग) ऋण के स्वरूप की है जिसके अंतर्गत धारक के लिए स्वीकृत सीमा तक आहरण करने की पात्रता रहती है। परिवार के नकदी प्रवाहों के मूल्यांकन के आधार पर उक्त सीमाएँ स्वीकृत की जाती हैं। इस सुविधा पर ब्याज-दर पूर्णतः अविनियमित है। जीसीसी ऋणों में से पचास प्रतिशत ऋणों को प्राथमिकताप्राप्त उधार के रूप में माना जाता है।

7.53 राज्य-स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी) एक या अधिक जिलों को 100 प्रतिशत वित्तीय समावेशन के लिए अभिनिर्धारित करती है।³ विभिन्न बैंकों को गाँवों का आबंटन करते हुए यह सुनिश्चित करने का दायित्व उस क्षेत्र के बैंकों को दिया जाता है कि जो बैंक खाता रखना चाहते हैं उन सभी को एक-एक खाता प्रदान किया जाए। अप्रैल 2008 में राज्य-स्तरीय बैंकर समितियों ने सूचित किया कि देश के 18 राज्यों और 6 संघ राज्यक्षेत्रों (यूटी) के 134 जिलों में 100 प्रतिशत वित्तीय समावेशन प्राप्त कर लिया गया है। रिजर्व बैंक स्वतंत्र बाहरी एजेंसियों द्वारा इन जिलों में की गई प्रगति का मूल्यांकन करवा रहा है ताकि इस संबंध में आगे की कार्रवाई की जा सके।

7.54 जनवरी 2006 में रिजर्व बैंक ने बैंकों को इस बात की अनुमति दी कि वे व्यावसायिक सुसाध्यकर्ता (बीएफ) और व्यावसायिक संपर्की (बीसी) के मॉडलों का प्रयोग करते हुए वित्तीय और बैंकिंग सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए मध्यवर्तियों के रूप में गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ)/स्वयं-सहायता समूहों (एसएचजी), एमएफआइ (एनबीएफसी को छोड़कर) तथा अन्य नागरिक सामाजिक संगठनों की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। अप्रैल 2008 में बैंकों को अनुमति दी गई कि वे उपयुक्त समुचित सावधानी (ड्यू डिलिजन्स) के अधीन बीसी के रूप में सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारियों, भूतपूर्व सैनिकों और सरकारी कर्मचारियों को लगाएँ। उक्त बीसी मॉडल में बैंकों को अनुमति है कि वे ग्रामीण जनता के काफी निकट स्थल पर 'धन-प्राप्ति - धन-अदायगी' (कैश इन - कैश आउट) लेनदेन करें और इस प्रकार अंतिम संपर्क (लास्ट माइल) की समस्या का समाधान किया जाए। बैंक भारतीय डाक प्राधिकारियों के साथ भी बीसी के रूप में डाक घरों के उनके विशाल नेटवर्क का उपयोग करने के लिए करार कर रहे हैं तथा इसके द्वारा अपनी पहुँच में वृद्धि कर रहे हैं। दुर्बल वर्गों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कुछ मामलों में बैंकों ने बीमा कंपनियों के सहयोग के साथ वहनीय लागत पर नवोन्मेष बीमा उत्पाद उपलब्ध कराये हैं जिससे उन्हें जीवन की अशक्तता और स्वास्थ्य की सुरक्षा प्रदान की गई है। ऋण के संबंध में स्वयं-सहायता समूहों (एसएचजी) और सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (एमएफआइ) का भी उपयोग वित्तीय समावेशन के लिए व्यापक तौर पर किया जा रहा है।

7.55 सुधारों के बाद की अवधि में 'प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र' के रूप में माने जाने के लिए पात्र क्षेत्रों की सूची में विस्तार कर इसमें विनिर्दिष्ट बांडों

और जोखिम पूँजी जैसी गतिविधियों को भी शामिल किया गया। इसके परिणामस्वरूप कृषि और लघु उद्योग जैसे प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के पारंपरिक रूप से अधिमानप्राप्त उप-क्षेत्रों को ऋण की अपर्याप्त उपलब्धता का अवबोधन बढ़ रहा था। इन चिंताओं को दूर करने के लिए अप्रैल 2007 में संशोधित मार्गदर्शी निदेश जारी किये गये। फलस्वरूप, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को अब कृषि, लघु उद्यम, फुटकर व्यापार, शैक्षणिक ऋण, व्यष्टि वित्त और कम लागत वाले आवास जैसे अत्यधिक सघन रोजगार क्षेत्रों को दिए गए अग्रिमों तक सीमित किया गया है।

7.56 कुछ राज्यों में कम ऋण-जमा अनुपातों के होते हुए बैंकिंग सुविधाओं में विस्तार करने और त्वरित वित्तीय सघनता हेतु क्षेत्र-विशिष्ट कार्य योजनाएँ बनाने के लिए ऐसे पिछड़े राज्यों में विद्यमान विलक्षण समस्याओं को पहचानना आवश्यक हो गया। इस प्रकार की योजनाएँ राज्य सरकारों, बैंकों और अन्य स्थानीय विकास एजेंसियों की संपूर्ण सहभागिता के साथ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, बिहार, अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह एवं पूर्वोत्तर राज्यों जैसे राज्यों में बनाई गईं।

7.57 समावेशक बैंकिंग का एक वृद्धिशील घटक व्यष्टि वित्त संस्थाओं (एमएफआइ) द्वारा उधार है जिनमें सोसाइटियाँ, न्यास, सहकारी संस्थाएँ अथवा कंपनियाँ जो 'लाभार्थ नहीं हैं' अथवा रिजर्व बैंक के पास पंजीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसी) शामिल हैं। उक्त व्यष्टि वित्त संस्थाएँ (एमएफआइ) वर्तमान में 8.3 मिलियन उधारकर्ताओं को सम्मिलित करती हैं। इस क्षेत्र के अंतर्गत एनबीएफसी खंड उधारकर्ताओं के 42.8 प्रतिशत को शामिल करता है तथा यह खंड सबसे तेज गति से बढ़ रहा है। एमएफआइ/एनबीएफसी को दिये जानेवाले उधार पर ब्याज दरें पूर्णतः अविनियमित कर दी गई हैं। व्यष्टि-वित्त के लिए ऐसी संस्थाओं को बैंक उधार प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार के रूप में माना जाता है। यह देखा गया है कि निजी क्षेत्र के और विदेशी बैंक भी इस क्षेत्र का सक्रिय रूप से समर्थन कर रहे हैं तथा यह क्षेत्र निजी इक्विटी निधीयन और देश के बाहर से लोकोपकारी (फिलॉन्थ्रपी) निधीयन को आकर्षित कर रहा है (थोरात, 2008)।

7.58 भारत में अत्यधिक स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए व्यष्टि-वित्त के विभिन्न परिवर्तों (वेरियन्ट्स) के साथ अनेक नवोन्मेष प्रयोग किये गये हैं। इस संबंध में एक रोचक उदाहरण आर्यावर्त ग्रामीण बैंक द्वारा किये गये प्रयास हैं जिसने उत्तर प्रदेश के दूरस्थ गाँवों और पल्लियों में वित्तीय समावेशन के एक नये विचार का कार्यान्वयन प्रारंभ किया (बॉक्स VII.4)।

7.59 व्यष्टि-वित्त का एक और नवोन्मेष प्रयोग महाराष्ट्र के सातारा जिले में मान देशी महिला बैंक द्वारा किया गया जो कारोबारी स्वामित्व

³ बैंक खाते से रहित परिवारों की पहचान करने के लिए मतदाता सूचियों, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अथवा परिवार संबंधी अन्य आंकड़ों जैसे विभिन्न आधारभूत डेटाबेस का उपयोग करते हुए सर्वेक्षण कराये जाते हैं।

बॉक्स VII.4

वित्तीय समावेशन : वित्तपोषण की नई पद्धति

दि आर्यावर्त ग्रामीण बैंक ने उत्तर प्रदेश के दूरस्थ गाँवों और पल्लियों में वित्तीय समावेशन के एक नये विचार का प्रवर्तन किया जहाँ बिजली की आपूर्ति उपलब्ध नहीं थी अथवा यदि उपलब्ध थी तो अनियमित थी। ग्रामवासी अपनी प्रकाश-व्यवस्था की आवश्यकताओं के लिए केवल मिट्टी के तेल के दीपों पर निर्भर थे तथा प्रायः उन्हें मिट्टी का तेल चोर बाजारों से खरीदना पड़ता था जिससे उनकी आमदनी प्रभावित होती थी। उक्त बैंक ने इन गाँवों में सौर ऊर्जा के दीप उपलब्ध करने के नवीन विचार को प्रवर्तित किया और ग्रामीण घरों के लिए 'सौर घरेलू प्रकाश व्यवस्था' (सोलार होम लाइटिंग सिस्टम) उपलब्ध कराने के लिए भारत में एक सौर कंपनी टाटा बीपी सोलार को अभिनिर्धारित किया। उक्त कंपनी और व्यापारी अपने मार्जिनों का परित्याग करने के लिए तैयार थे क्योंकि बैंक बड़े पैमाने पर इस व्यवस्था का वित्तपोषण करने के लिए सहमत था। इस व्यवस्था की लागत 13,000 रुपये थी तथा इसके अंतर्गत उपयोग के लिए तैयार किट था जिसमें एक 35 वॉट वाला सौर पैनल, कम रखरखाव वाली बैटरी, एमसीआर चार्ज नियंत्रक और दो प्रकाश-दीप (ल्यूमिनरी) थे। इस व्यवस्था में 7 घंटों से अधिक समय के लिए 14 वॉट के दो सीएफएल को प्रकाशित किया जा सकता था तथा इसके द्वारा एक मोबाइल चार्जर, एक

टेबल पंखे और एक टेलिविजन को भी समर्थन दिया जा सकता था। उक्त बैंक ने लगभग 10,000 रुपये का वित्त प्रदान किया तथा 3,000 रुपये का मार्जिन राशि के रूप में हिताधिकारी द्वारा अंशदान किया जाना अपेक्षित था। इस राशि की चुकौती ब्याज सहित लगभग 222 रुपये प्रति माह की 60 समान मासिक किस्तों में की जानी थी। यह उस राशि से बहुत कम थी जो गाँववालों को प्रति माह घासलेट की आवश्यकताओं के लिए खर्च करनी पड़ती थी।

उक्त बैंक ने पढ़े-लिखे ग्रामीण युवाओं को व्यावसायिक सुसाध्यकर्ताओं के रूप में अभिनिर्धारित किया था जिन्हें व्यवस्थाओं के रखरखाव के लिए कंपनी ने प्रशिक्षित किया। उक्त बैंक इस प्रकार की 100 व्यवस्थाओं का रखरखाव करने के लिए उक्त व्यावसायिक सुसाध्यकर्ताओं को 10,000 रुपये प्रति वर्ष का मानदेय अदा कर रहा है। दिसंबर 2007 के अंत में उक्त बैंक द्वारा उन्नाव जिले के 1,300 से भी अधिक घरों और बाराबंकी जिले के लगभग 500 घरों में सौर गृह प्रकाश व्यवस्था उपलब्ध कराई गई थी। उक्त बैंक का लक्ष्य अक्टूबर 2008 तक 25,000 घरों को शामिल करने का है।

स्रोत : आर्यावर्त ग्रामीण बैंक की वेबसाइट; <http://aryavart-rrb.com>.

वाली महिलाओं और बैंक ग्राहकों के रूप में महिला उद्यमियों के समग्र विकास की दिशा में कार्य करता है (बॉक्स VII.5)।

7.60 व्यष्टि-वित्त अनेक देशों में औपचारिक वित्तीय क्षेत्र की विस्तृत व्याप्ति की एक प्रमुख विधि के रूप में उभरा है। इन देशों के अनुभव

बॉक्स VII.5

वित्तीय समावेशन : महिला सशक्तीकरण

महाराष्ट्र के सातारा जिले के म्हासवाड में स्थित मान देशी महिला बैंक एक ऐसा संगठन है जो महिला व्यावसायिक स्वामियों और बैंक ग्राहकों के रूप में महिला उद्यमियों के समग्र विकास की दिशा में कार्य करता है। चेतना विजय सिन्हा द्वारा 1997 में स्थापित मान देशी महिला बैंक ने 17,000 महिला उद्यमियों को निर्मित किया है। यह विनियमित सहकारी संस्था, जिसने 2000 में जिला सहकारिता विभाग से 'ए' ग्रेड प्राप्त किया, अपने ग्राहकों को चल परिसंपत्ति से संपन्न करती है जिससे वित्तीय सशक्तीकरण में सहायता पहुँचती है जो फिर महिलाओं को उद्यमी बनने और अपने परिवारों के लिए एक सुस्थिर भविष्य की योजना बनाने में समर्थ बनाती है। बैंक द्वारा प्रदत्त सेवाओं में शामिल हैं, बचत, ऋण, बीमा और पेंशन। यूटीआइ म्यूचुअल फंड के साथ साझेदारी ने उक्त बैंक को महाराष्ट्र में अपने ग्राहकों को पेंशन योजनाएँ प्रदान करने में प्रथम होने में समर्थ बनाया था।

उक्त बैंक की सफलता ने अनेक उप संगठनों के निर्माण को प्रेरित किया जिनमें से एक ग्रामीण महिलाओं के लिए मान देशी व्यवसाय विद्यालय है। एचएसबीसी बैंक के साथ साझेदारी में स्थापित उक्त विद्यालय प्राथमिक तौर पर ऐसी महिलाओं के लिए प्रवेश करने योग्य पाठ्यक्रमों का अपना दायरा बनाने का लक्ष्य रखता है जो वित्तीय और सांस्कृतिक कठिनाइयों के कारण अपने निकटवर्ती शहरी केंद्रों में इस प्रकार के प्रशिक्षण में प्रवेश नहीं ले पातीं। पारंपरिक व्यावसायिक विद्यालयों से भिन्न, जो व्यष्टि-अर्थशास्त्र के सिद्धांत, लेखांकन, संगठनात्मक व्यवहार इत्यादि का गहन ज्ञान देते हैं, यह व्यावसायिक विद्यालय सरल व्यावसायिक कौशल प्रदान करने पर फोकस करता है। इस विद्यालय के पाठ्यक्रमों का श्रेणीकरण मूलभूत व्यवसाय-उन्मुख पाठ्यक्रमों, जैसे वित्तीय साक्षरता, विपणन और उत्पाद विकास तथा उद्यम-संबंधी अथवा कौशल-आधारित पाठ्यक्रमों के रूप में किया जा सकता है। वदुज, म्हासवाड में स्थित उक्त

व्यावसायिक विद्यालय आसपास के गाँवों और बड़े शहरों से महिलाओं को आकर्षित करता है। चूँकि इस विद्यालय में आनेवाली अधिकांश महिलाएँ बड़े संयुक्त परिवारों का हिस्सा हैं, अतः उक्त विद्यालय के पाठ्यक्रम इस प्रकार बनाये गये हैं जिससे वे अपने परिवार के कामकाज निपटारकर विद्यालय में आ सकें और अपनी आमदनी से अपने परिवार की आय में वृद्धि कर सकें।

भारत में नवोन्मेषण और उद्यमी वृत्ति को सहायता प्रदान करनेवाले देशपाण्डे फाउण्डेशन के साथ साझेदारी सहित 2007 में मान देशी और मान विकास (उक्त बैंक के गैर-सरकारी संगठन स्कंध) ने ग्रामीण महिलाओं के लिए चलते-फिरते व्यावसायिक विद्यालय की स्थापना की। यह वर्तमान में पड़ोसी राज्य कर्नाटक के हुबली-धारवाड़ जिले में परिचालित है। एक विशेष रूप से बनाई गई बस जिले में चलती है तथा उक्त व्यावसायिक विद्यालय के समान ही पाठ्यक्रम प्रदान करती है। उक्त मान देशी व्यावसायिक विद्यालय एवं चलते-फिरते व्यावसायिक विद्यालय की उल्लेखनीय बात यह है कि उनके सभी पाठ्यक्रम केवल कौशल का शिक्षण देने के लिए ही नहीं, बल्कि एक अपेक्षाकृत बड़े स्तर पर समाज की आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए भी तैयार किये गये हैं। एक पूर्णतया किसी शैक्षणिक योग्यता से रहित और आयु-सीमा से रहित नीति को लागू करते हुए तथा शुल्क 180 रुपये से 1,800 रुपये तक के दायरे में रखते हुए यह विद्यालय पिछले वर्ष सभी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमियों और क्षमताओं की 650 महिलाओं को आकर्षित कर उन्हें ऐसी कुशलताएँ प्रदान कर सका है जो वे अन्य प्रकार से कभी प्राप्त नहीं कर सकती थीं।

संदर्भ :

क्रिएडो, जे. और आर. कोशी, 2008। क्रिएटिंग लीडर्स एट दी बॉटम ऑफ दी पिरामिड, माइक्रोफाइनेंस इनसाइट, मार्च।

वित्त की पद्धति और मॉडल के संबंध में उपयोगी निविष्टियाँ उपलब्ध कराते हैं जो अन्य देशों के लिए अनुकरणीय है (बॉक्स VII.6)।

7.61 भारत की कुछ संस्थाओं सहित कई अन्य देशों में व्यष्टि-वित्त संगठनों द्वारा उक्त ग्रामीण प्रणाली का व्यापक तौर पर अनुकरण किया गया है। उदाहरण के लिए एक्टिविस्ट्स फॉर सोशल आल्टरनेटिव्स (एएसए), तिरु चिरापल्ली (तमिलनाडु) अपने ग्राम विडियल (जीवी) कार्यक्रम के माध्यम से समन्वित वित्तीय और गैर-वित्तीय सेवाओं का एक दायरा उपलब्ध कराता है। उक्त जीवी में ग्रामीण पद्धति के छोटे समूहों से बनाई गई एक संघबद्ध संरचना है जिसके माध्यम से एएसए, जो एक गैर-सरकारी संगठन व्यष्टि वित्त संस्था है, द्वारा वित्तीय और वित्तेतर सेवाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं (तनखा, 2002)।

7.62 यद्यपि भारत में विभिन्न व्यष्टि-वित्त मॉडलों का अनुसरण किया जाता है, तथापि स्वयं-सहायता समूह (एसएचजी)-बैंक सहबद्धता कार्यक्रम सबसे प्रमुख है। मोटे तौर पर इस मॉडल की ग्रामीण बैंक मॉडल के साथ समानताएँ हैं जैसे समूह बनाना, निर्धन लोगों को ऋण उपलब्ध कराना, तथा क्षमता के निर्माण पर फोकस। फिर भी, भारत में एसएचजी-बैंक सहबद्धता कार्यक्रम द्वारा अपनाई गई पद्धति और बंगला देश के ग्रामीण बैंक द्वारा अनुसरण किये जानेवाले ऐसे कार्यक्रम की पद्धति में कुछ अंतर हैं (सारणी 7.3)।

7.63 बैंकों द्वारा अपने बीसी की सहायता से अथवा अन्य प्रकार से अपनी पहुँच के विस्तार में वृद्धि करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (आइटी) समाधानों के प्रयोग को रिजर्व बैंक प्रोत्साहित करता रहा है। कुछ

बॉक्स VII.6

बंगला देश का ग्रामीण बैंक

दि ग्रामीण बैंक (जीबी) 1976 में बंगला देश के एक गाँव में एक परियोजना के रूप में निर्धन परिवारों को ऋण प्रदान करते हुए गरीबी से उबरने में उनकी सहायता करने के लिए प्रारंभ किया गया था। 1983 में उसे एक औपचारिक बैंक के रूप में 'उसके निर्माण के लिए पारित एक विशेष कानून के अंतर्गत' परिवर्तित किया गया था। वह बैंक के निर्धन उधारकर्ताओं द्वारा स्वाधिकृत है जिनमें से अधिकांश महिलाएँ हैं। समर्थक जमानत (कॉलेटरल) की आवश्यकता को हटाकर जीबी ने रूढ़िगत बैंकिंग प्रथा को उलट दिया है। उसने एक ऐसी बैंकिंग प्रणाली का निर्माण किया है जो पारस्परिक विश्वास, उत्तरदायित्व, सहभागिता और रचनात्मकता पर आधारित है। जीबी बंगला देश में सबसे निर्धन लोगों को किसी समर्थक जमानत (कॉलेटरल) के बिना ऋण उपलब्ध कराता है।

चूँकि जीबी का प्रारंभ रूढ़िगत बैंकिंग के लिए चुनौती के रूप में किया गया था, अतः उसने रूढ़िगत बैंकिंग की मूल कार्यपद्धति को अस्वीकार किया और अपनी स्वयं की कार्यपद्धति का निर्माण कर लिया। ग्रामीण ऋण की सर्वाधिक विशिष्ट बात यह है कि वह किसी कॉलेटरल या कानूनी तौर पर प्रवर्तनीय संविदा पर आधारित नहीं है। वह 'विश्वास' पर आधारित है, न कि कानूनी प्रक्रियाओं और प्रणाली पर। वह स्व-रोजगार निर्मित करने, आय उत्पादन के कार्यकलापों और गरीबों के लिए आवास के लिए ऋण उपलब्ध कराता है जो कि उपभोग के विरुद्ध है। वह इस सिद्धांत पर आधारित होकर गरीबों को उनके दरवाजे पर सेवा प्रदान करता है कि जनता को बैंक के पास नहीं, बल्कि बैंक को जनता के पास जाना चाहिए। ऋण प्राप्त करने के लिए किसी उधारकर्ता को अनिवार्यतः उधारकर्ताओं के समूह में शामिल होना चाहिए। यद्यपि प्रत्येक उधारकर्ता से अपेक्षित है कि वह अवश्य ही किसी पाँच सदस्यीय समूह से संबद्ध हो, तथापि समूह से यह अपेक्षित नहीं होगा कि वह उसके सदस्य को दिये गये ऋण के लिए कोई गारंटी दे। चुकौती का दायित्व पूर्णतः उधारकर्ता पर रहता है जबकि समूह एवं केंद्र/शाखा यह निगरानी करते हैं कि प्रत्येक सदस्य एक जिम्मेदार तरीके से व्यवहार करे और कोई भी चुकौती की समस्या से ग्रस्त न हो। संयुक्त दायित्व का रूप नहीं है अर्थात् किसी चूककर्ता सदस्य की ओर से भुगतान करने के लिए समूह के सदस्य जिम्मेदार नहीं हैं। ऋण एक निरंतर क्रम से प्राप्त किये जा सकते हैं। किसी उधारकर्ता के लिए नया ऋण तब उपलब्ध हो सकता है जब उसके पहले के ऋण की चुकौती की जा चुकी हो। सभी ऋण किस्तों में (साप्ताहिक अथवा द्वि-साप्ताहिक तौर पर) वापस अदा करने होंगे।

जीबी ने प्रारंभ में ऋण सुविधाएँ उपलब्ध कराने पर ध्यान केंद्रित किया और स्वैच्छिक जमा संग्रहण पर कम ध्यान दिया। 2000 में यह नीति बदली गई और जमा

संग्रहण पर अधिक जोर दिया गया। जीबी वर्तमान में चार प्रकार की बचत की सुविधा प्रदान करता है अर्थात् वैयक्तिक बचत खाता, विशेष बचत खाता, ग्रामीण पेंशन बचत तथा ऋण-जीवन बीमा बचत निधि। 25 वर्ष तक समूह उधार का परिचालन करने के बाद यह स्वीकार करते हुए कि दुहराये जानेवाले ऋण चक्रों और अधिकाधिक ऋण एक्सपोजर के साथ समूह की एकरूपता कमजोर होगी क्योंकि प्राप्त किये गये उत्थान के स्तरों में अंतर के साथ ऋण आवश्यकताओं में भिन्नता होती है, जीबी ने वैयक्तिक उधार की ओर परिवर्तन कर लिया। इस प्रकार अधिक लचीला ग्रामीण II निर्धन जनता तक पहुँचने के लिए अधिक उपयुक्त है क्योंकि उसके उत्पादों का उपयोग दैनंदिन धन प्रबंध एवं व्यष्टि-उद्यमों के लिए सुविधापूर्वक किया जा सकता है। जीबी II ने सामान्य ऋणों, मौसमी ऋणों, पारिवारिक ऋणों और अन्य प्रकार के एक दर्जन से भी अधिक ऋणों को समाप्त किया। उसने समूह निधि, शाखा-वार और अंचल-वार ऋण की उच्चतम सीमा, नियत आकार की साप्ताहिक किस्त, पूरे वर्ष भर उधार लेने का नियम भले ही उधारकर्ता के लिए केवल तीन महीने के लिए ही ऋण की आवश्यकता थी, को भी छोड़ दिया।

बंगला देश की सरकार ने सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रमों के लिए 11 प्रतिशत की सपाट दर पर ब्याज-दर नियत कर दी जो घटते आधार पर लगभग 22 प्रतिशत होती है। ग्रामीण बैंक द्वारा प्रभारित ब्याज-दर बंगला देश सरकार द्वारा नियत दर से कम है। ग्रामीण बैंक से प्राप्त किये जानेवाले ऋणों के लिए चार ब्याज-दरें हैं : आय उत्पादन करनेवाले ऋणों के लिए 20 प्रतिशत (घटते आधार पर), आवास ऋणों के लिए 8 प्रतिशत, छात्र ऋणों के लिए 5 प्रतिशत, तथा संघर्षरत सदस्यों (भिखारियों) के लिए ऋणों पर 0 प्रतिशत (ब्याज रहित)। सभी प्रकार के ब्याज साधारण ब्याज हैं जो घटते हुए शेष की पद्धति पर परिकलित किये जाते हैं। इसमें आय का उत्पादन करनेवाले ऋण के लिए 10 प्रतिशत की वार्षिक ब्याज-दर अंतर्निहित है जो बंगला देश की सरकार द्वारा नियत ब्याज-दर (11 प्रतिशत) से कम है। जमाराशियों के लिए जीबी 8.5 प्रतिशत से 12 प्रतिशत तक के दायरे में आकर्षक ब्याज-दरें प्रस्तावित करता है।

मार्च 2008 की स्थिति के अनुसार उसके 7.46 मिलियन उधारकर्ता थे जिनमें से 97 प्रतिशत महिलाएँ थीं। 2,504 शाखाओं के साथ जीबी 81,574 गाँवों में सेवाएँ उपलब्ध कराता है जिनमें बंगला देश के कुल गाँवों में से 97 प्रतिशत से अधिक गाँव शामिल हैं।

स्रोत : ग्रामीण बैंक की वेबसाइट; www.grameen-info.org।

सारणी 7.3 : भारत का स्वयं-सहायता समूह (एसएचजी)-बैंक सहबद्धता कार्यक्रम और बंगला देश का ग्रामीण बैंक मॉडल : प्रमुख विशेषताएँ

एसएचजी-बैंक सहबद्धता कार्यक्रम - भारत	ग्रामीण बैंक (जीबी) - बंगला देश
1	2
1. समूह बैंक से स्वतंत्र है।	1. समूह के सदस्य बैंक के मालिक भी हैं।
2. समूह में सामान्यतः लगभग 15 सदस्य होते हैं।	2. समूह में सामान्यतः 5 सदस्य होते हैं।
3. ऋण की चुकौती के लिए समूह संयुक्त रूप से बाध्य है।	3. ऋण की चुकौती का दायित्व व्यक्ति का है, यद्यपि ऋण लेने के लिए उसे समूह का सदस्य होना चाहिए।
4. बैंक से ऋण लेने के लिए समूह के सदस्यों या समूह के प्रमुख द्वारा एक करार पर हस्ताक्षर किये जाने चाहिए।	4. कोई करार या प्रलेख अपेक्षित नहीं, ऋण विश्वास के आधार पर दिया जाता है।
5. बैंक और एसएचजी के बीच सामान्यतः एनजीओ अथवा एमएफआई का एक अतिरिक्त स्तर रहता है।	5. जीबी सदस्यों को सीधे उधार देता है।
6. पुरुषों और महिलाओं दोनों को शामिल किया जाता है।	6. प्रमुख फोकस महिला उधारकर्ताओं पर है।
7. ब्याज-दर की कोई उच्चतम सीमा नहीं।	7. बंगला देश की सरकार ने 11 प्रतिशत की एक उच्चतम सीमा निर्धारित की।

बैंकों ने प्रौद्योगिकीगत समाधान को अपनाया है (बॉक्स VII.7)। कुछ राज्यों में प्रायोगिक अध्ययन भी किये गये हैं। एक प्रयुक्त प्रौद्योगिकीगत समाधान हस्त-धारित साधन हैं जो अनिवार्य रूप से स्मार्ट कार्ड रीडर हैं। इन साधनों का उपयोग ग्रामीण ग्राहकों को भुगतान करने और उनके दरवाजे पर उनसे नकदी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। कार्ड रीडरों के रूप में कार्य करने के लिए मोबाइल फोन भी विकसित किये गये हैं। खाताधारकों को स्मार्ट कार्ड जारी किये जाते हैं जो उनके फोटो और उंगलियों के निशानों से युक्त होते हैं।

7.64 उभरते हुए व्यावसायिक अवसरों की संभावना को पहचानते हुए कुछ बैंकों ने वित्तीय रूप से वंचित लोगों को प्रक्रियागत समस्याओं और भौतिक रूप से पहुँच में कठिनाइयों जैसे अवरोधों से उबरने में उन्हें समर्थ बनाकर बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए नवोन्मेष पद्धतियों और उपयुक्त प्रौद्योगिकी को भी अपनाया है। उदाहरण के लिए कारपोरेशन बैंक ने शाखा रहित बैंकिंग मॉडल को गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के राज्यों में लागू कर दिया है (बॉक्स VII.8)।

7.65 विस्तृत रूप से शहरी क्षेत्रों में व्याप्त वित्तीय वंचन से उबरने के लिए इंडियन बैंक ने मुंबई में झुग्गी-झोपड़ी वासियों को प्रवेश उपलब्ध कराने के एक नवोन्मेष मॉडल का सफलतापूर्वक प्रयोग किया है (बॉक्स VII.9)।

7.66 वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए सामान्य आय स्तरों के लोगों के लिए आवास के संबंध में अंतरराष्ट्रीय तौर पर विचार किया गया है (बॉक्स VII.10)। भारत में गरीबों के लिए आवास *भारत निर्माण* कार्यक्रम (केंद्र बजट 2005-06 में घोषित) के छह

तत्वों में से एक है तथा उसका कार्यान्वयन *इंदिरा आवास* योजना (आइएवाइ) के माध्यम से किया जाता है। 6.0 मिलियन घरों के लक्ष्य की तुलना में दिसंबर 2007 तक 4.11 मिलियन घर बनाये गये तथा मार्च 2008 के अंत तक संचित संख्या के बढ़कर 5.18 मिलियन घरों तक हो जाने का अनुमान किया गया।⁴ निर्माण की उच्च लागत को स्वीकार करते हुए केंद्रीय बजट 2008-09 में प्रस्ताव किया गया कि 1 अप्रैल 2008 के बाद स्वीकृत नये घरों के संबंध में प्रति यूनिट की सब्सिडी मैदानी इलाकों में 25,000 रुपये से बढ़ाकर 35,000 रुपये तथा पहाड़ी/कठिनाई से युक्त क्षेत्रों में 27,500 रुपये से बढ़ाकर 38,500 रुपये कर दी जाए। घरों के श्रेणी-सुधार के लिए सब्सिडी प्रति यूनिट 12,500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दी जाएगी। केंद्रीय बजट 2008-09 में यह भी निर्दिष्ट किया गया कि अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) की पहुँच में विस्तार करते हुए वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रीय आवास बैंक के संसाधनगत आधार में वृद्धि करने के लिए यह प्रस्ताव किया गया कि उस सीमा तक अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के संसाधनों का दोहन किया जाए जिस सीमा तक प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार देने के उनके दायित्व में कमी रहती है। यह भी प्रस्ताव किया गया कि राष्ट्रीय आवास बैंक के पास 1,200 करोड़ रुपये की एक निधि बनाई जाए ताकि ग्रामीण आवास क्षेत्र में उसके पुनर्वित्त परिचालनों में वृद्धि की जा सके। इस निधि का नियंत्रण कुछ संशोधनों सहित उन सामान्य मार्गदर्शी निदेशों द्वारा किया जाएगा जो अब ग्रामीण मूलभूत सुविधा विकास निधि (आरआइडीएफ) के लिए लागू हैं। रिजर्व बैंक ने फरवरी 2008 में बैंकों को सूचित किया कि समुदाय के कमजोर वर्गों के लिए डीआरआइ

4 जीडीपी के प्रतिशत के रूप में बकाया आवास ऋण 2001 के 3.4 प्रतिशत से बढ़कर 2006 में 8.5 प्रतिशत हो गये। राष्ट्रीय आवास बैंक ने अनुमान किया कि जीडीपी की तुलना में बकाया आवास ऋणों का अनुपात 2007 के अंत तक लगभग 9 प्रतिशत होगा। इन गतिविधियों को प्रतिबिंबित करते हुए देश में आवास संख्या भी 1991 की 148 मिलियन इकाइयों से बढ़कर 2001 में 187 मिलियन इकाइयाँ हो गई और यह 2007 में 218 मिलियन इकाइयाँ होने का अनुमान किया गया (एनएचबी, 2006)।

बॉक्स VII.7

वित्तीय समावेशन का सफल मॉडल : आंध्र प्रदेश का एक वृत्त अध्ययन

आंध्र प्रदेश सरकार के ग्रामीण विकास विभाग ने सामाजिक सुरक्षा पेंशनों (एसएसपी) और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एनआरईजीएस) के लाभ हिताधिकारियों को अदा करने के लिए वरंगल जिले के छह *मंडलों* में एक प्रायोगिक परियोजना प्रवर्तित की। इस प्रायोगिक कार्यक्रम में छह बैंकों अर्थात् भारतीय स्टेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, आंध्रा बैंक, आंध्र प्रदेश *ग्रामीण विकास* बैंक और ऐक्सिस बैंक को संबद्ध किया गया। गाँवों में निवास-स्थान के स्तर पर बैंकों के व्यावसायिक संपर्कियों द्वारा ग्रामीणों को उक्त लाभ अदा किये जाते हैं। ग्रामीण विकास विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार ने उक्त परियोजना में एक बहुत सक्रिय भूमिका निभाई है तथा कार्डों और साधनों की लागत के एक बड़े हिस्से का वित्तपोषण किया है। उक्त परियोजना का समन्वयन रिजर्व बैंक द्वारा परियोजना के संचालन समूह के संयोजक के रूप में क्षेत्रीय निदेशक, हैदराबाद के साथ किया गया। बैंकिंग प्रौद्योगिकी में विकास और अनुसंधान संस्थान (आइडीआरबीटी) को अपेक्षित फार्मेट में सरकार को प्रबंध सूचना प्रणालियाँ (एमआइएस) उपलब्ध कराने का कार्य सौंपा गया। दूसरे चरण में, परियोजना का पैमाना 50,000 ग्रामीणों तक बढ़ाया जाएगा। राज्य सरकार का प्रस्ताव है कि यथासमय समूचे राज्य में इन प्रयासों का विस्तार किया जाए। आंध्र प्रदेश सरकार का यह भी प्रस्ताव है कि राज्य में स्वयं-सहायता समूहों (एसएचजी) के सभी सदस्यों को स्मार्ट कार्ड जारी किये जाएँ।

उक्त परियोजना स्मार्ट कार्ड और मोबाइल तकनीक का प्रयोग करते हुए बीसी के माध्यम से एसएसपी और एनआरईजीएस लाभों के भुगतान के साथ संबद्ध है। बीसी भुगतानों का प्रसंस्करण करने के लिए एक उंगली-निशान की स्कैनर व पहचान मशीन, एक मोबाइल और एक प्रिंटर का उपयोग करता है। लाभार्थी अपने प्रवेश के समय अंकित किये गये अपने फोटो और उंगली के निशान की प्रतिकृति से युक्त स्मार्ट कार्ड अपने पास रखते हैं। उक्त फोटोग्राफ और उंगली के निशान का उपयोग लाभार्थी की पहचान और प्रमाणीकरण के लिए किया जाता है। एक बार प्रमाणीकृत होने के बाद कार्ड में अंतःस्थापित रेडियो बारंबारता पहचान डिवाइस (आरएफआईडी) का चिप चार्ज हो जाता है। चार्ज हुए चिप सहित जब कार्ड मोबाइल फोन के पास लाया जाता है, तब जमा, आहरण और शेषराशि की जाँच के लिए संदेश के टैप्लेट मोबाइल में उत्पन्न होते हैं। बीसी के लिए आवश्यक होगा कि वह संबंधित विकल्प का चयन कर मोबाइल कीपैडों के माध्यम से लेनदेन की राशि फीड करे तथा संदेश बैंक-एंड सर्वर को भेज दे। सर्वर उक्त संदेश को प्रमाणीकृत करता है, लेनदेन का प्रसंस्करण करता है तथा एक अद्यतन सूचना वापस मोबाइल को भेज देता है जो फिर कार्ड को वापस लिख भेजता है। जब कार्ड को प्रिंटर के नजदीक लाया जाता है, तब लेनदेन की रिपोर्ट की तीन प्रतियाँ मुद्रित की जाती हैं। लाभार्थी को भुगतान करने के लिए बीसी नकदी स्वयं ले जाता है। इस प्रकार वास्तव में प्रत्येक बीसी अपने साथ एक जेबी एटीएम उस गाँव में ले जाता है जहाँ उसे परिचालन करना है। इस प्रौद्योगिकी में उन गतिविधियों के समूचे दायरे के लिए

संभावना निहित है जो बीसी के माध्यम से बैंक संचालित कर सकते हैं तथा इसमें अन्यो के साथ मीयादी जमाराशियों, विभिन्न ऋणों, बीमा जैसे अन्य उत्पाद शामिल हैं। उक्त मोबाइल बैंकों के केंद्रीय डाटाबेस सर्वर के साथ जुड़ी होती हैं। इस अनुप्रयोग का एक ऑफ-लाइन मॉडल भी है जो दूरस्थ क्षेत्रों में उसके परिचालन को संभव बनाता है जहाँ कोई संबद्धता नहीं है। वर्तमान में एसएसपी और एनआरईजीएस लाभ डाक घरों के माध्यम से अदा किये जा रहे हैं जिन्हें 2 प्रतिशत का कमीशन दिया जाता है।

छह *मंडलों* को शामिल करनेवाली उक्त प्रारंभिक परियोजना के लिए राज्य सरकार ने 90 रुपये प्रति स्मार्ट कार्ड, 10,000 रुपये प्रति हस्तधारित डिवाइस तथा लेनदेनों पर 2 प्रतिशत कमीशन अदा करने के लिए सहमति दी। परियोजना को प्रारंभ करने के लिए सरकार ने मूलभूत संरचना की लागतों के एक भाग को वहन करना स्वीकार किया। परियोजना के पैमाने को बढ़ाने के बाद उसके लिए यह अनुमान किया गया कि टर्नओवर पर 2 प्रतिशत का कमीशन बनाये रखा जाएगा और बैंक मूलभूत संरचना का निर्धीयन करेंगे। फिर भी, उक्त मॉडल उन राज्यों में भिन्न हो सकता है जहाँ टर्नओवर कम है जबकि प्रत्येक गाँव के लिए नियत लागत लगभग वही होगी। बैंक गाँव में ग्राम संगठन सदस्य को 1,000 रुपये अदा करते हैं जो बैंक के बीसी का प्रतिनिधि है। कार्डों की लागत एक ही बार वहन करनी पड़ती है तथा लाभार्थियों के नाम दर्ज करने में भी कार्ड की लागत के अतिरिक्त 50 रुपये प्रति व्यक्ति का व्यय निहित है।

बैंक के लिए लाभ ये हैं कि लेनदेनों की लागत कम हो जाती है तथा अन्य बातों के साथ-साथ फसल ऋणों, गाँवों में अल्प बचत और व्यष्टि-बीमा तक पहुँच जैसी अन्य सेवाओं के लिए गुंजाइश है। राज्य सरकार अपनी सभी अदायगियाँ इस व्यवस्था के माध्यम से कर सकती है। इसमें वेतन, पेंशन और ठेकेदारों को भुगतान शामिल हैं। यह मॉडल भुगतान वितरण तंत्र में लागत में बचत को सुनिश्चित करता है तथा भुगतान जिले या राज्य के मुख्यालय से केंद्रीय तौर पर किये जा सकते हैं। एक अतिरिक्त लाभ यह है कि जैव-मितीय (बायोमेट्रिक) पहचान के कारण कई बोगस लाभार्थियों की छँटाई की गई है और राज्य सरकार का अनुमान है कि इस कारण से भारी रकम की बचत हो सकती है।

उक्त परियोजना के लिए अपनाये गये मॉडल के अंतर्गत बैंक द्वारा प्रौद्योगिकी और प्रौद्योगिकी के विक्रेता का चयन; एक बीसी की नियुक्ति; बैंक और बीसी के बीच किये गये लेनदेनों जैसे नकदी के संचलन, लाभार्थियों के खातों में जमा, शुल्क/कमीशन के भुगतान और नियंत्रण तंत्र - के संबंध में परिचालन प्रक्रियाओं को अंतिम रूप देना शामिल है। उक्त मॉडल के अन्य पहलू हैं - लाभार्थियों के नाम दर्ज करना और उनके बारे में महत्वपूर्ण सूचना का संग्रहण तथा उन्हें कार्ड जारी करना, लाभार्थियों को प्रशिक्षित करना और उन्हें सुग्राही बनाना, लिखतों की सर्विसिंग में निरंतर सहायता के द्वारा परिचालनगत आवश्यकताएँ पूरी करना, परियोजना की निरंतर निगरानी और उसमें सुधार के लिए आवधिक तौर पर मूल्यांकन करना।

स्कीम के आय संबंधी मानदंड पूरे करनेवाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के सदस्य भी 4 प्रतिशत की रियायती ब्याज-दर पर 20,000 रुपये प्रति हिताधिकारी तक आवास ऋण प्राप्त कर सकते हैं।⁵ केंद्रीय बजट 2008-09 में की गई घोषणा के अनुसरण में रिजर्व बैंक ने

जुलाई 2008 में सरकारी क्षेत्र के बैंकों को सूचित किया कि 7 प्रतिशत वार्षिक की दर पर किसानों को प्रदत्त 3 लाख रुपये तक अल्पावधि उत्पादन ऋण के संबंध में सरकारी क्षेत्र के बैंकों को सरकार 2 प्रतिशत का ब्याज परिदान (इंटररेस्ट सबवेंशन) प्रदान करेगी।

⁵ यह उत्पादक और लाभकारी कार्यक्रम करने के लिए 4 प्रतिशत की रियायती ब्याज-दर पर डीआरआइ स्कीम के अंतर्गत उपलब्ध 15,000 रुपये के वैयक्तिक ऋण के अतिरिक्त है।

बॉक्स VII.8

व्यावसायिक संपर्कियों के माध्यम से शाखा रहित बैंकिंग

कारपोरेशन बैंक ने ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन और वंचित लोगों को बहुत सरल और मूलभूत वित्तीय सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग के द्वारा एक व्यापक पहुँच (आउटरीच) का कार्यक्रम प्रारंभ किया है। यह कार्य करने के लिए उक्त बैंक ने गाँव की संरचना और आकार, परिवार/घर के विवरण जैसे व्यवसाय, आस्ति के स्वामित्व और वित्तीय सेवाओं के उपयोग के संबंध में सूचना प्राप्त करने के लिए अभिनिर्धारित गाँवों में एक सर्वेक्षण संचालित किया। इस सर्वेक्षण के स्वचालन ने उन पारिवारिक सदस्यों के लिए, जिन्होंने उक्त बैंक के पास खाता खोलने की अपनी इच्छा प्रकट की, स्थल पर प्रयोगकर्ता के फोटो सहित कॉर्प प्रगति बचत बैंक (सीपीएसबी) खाता खोलने के फार्मों के निर्माण को सुसाध्य बनाया।

उक्त सर्वेक्षण से अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रकट हुआ कि ग्रामीण लोग सामान्यतः बैंक के पास जाने के लिए विमुख थे क्योंकि शाखाएँ उनके निवास अथवा कार्यस्थल से काफी दूर थीं और इस कारण से उन्हें आने-जाने के लिए धन और सामान्य बैंकिंग कार्य करने के लिए समय व्यतीत करना पड़ता था। इसके अलावा, अर्ध-साक्षर या साक्षर होने के कारण उन्हें प्रक्रियाओं को समझने और उनका अनुसरण करने में कठिनाई महसूस हुई। वे इस बारे में भी निश्चित नहीं थे कि अल्प धनराशियाँ विप्रेषित करने अथवा आहरित करने के लिए बैंक में पहुँचने पर उनके प्रति कैसा व्यवहार किया जाएगा। ग्रामीणों द्वारा अनुभव की जा रही इन कठिनाइयों को कम करने के लिए कारपोरेशन बैंक ने अगस्त 2007 में एक शाखा रहित बैंकिंग मॉडल को अपनाया। पाम-टॉपों, सिंयूटर्स,

हस्तधारित भंडारण साधनों और विविध संचार माध्यमों के दायरे में विभिन्न प्रौद्योगिकियों का मूल्यांकन करने के बाद उक्त बैंक ने व्यावसायिक संपर्कियों (बीसी) और एक छोटे हस्तधारित साधन के प्रयोग के आधार पर एक शाखा रहित बैंकिंग मॉडल का विकल्प चुना। यह मॉडल आंध्र प्रदेश में प्रायोगिक परियोजना में अनुसरण किये गये मॉडल के लगभग समान है (देखें बॉक्स VII.7)। उक्त शाखा रहित बैंकिंग मॉडल ने ग्रामवासियों के लिए बचत और ऋण उत्पाद उनके दरवाजे पर उपलब्ध कराने के द्वारा उन तक पहुँचने में बैंक को समर्थ बनाया। सर्वेक्षण के माध्यम से संगृहीत सूचना ने केवाईसी की अपेक्षाओं की पूर्ति को भी सुगम कर दिया।

ग्राहकों के लिए उक्त मॉडल से प्राप्त होनेवाले लाभों में शामिल हैं - शाखा तक जाने में उनके समय और व्यय की बचत, बीसी के साथ व्यवहार करने में सहूलियत क्योंकि वह परिचित व्यक्ति है, तथा दिन में किसी भी समय व्यावहारिक तौर पर कारोबार संबंधी लेनदेन करने की सुविधा। बीसी के लिए लाभ यह है कि यह आय का एक वैकल्पिक स्रोत है। बैंक के लिए लाभ ये हैं कि वे उन खंडों तक पहुँचने में समर्थ हैं जिन तक वे अभी तक नहीं पहुँच पाये हैं तथा निम्नतर लेनदेन लागतों पर ग्रामीण बचत संपन्न कर सकते हैं।

संदर्भ :

कामत, राघव, 2007। शाखा रहित बैंकिंग : वित्तीय समावेशन के लिए कार्प बैंक का उत्तर; सीएबी कालिंग जुलाई-सितंबर; खंड 31, सं. 3।

7.67 ग्रामीण ऋण वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए हाल ही में अल्पावधि ग्रामीण सहकारी ऋण संरचना के लिए एक पुनरुत्थान पैकेज की घोषणा की गई। ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं के पुनरुत्थान संबंधी कार्यदल (अध्यक्ष : ए. वैद्यनाथन) की सिफारिशों के आधार पर तथा राज्य सरकारों के साथ परामर्श करने के उपरांत भारत सरकार ने अल्पावधि

ग्रामीण सहकारी ऋण संरचना के पुनरुत्थान के लिए एक पैकेज का अनुमोदन किया। इस पैकेज में परिकल्पित किये गये रूप में अब तक 20 राज्यों ने भारत सरकार और नाबार्ड के साथ सहमति ज्ञापन (एमओयू) निष्पादित किये हैं। सात राज्यों ने अपने सहकारी समिति अधिनियमों में आवश्यक संशोधन कर लिये हैं। दीर्घावधि ग्रामीण सहकारी ऋण संरचना के लिए

बॉक्स VII.9

शहरी वित्तीय समावेशन - धारावी (मुंबई) मॉडल

सामान्यतः यह महसूस किया जाता है कि वित्तीय वंचन एक ऐसी समस्या है जो केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही है। तथापि, वास्तव में शहरी केंद्रों में भी बड़ी संख्या में लोग बैंकिंग सुविधाओं तक आसानी से नहीं पहुँच सकते तथा वित्तीय वंचन शहरी क्षेत्रों में भी विशेष रूप से अनौपचारिक क्षेत्र के कामगारों के मामले में बहुत आम है जिनके पास नियमित रूप से काम नहीं होता। इसके अतिरिक्त, कई प्रवासी जिनका कोई बैंक खाता नहीं होता और जो बैंकिंग सुविधाओं के बारे में नहीं जानते, अपने पारिवारिक सदस्यों को धनराशि मित्रों, रिश्तेदारों जैसे अनौपचारिक स्रोतों के माध्यम से भेजते हैं अथवा जब कभी अपने मूल निवास स्थान (नेटिव प्लेस) जाते हैं तब अपने साथ नकदी ले जाते हैं।

देश की वाणिज्यिक राजधानी मुंबई में एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी (स्लम) धारावी में स्थिति ज्यादा भिन्न नहीं है। धारावी में लगभग 300,000 से 350,000 तक कामगार निवास करते हैं जिनमें से अनेक व्यक्तियों का कोई बैंक खाता नहीं है। नो फ्रिल्स खाते खोलने के कार्य को सुसाध्य बनाने के लिए केवाईसी मानदंडों को युक्तसंगत बनाने के बाद इंडियन बैंक ने फरवरी 2007 में धारावी में एक कोर बैंकिंग शाखा और एक एटीएम सुविधा प्रारंभ की। उक्त बैंक ने स्मार्ट कार्ड

आधारित बैंकिंग शुरू किया जिसने झुग्गी-झोपड़ी निवासियों के लिए दरवाजे पर (डोरस्टेप) बैंकिंग लेनदेनों को सुसाध्य बनाया है। इस सुविधा ने कामगारों को बचत करने में समर्थ बनाया है तथा प्रवासी अपने मूल निवास स्थानों में रहनेवाले अपने पारिवारिक सदस्यों को धनराशि के आसान और विश्वसनीय विप्रेषण की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। उक्त निवासियों को जीवन और स्वास्थ्य बीमा उत्पाद भी उपलब्ध कराये जाते हैं।

इस प्रकार शहरी क्षेत्रों में कुछ वित्तीय रूप से वंचित लोगों को बैंकिंग सुविधाओं में प्रवेश उपलब्ध कराया गया है। इंडियन बैंक ने अब धारावी मॉडल का विस्तार आंध्र प्रदेश के गुंटूर शहर और तारामणि, चेन्नै में भी किया है जहाँ शहरी निर्धन लोगों के बैंक खाते नहीं हैं।

संदर्भ :

1. राजन, एम.एस.एस. 2007। वित्तीय समावेशन का प्रत्युत्तर : अवसर और चुनौतियाँ - इंडियन बैंक का अनुभव; सीएबी कालिंग जुलाई-सितंबर, खंड 31, सं.3।
2. इंडियन बैंक वेबसाइट, www.indianbank.in

बॉक्स VII.10 आवास और वित्तीय समावेशन

विकसित देशों में देश के वंचित भागों में रहनेवाले लोगों के लिए बंधक ऋण को वित्तीय समावेशन के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में पहचाना गया है तथा यह स्वीकार किया गया है कि यह आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। ऐसा प्रतीत होता है कि बंधक कंपनियों, गैर-बैंक वित्त कंपनियों और बैंकों द्वारा कम आय वाले समूहों तक बंधक वित्त के विस्तार ने विकसित देशों में औपचारिक वित्तीय प्रणाली के दायरे के अंतर्गत वित्तीय रूप से वंचित जनता के एक बड़े भाग को लाने में सहायता की है। विकसित देशों में आवास संघों ने अपने किरायेदारों और निवासियों के बीच वित्तीय वंचन का सामना करने में अग्रणी भूमिका निभाई एवं ऋण संस्थाओं जैसी सहायक सामुदायिक वित्तीय संस्थाओं ने भी साझेदारी और निवेश के माध्यम से इस दिशा में योगदान किया। आवास वित्त सामान्यतः नये मकानों में निवेश के लिए अथवा घरेलू सुधारों के लिए प्राप्त किया जाता है। फुटकर जमाराशियों, बंधक समर्थित प्रतिभूतियों और सुरक्षित बांडों सहित, बंधक निधायन के स्रोतों में भी अत्यंत विविधता है। यूके जैसे कुछ देशों में प्रतियोगी मुख्य धारा के बंधक उधार के साथ ही, निम्न आवास इक्विटी अथवा अनिश्चित आय वाले खरीदारों की बंधक ऋण तक पहुँच है (एचएम ट्रेजरी, 2007)। विशेष रूप से पहली बार घर खरीदनेवालों को आवास वित्त प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यूके और स्कॉटलैंड में वहनीय आवास उपलब्ध कराने के लिए बंधक उधारदाता सरकार की खुले बाजार की गृह ऋण योजना (ओपन मार्केट होम बाइ स्कीम) पर कार्य कर रहे हैं जो पहली बार खरीदनेवालों, कामगारों और सामाजिक किरायेदारों को वित्त प्रदान करने के लिए बनाई गई है। इसके अलावा ग्राहक, जो अंशधारित मालिक हैं, की पहुँच वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तावित अन्य वित्तीय उत्पादों और सेवाओं तक भी होती है। इस योजना के अंतर्गत आवास बाजार में प्रवेश हेतु लोगों को अनुमति देने के लिए संपत्तियों में इक्विटी की साझेदारी हेतु सरकार और उधारदाता दोनों जिम्मेदारी लेते हैं। वितरण और प्रयुक्त व्यापक पहुँच (आउटरीच) के कार्य की पद्धतियों में नवोन्मेष भी रहे हैं, उदाहरण के लिए स्थानीय आवास संघों के साथ साझेदारी करते हुए। यूके में सरकार का लक्ष्य 2010-11 तक प्रति वर्ष 70,000 से भी अधिक नये वहनीय घरों का वितरण करना है। उन किरायेदारों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए, जो अन्यथा मुख्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त नहीं कर सकते, रायल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड ने एक नई बचत और ऋण योजना तैयार करने के लिए दी ग्रैपियन हाउसिंग एसोसिएशन के साथ एक करार किया है।

अमेरिका में संघीय सरकार ने 1997 में सामुदायिक पुनर्निवेश अधिनियम लागू किया, जिसके अंतर्गत फेडरल बैंक विनियामक एजेंसियाँ बैंकों की रेटिंग निम्न आय वाले समुदायों की सेवा करने में किये गये उनके प्रयासों और प्रभावत्मकता पर निर्धारित करती हैं। मुख्य मानदंड बंधक ऋण है, परंतु विनियामक इस बात पर भी विचार करते हैं कि निम्न और साधारण आय वाले समुदायों को बैंक किस सीमा तक फुटकर बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। यह बात भी पहचानी गई है कि सब-प्राइम बंधक अथवा पुनर्वित्त ऋणों ने काले और हिस्पैनिक समुदायों में

ऋण की व्याप्ति को प्रेरित किया जिनके लिए आम तौर पर ऋण तक आसानी से पहुँच नहीं है। निम्न अथवा साधारण आय वाले परिवारों के लिए निर्धारित यूनियों के साथ निम्न आय आवास कर ऋण (एलआइएचटीसी) कार्यक्रम ने भी वित्त के कार्यकलापों को सहायता प्रदान की। इस कार्यक्रम का उद्देश्य निम्न अथवा साधारण आय वाले परिवारों द्वारा अधिभोग के लिए विकसित किये गये चयनित किराया आवास के मालिकों को कर जमा प्रदान करके निम्न आय वाले आवास की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए काफी प्रोत्साहन उपलब्ध कराना था। यद्यपि सब्सिडी पूर्णतः संघीय कर कूट (फेडरल टैक्स कोड) के माध्यम से प्रदान की जाती है, तथापि इसका प्रबंध राज्य सरकार की एजेंसियों, सामान्यतः राज्य आवास वित्त एजेंसी के माध्यम से किया जाता है। उक्त एलआइएचटीसी कार्यक्रम निम्न अथवा साधारण आय वाले परिवारों द्वारा अधिभोग हेतु आवास के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्राथमिक व्यवस्था के रूप में उभरा है (वैलेस 1995)।

विकसित देशों के मामले में यह तर्क दिया जाता है कि बंधक वित्त के लिए पहुँच को बढ़ाया जा सकता है यदि उधारदाता लक्ष्यीकृत बाजार की आवश्यकताओं और विशेषताओं के साथ अधिक घनिष्ठतापूर्वक सुयोजित करने के लिए वर्तमान बंधक उत्पादों के साथ संबद्ध संरचना और प्रक्रियाओं को पुनर्व्यवस्थापित और इष्टतम करें। उपाय जैसे सुधारित ऋण चुकौती (लोन सर्विसिंग) की प्रक्रियाएँ, पुनः परिभाषित उधारकर्ता, संपत्ति अथवा क्षेत्र का मानदंड, ऋण स्तरीय उत्पाद की विशेषताएँ जैसे बीमा अथवा समर्थक जमानत (कॉलेटरल) की अपेक्षाएँ एवं संविभाग संबंधी मध्यस्थताएँ जैसे गारंटी, ये सब ऐसी व्यवस्थाएँ हैं जिन पर विचार किया जा सकता है। तथापि, यह तर्क भी दिया जाता है कि उस विस्तार की एक सीमा है जहाँ तक बंधक उत्पाद समूचे लक्ष्य बाजार में आवास वित्त के लिए पहुँच को सुसाध्य बना सकते हैं। आवास की आवश्यकताओं के स्वरूप तथा लक्ष्य बाजार में परिवारों की वित्तीय और जोखिम पृष्ठभूमि विविधीकृत आवास वित्त उत्पादों की आवश्यकता को रेखांकित करती है।

संदर्भ :

1. बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, 2007। डेलिवरिंग अवर फाइनेंशियल इन्क्लूजन एजेंडा इन स्कॉटलैंड, मार्च।
2. एच. एम. ट्रेजरी, 2007। फाइनेंशियल इन्क्लूजन : द वे फार्वर्ड, एचएम ट्रेजरी, यूके, मार्च।
3. केंमसन, ई. 2006। पॉलिसी लेवल रेस्पांस टू फाइनेंशियल एक्सक्लूजन इन डेवलपड इकनॉमीज, लेसन्स फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, पेपर फॉर ऐक्सेस टू फाइनेंस : बिल्डिंग इन्क्लूजिव फाइनेंशियल सिस्टम्स, विश्व बैंक, वाशिंगटन, मई।
4. वैलेस, जेम्स, ई. 1995। फाइनेंसिंग एफर्डबल हाउसिंग इन द युनाइटेड स्टेट्स, हाउसिंग पॉलिसी डिबेट 6(4)।

पुनरुत्थान पैकेज भी तैयार किया जा रहा है। केंद्रीय बजट 2008-09 में घोषित किया गया कि दीर्घावधि सहकारी ऋण संरचना के पुनरुत्थान के पैकेज की विषय-वस्तु के संबंध में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच एक सहमति हुई है। जैसी कि वित्तीय समावेशन संबंधी समिति द्वारा अपनी अंतरिम रिपोर्ट में सिफारिश की गई है, सरकार ने केंद्रीय बजट 2007-08 में नाबार्ड के पास प्रत्येक 500 करोड़ रुपये की समग्र मूल

निधि (कॉर्पस) के साथ दो निधियों - वित्तीय समावेशन निधि और वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी निधि के निर्माण की घोषणा की जिससे विकास की और संस्तुत रूप में संवर्धनात्मक और प्रौद्योगिकीगत मध्यस्थताओं की लागतों को वहन किया जा सके। सरकार ने निर्दिष्ट किया कि 2007-08 के लिए उक्त दोनों निधियों में से प्रत्येक में केंद्र सरकार, रिजर्व बैंक और नाबार्ड द्वारा 25 करोड़ रुपये का प्रारंभिक अंशदान 40:40:20 के अनुपात

में किया जाएगा। उक्त निधियों में से प्रत्येक के लिए रिजर्व बैंक का प्रारंभिक अंशदान 10 करोड़ रुपये होगा। उक्त समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट जनवरी 2008 में प्रस्तुत की (बॉक्स VII.11)। वित्तीय समावेशन संबंधी समिति ने भी सिफारिश की कि राज्य सरकारें राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत भुगतान एवं सामाजिक सुरक्षा भुगतान इस प्रकार के प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के माध्यम से करें। रिजर्व बैंक ने पहले ही राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि वे सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आइसीटी) की सहायता से सरकारी अदायगियाँ बैंकों के माध्यम से करने की संभावना का पता लगाएँ (भारत सरकार, 2008ए और 2008बी)।

7.68 केंद्रीय बजट 2008-09 में घोषणा की गई कि बैंकों को संपूर्ण वित्तीय समावेशन की संकल्पना को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। उसके बाद रिजर्व बैंक ने अप्रैल 2008 में सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को स्वयं-सहायता समूह (एसएचजी) के सदस्यों की समूची ऋण आवश्यकताएँ

पूरी करने के लिए सूचित किया, अर्थात् (क) आय उत्पादन की गतिविधियाँ; (ख) सामाजिक आवश्यकताएँ जैसे आवास, शिक्षा, विवाह; तथा (ग) ऋण की अदला-बदली (स्वैपिंग)। सरकार ने मार्च 2009 तक शेष सभी सफाई कर्मचारियों (स्कैवेंजर्स) और उनके आश्रितों के पुनर्वास के लिए एक नई स्व-रोजगार योजना लागू की। उनकी आय का विचार किये बिना सफाई कर्मचारी और उनके आश्रित, जिन्हें भारत सरकार/राज्य सरकारों की किसी भी योजना के अंतर्गत पुनर्वास के लिए अभी सहायता प्रदान करना बाकी है, सहायता के लिए पात्र हैं। अभिनिर्धारित सफाई कर्मचारियों को प्रशिक्षण, ऋण और सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी। तदनुसार, रिजर्व बैंक ने अप्रैल 2008 में उक्त योजना को कार्यान्वित करने में बैंकों द्वारा अनुसरण किये जाने हेतु अपेक्षित विस्तृत दिशानिर्देश जारी किये। बैंक केवल राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम (एनएसकेएफडीसी) की राज्य वितरण-माध्यम (चैनलाइजिंग) एजेंसियों द्वारा प्रायोजित उम्मीदवारों को ऋण उपलब्ध कराएँगे तथा हिताधिकारी को संवितरण के लिए उनसे पात्र

बॉक्स VII.11

वित्तीय समावेशन संबंधी समिति की रिपोर्ट

वित्तीय समावेशन की एक कार्यनीति तैयार करने के लिए भारत सरकार द्वारा 26 जून 2006 को वित्तीय समावेशन संबंधी समिति (अध्यक्ष : डॉ. सी. रंगराजन) का गठन किया गया। उक्त समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट 4 जनवरी 2008 को प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में वित्तीय समावेशन को एक वहनीय लागत पर विशेष रूप से कमजोर वर्गों और निम्न आय वाले समूहों जैसे दुर्बल वर्गों द्वारा वित्तीय सेवाओं तथा समय पर और पर्याप्त ऋण तक पहुँच को सुनिश्चित करने की एक व्यापक और समग्र प्रक्रिया के रूप में देखा गया। अतः उक्त समिति के अनुसार वित्तीय समावेशन के अंतर्गत बैंक खातों, ऋण, विप्रेषणों और भुगतान सेवाओं, वित्तीय सलाहकार सेवाओं और बीमा सुविधाओं जैसे मुख्य धारा के वित्तीय उत्पादों तक पहुँच को शामिल किया जाना चाहिए।

उक्त रिपोर्ट में यह पाया गया कि भारत में किसान परिवारों का 51.4 प्रतिशत औपचारिक/अनौपचारिक दोनों स्रोतों से वित्तीय रूप से वंचित है तथा किसान परिवारों के 73 प्रतिशत की पहुँच ऋण के औपचारिक स्रोतों तक नहीं है। वित्तीय रूप से वंचित सभी किसान परिवारों के 64 प्रतिशत के साथ मध्य, पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में वंचन सबसे अधिक तीव्र है। उक्त रिपोर्ट के अनुसार एक समावेशक वित्तीय क्षेत्र के निर्माण के लिए समग्र कार्यनीति निम्नलिखित पर आधारित होनी चाहिए- (i) वर्तमान औपचारिक ऋण वितरण व्यवस्था के भीतर सुधार लाना; (ii) विशेष रूप से सीमांत और उप-सीमांत किसानों तथा निर्धन गैर-खेतिहर परिवारों में ऋण अवशोषण क्षमता में सुधार लाने के लिए उपाय सुझाना; (iii) प्रभावी व्यापक पहुँच के लिए नये मॉडल विकसित करना; तथा (iv) प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के संबंध में उन्नयन।

संबद्ध कार्य की विशालता को ध्यान में रखते हुए उक्त समिति ने वंचित ग्रामीण परिवारों के कम से कम 50 प्रतिशत (55.77 मिलियन) की 2012 तक तथा शेष की 2015 तक व्यापक वित्तीय सेवाओं तक पहुँच उपलब्ध कराने के लक्ष्य के साथ एक मिशन के प्रकार की राष्ट्रीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन योजना (एनआरएफआइपी) प्रारंभ करने की सिफारिश की। इसके लिए यह आवश्यक होगा कि वाणिज्य बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की अर्ध-शहरी और ग्रामीण शाखाएँ प्रति वर्ष प्रति शाखा कम से कम 250 नये खेतिहर और गैर-खेतिहर परिवारों को शामिल करें। समिति ने यह भी सिफारिश की है कि सरकार वित्तीय समावेशन संबंधी एक राष्ट्रीय मिशन (एनएएमएफआइ) गठित करे

जिसमें सभी पणधारकों (स्टेकहोल्डरों) के प्रतिनिधि हों, जो अपेक्षित समग्र नीतिगत परिवर्तन सुझाए तथा संवर्धनात्मक पहलें करने में सार्वजनिक निजी और गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) क्षेत्रों में पणधारकों (स्टेकहोल्डरों) की सहायता करे।

वाणिज्य बैंकों से संबंधित प्रमुख सिफारिशों में शामिल हैं - प्रत्येक ग्रामीण/अर्ध-शहरी शाखा में प्रति वर्ष कम से कम 250 वंचित ग्रामीण परिवारों के लिए ऋण तक पहुँच उपलब्ध कराने के लिए लक्ष्य; अगले तीन वर्षों में अभिनिर्धारित जिलों में लक्ष्यीकृत शाखा विस्तार; ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाये गये (कस्टमाइज्ड) बचत, ऋण और बीमा उत्पादों की व्यवस्था; समावेशक वित्तीय सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए मानव संसाधनों का प्रोत्साहितीकरण तथा कृषि ऋणों के लिए प्रक्रियाओं का सरलीकरण।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से संबंधित प्रमुख सिफारिशें हैं - बैंक सुविधारहित क्षेत्रों में उनकी सेवाएँ उपलब्ध कराना और उनके ऋण-जमा अनुपातों में वृद्धि करना; क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का आगे और कोई विलय नहीं करना; एक समयबद्ध तरीके से नेटवर्क को व्यापक बनाना और व्यापक में विस्तार करना; क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा वंचित क्षेत्रों के लिए अलग ऋण योजनाएँ बनाना और उनके बोर्डों को मजबूत करना।

सहकारी बैंकों के मामले में प्रमुख सिफारिशें थीं - वैद्यनाथन समिति के पुनरुत्थान पैकेज का शीघ्र कार्यान्वयन; बीसी के रूप में पीएसीएस और अन्य प्राथमिक सहकारी संस्थाओं का उपयोग तथा सहकारी संस्थाओं द्वारा वंचित समूहों के वित्तपोषण के लिए सामूहिक दृष्टिकोण अपनाना।

उक्त समिति की अन्य महत्वपूर्ण सिफारिशें हैं - वंचित क्षेत्रों में स्वयं-सहायता समूहों (एसएचजी) को प्रोत्साहित करना; स्वयं-सहायता समूहों (एसएचजी) के लिए कानूनी हैसियत; शहरी व्यष्टि-वित्त और एमएफआइ की अलग श्रेणी के लिए उपाय।

संदर्भ :

भारत सरकार, 2008। *भारत में वित्तीय समावेशन संबंधी समिति की रिपोर्ट* (अध्यक्ष : डॉ. सी. रंगराजन)। जनवरी।

पूँजी सब्सिडी का दावा करेंगे। हिताधिकारियों को ऋण का संवितरण करने के बाद बैंक की संबंधित शाखा तिमाही आधार पर राज्य वितरण-माध्यम एजेंसियों से ब्याज की सब्सिडी का दावा करेगी।

7.69 यह स्वीकार करते हुए कि वित्तीय वंचन के लिए जानकारी का अभाव एक प्रमुख कारक है, रिजर्व बैंक वित्तीय साक्षरता और ऋण संबंधी परामर्श की दिशा में अनेक उपाय कर रहा है। रिजर्व बैंक ने “परियोजना वित्तीय साक्षरता” नामक एक परियोजना प्रारंभ की है। इस परियोजना का उद्देश्य केंद्रीय बैंक और सामान्य बैंक अवधारणाओं के संबंध में स्कूल और कालेज जानेवाले बच्चों, महिलाओं, ग्रामीण और शहरी निर्धनों, रक्षा कार्मिकों, और वरिष्ठ नागरिकों सहित विभिन्न लक्ष्य समूहों को सूचना का प्रसार करना है। इसका प्रसार लक्ष्यीकृत श्रोताओं तक अन्यो के साथ-साथ बैंकों, स्थानीय सरकारी तंत्र, स्कूलों और कालेजों की सहायता से प्रस्तुतियों, पैम्फलेटों, विवरणिकाओं, फिल्मों के माध्यम से एवं रिजर्व बैंक की वेबसाइट द्वारा किया जाएगा।

7.70 इसके अलावा, वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए 18 जून 2007 को रिजर्व बैंक द्वारा बैंकिंग और आम आदमी से संबंधित सभी विषयों पर 13 भारतीय भाषाओं में एक बहुभाषी वेबसाइट शुरू की गई। स्कूली बच्चों को बैंकिंग से परिचित करानेवाली कॉमिक स्वरूप की पुस्तकें भी 14 नवंबर 2007 को रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर रखी गईं। इसी प्रकार की पुस्तकें ग्रामीण परिवारों, शहरी निर्धनों, रक्षा कार्मिकों, महिलाओं और छोटे उद्यमियों जैसे विभिन्न लक्ष्य समूहों के लिए तैयार की जाएँगी। वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम राज्य सरकारों और राज्य-स्तरीय बैंकर समिति

(एसएलबीसी) की सक्रिय संबद्धता के साथ प्रत्येक राज्य में प्रारंभ किये जा रहे हैं। रिजर्व बैंक भी ऋण संबंधी परामर्श देने के लिए उपाय शुरू करता रहा है। प्रत्येक एसएलबीसी के संयोजक से कहा गया है कि वे प्रायोगिक तौर पर एक जिले में एक ऋण-परामर्श केंद्र स्थापित करें और यथासमय अन्य सभी जिलों में इसका विस्तार करें। वित्तीय साक्षरता और ऋण परामर्श संबंधी एक संकल्पना-पत्र (कान्सेप्ट पेपर) तैयार किया गया है और जनता के अभिमतों के लिए रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर रखा गया है तथा इस संबंध में प्राप्त प्रतिक्रियाओं की जाँच की जा रही है।

7.71 भारत ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एक बहु-आयामी कार्यनीति का अनुसरण किया है। वैश्विक अनुभव से भी यह संकेत मिलता है कि जो देश दृष्टिकोणों में विविधता की अनुमति देते हैं उनके लिए बेहतर परिणाम उपलब्ध होने की संभावना रहती है। दृष्टिकोणों में विविधता न सिर्फ वित्तीय सेवाओं के लिए वैविध्यपूर्ण माँग की बेहतर पूर्ति करती है, बल्कि वह प्रणालीगत जोखिमों को कम करती है, प्रतियोगिता बढ़ाती है तथा कार्यकुशलता में भी सुधार लाती है। कई अन्य देशों ने भी लगभग इसी प्रकार का दृष्टिकोण अपनाया है (बॉक्स VII.12)।

7.72 वित्तीय वंचन की समस्या अनेक उन्नत देशों में भी पाई गई है। इन देशों ने भी वित्तीय रूप से वंचित लोगों को बैंकिंग प्रणाली के दायरे में लाने के लिए विशिष्ट उपाय प्रारंभ किये हैं। शुरू किये गये उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं - प्रथाओं की स्वैच्छिक संहिता, विधि-निर्माण द्वारा समर्थित मानदंड, मूलभूत बैंक खाते और वित्तीय सहायता प्राप्त (सब्सिडाइज्ड) खाते (बॉक्स VII.13)।

बॉक्स VII.12

चयनित देशों में वित्तीय समावेशन की कार्यनीति

ऐतिहासिक रूप से अनेक देशों में सरकारों ने वित्तीय सेवाओं तक पहुँच की समस्या का समाधान करने के लिए विभिन्न प्रकार से आपूर्ति के संबंध में मध्यस्थता की। निर्धन और निम्न आय वाले लोगों की औपचारिक वित्तीय सेवाओं तक पहुँच को व्यापक बनाने के लिए धार्मिक और अन्य नागरिक सामाजिक संगठनों ने भी माँग की है। इन उपायों में शामिल हैं (i) निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण; (ii) शाखा विनियमावली; (iii) राष्ट्रीय बचत बैंकों सहित विशेषीकृत बैंकों को बढ़ावा देना; (iv) संविभाग संरचना संबंधी निदेश; (v) निम्न आय वाले परिवारों को ऋण के संबंध में ब्याज-दर की उच्चतम सीमाएँ तथा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों को सब्सिडीकृत दरों पर ऋण की व्यवस्था; (vi) बैंकों द्वारा स्वयं ही विकसित किया गया स्वैच्छिक संहिता-पत्र (चार्टर ऑफ कोड्स); (vii) औपचारिक बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच के अधिकार को परिभाषित करते हुए कानूनों का अधिनियमन; (viii) सरकारों द्वारा अधिकार-प्राप्त और समर्पित एजेंसियों की स्थापना; (ix) नवोन्मेषणों, ऋण वितरण की मौजूदा संरचनाओं में सुधारों एवं डाक घरों और पासपोर्ट खातों जैसी वर्तमान मूलभूत व्यवस्था के मिश्रण का उपयोग करते हुए सरकारों द्वारा और बैंकों द्वारा स्वयं प्रायोजित की गई योजनाओं सहित, विशेषीकृत और प्रायोजित योजनाओं का संचालन; (x) साहूकारों के परिचालनों का सामना करना, तथा (xi) समुदाय-आधारित बचत और ऋण समितियाँ तथा म्यूच्युअल बचत बैंक, जिन्हें एक प्रकार से आधुनिक व्यष्टि-वित्त आंदोलन के अग्रदूतों के रूप में देखा जा सकता है।

उदाहरण के लिए, बंगला देश में सरकार ने वित्त की सीमा को निर्धनों के लिए आगे बढ़ाने में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को आवश्यक स्थान उपलब्ध कराने तथा ग्रामीण बैंक की स्थापना को सुसाध्य बनाने के साथ, निम्न आय वाले परिवारों के लिए ऋण और जमा सेवाओं तक पहुँच उपलब्ध कराने के लिए सरकारी स्वामित्व वाले कृषि बैंक एवं बिल्डिंग रिसोर्सेस एक्रॉस कम्युनिटी (बीआरएसी) का व्यापक तौर पर उपयोग करना जारी रखा। श्रीलंका और पाकिस्तान सहित अधिकांश एशियाई देशों ने भी वंचित लोगों तक बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करने के लिए निजी बैंकों के राष्ट्रीयकरण का सहारा लिया और निम्न आय वाले खंडों की सेवा के लिए सरकारी स्वामित्व वाले नये बैंकों की स्थापना की। इस कार्यनीति में अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं व्यष्टि-वित्त विकास योजनाएँ, शाखा नेटवर्कों का विस्तार, इस्लामिक बैंकिंग का संवर्धन तथा ग्रामीण जनता तक पहुँचने के लिए नई सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के प्रयोग का उन्नयन।

संदर्भ :

1. केम्पसन ई. ए., एटकिनसन और ओ. पिल्ले. 2004। “पालिसी लेवल रेस्पांस टू फाइनेंशियल एक्सक्लूजन इन डेवलपिंग इकनॉमीज : लेसन्स फॉर डेवलपिंग कंट्रीज।” यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल।
2. विश्व बैंक, 2008। फाइनेंस फॉर आल - पॉलिसी एण्ड पिटफाल्स इन एक्सपैंडिंग ऐक्सेस। विश्व बैंक, वाशिंगटन, डी.सी.।

बॉक्स VII.13
विभिन्न देशों में वित्तीय समावेशन की पहलें

देश	विधान/साधन/नीतिगत योजना	उद्देश्य
युनाइटेड किंगडम	सामाजिक वंचन यूनिट (एसईयू), 1997	सामाजिक वंचन को कम करना, वित्तीय समावेशन जिसका एक अभिन्न अंग है
	नीतिगत कार्रवाई टीम (पीएटी)	निर्धन पड़ोसियों की समस्याओं पर एक समन्वित तरीके से ध्यान देना
	उचित व्यापार कार्यालय	1. उपभोक्ता संरक्षण कानून और प्रतियोगिता कानून को लागू करना 2. प्रस्तावित विलयों की समीक्षा और बाजार अध्ययन का संचालन करना
	वित्तीय समावेशन कार्यदल	1. बैंकिंग तक पहुँच, वहनीय ऋण तक पहुँच 2. निःशुल्क प्रत्यक्ष धन संबंधी परामर्श तक पहुँच
	वित्तीय समावेशन निधि	1. बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच 2. वहनीय ऋण तक पहुँच 3. धन संबंधी परामर्श तक पहुँच
संयुक्त राज्य अमरीका	सामुदायिक पुनर्निवेश अधिनियम, 1977	1. निम्न और साधारण आय वाले पड़ोसियों के विरुद्ध बैंकों द्वारा भेदभाव का निषेध करता है 2. निम्न आय वाले परिवारों को बंधक ऋण उपलब्ध कराना 3. बैंकों की रेटिंग हर तीन वर्ष में सामुदायिक ऋण आवश्यकताएँ पूरी करने में उनके प्रयासों पर निर्धारित की जाती है
	समतुल्य बचत योजना (एमएसएस), 1997	1. व्यक्तिगत विकास खातों (आइडीए) में वैयक्तिक बचत की समतुल्य राशि स्थानीय और राष्ट्रीय निधियों द्वारा दी जाती है 2. समतुल्यीकृत धनराशि का व्यय शिक्षा, व्यवसाय या घरेलू खरीद जैसे निर्धारित उपयोगों के दायरे में किसी एक के लिए करना होगा
फ्रांस	बैंकिंग अधिनियम, 1984	1. फ्रांसीसी राष्ट्रीयता से युक्त किसी भी व्यक्ति को किसी भी बैंक में खाता खोलने का अधिकार है 2. यदि अस्वीकृत किया गया तो अपकृत व्यक्ति एक बैंक को नामित करने के लिए बांक द फ्रांस को आवेदन कर सकता है तथा नामित बैंक को खाता खोलना होगा
	फ्रांसीसी बैंकर संघ (1992 का मूलभूत बैंकिंग सेवा चार्टर)	निम्नलिखित को उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध <ul style="list-style-type: none"> • वहनीय खाता • नकदी कार्ड • नकदी मशीन तक निःशुल्क प्रवेश • दूरस्थ भुगतान सुविधाएँ • बैंक विवरण • चेकों की परक्राम्य संख्या
	वंचन संबंधी कानून, 1998	1. 1984 के बैंकिंग अधिनियम को दोहराया 2. खराब ऋण इतिहास के कारण वारित व्यक्तियों को लेनदेन खाते का अधिकार प्रदत्त 3. नकारे गये चेक के लिए सुधार हेतु एक अतिरिक्त महीने की अनुमति दी गई
आस्ट्रेलिया	आस्ट्रेलियन बैंकर संघ (एबीए) व्यवहार संहिता, 1995	1. 2002 में सामान्य खाता प्रारंभ किया गया 2. निम्न आय वाले ग्राहकों को स्टाफ द्वारा उपयुक्त खातों के बारे में जानकारी दी जानी है 3. शाखा बंद होने के बाद भी प्रत्यक्ष बैंकिंग सेवाएँ <i>फ्रैंचाइजिंग</i> जैसे वैकल्पिक माध्यमों द्वारा उपलब्ध कराना 4. किसी भी शाखा को बंद करने से पहले ग्राहकों को तीन महीने की लिखित सूचना देना
	ग्रामीण रूपांतरण केंद्र कार्यक्रम (आरटीसीपी)	1. बैंकिंग सुविधाओं से रहित समुदायों को बैंकिंग और अन्य लेनदेन सेवाएँ उपलब्ध कराना 2. वर्तमान भंडारों और डाक घरों या एकल केंद्रों का उपयोग करना 3. डाक घरों में इलेक्ट्रॉनिक बिक्री केंद्र (ईपीओएस) उपकरण संस्थापित करना
बेल्जियम	मूलभूत बैंकिंग सेवाओं संबंधी चार्टर, 1996	1. न्यूनतम शेष राशि और ओवरड्राफ्ट सुविधाओं से रहित मूलभूत बैंक खाता उपलब्ध कराना 2. जमा अंतरण, प्रत्यक्ष नामे, तथा जमा और आहरण की सुविधाएँ 3. यदि अस्वीकृत हो तो ग्राहक को अवश्य कारण बताना होगा अर्थात् धन शोधन, खराब ऋण इतिहास आदि
	मूलभूत बैंकिंग अधिनियम, 2003	यदि मूलभूत बैंकिंग सेवाओं संबंधी चार्टर, 1996 के सिद्धांतों को लागू नहीं किया गया तो दंड का विधान
कनाडा	मूलभूत बैंकिंग सेवा विनियमावली, 2003 तक पहुँच	1. रोजगार या ऋण इतिहास का विचार किये बिना सभी कनाडियनों के लिए न्यूनतम पहचान की अपेक्षाओं सहित वैयक्तिक बैंक खाते 2. बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को किसी प्रभार के बिना सरकारी चेक भुनाने होंगे
	कनाडा की वित्तीय उपभोक्ता एजेंसी (एफसीएसी), 2001	1. कनाडा के बैंक अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं संबंधी पर्यवेक्षी व्यवस्थाएँ 2. मूलभूत बैंकिंग तक पहुँच 3. उपभोक्ता संरक्षण उपाय और उपभोक्ता शिक्षण का विस्तार 4. ग्रामीण बैंकिंग अर्थात् यह अपेक्षित होगा कि शाखा बंद होने की स्थिति में बैंक को चार महीने की सूचना तथा यदि 10 कि.मी. के दायरे में वह एकमात्र शाखा है तो छह महीने की सूचना देनी होगी

7.73 सारांश के तौर पर रिजर्व बैंक और सरकार द्वारा बेहतर बैंकिंग व्यापन और अधिक प्रसार (आउटरीच) को सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत ढाँचे का एक विस्तृत तंत्र स्थापित किया गया है ताकि बैंकों को इस प्रयोजन के लिए अपनी स्वयं की नीतियाँ और कार्यनीतियाँ विकसित करने के लिए पर्याप्त लचीलेपन की अनुमति देते हुए कृषि और छोटे उद्यमों की ऋण आवश्यकताएं पूरी की जा सकें। जबकि भारत में वित्तीय समावेशन के लिए नीतिगत पहलें 1960 के दशक के उत्तरार्ध में प्रारंभ हुईं, 1970 और 1980 के दशकों में न्यायसंगत वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए ऋण को सरणीबद्ध करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। 1990 और 2000 के दशकों में व्यष्टि-ऋण वित्तीय समावेशन के लिए एक मुख्य साधन के रूप में उभरा है।

V. भारत में वित्तीय समावेशन/वंचन का मूल्यांकन

7.74 जैसी कि पिछले खंड में चर्चा की गई है, वित्तीय सेवाओं तक पहुंच को व्यापक बनाना सामान्य रूप से वित्तीय क्षेत्र की नीतियों और विशेष रूप से बैंकिंग क्षेत्र की नीतियों का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। भारत में बैंकिंग क्षेत्र तक पहुंच को व्यापक बनाने के प्रति पहलें 1960 के दशक के उत्तरार्ध में शुरू हुईं। जैसा कि अध्याय III में विवरण दिया गया है, बैंकिंग क्षेत्र की नीतियाँ विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में औपचारिक वित्तीय प्रणाली के दायरे से बाहर रह गए आबादी के एक बड़े खंड के संबंध में निरंतर चिंता के उपलक्ष्य में बनाई गईं। 1960 के दशक से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए रिजर्व बैंक और भारत सरकार द्वारा की गई पहलों ने औपचारिक वित्तीय संस्थाओं तक पहुंच में काफी सुधार किया है। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के अलावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों और समितियों, डाक घरों और बीमा कंपनियों ने जनता की वित्तीय आवश्यकताएं पूरी करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तथापि, वित्तीय समावेशन के विभिन्न पहलुओं की प्रगति के संबंध में व्यापक सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। अतः इस खंड में विश्लेषण विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आंशिक सूचना के खंडों पर आधारित है, जैसे राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) द्वारा एक दशक में एक बार जारी किया जानेवाला अखिल भारतीय ऋण और निवेश सर्वेक्षण (एआइडीआइएस)⁶ तथा समय-समय पर रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित विभिन्न बैंकिंग संबंधी आंकड़े। यह विश्लेषण एनसीईआर-मैक्स न्यूयार्क लाइफ एवं इंडिया इन्वेस्ट मार्केट सोल्यूशन्स (आइआइएमएस) द्वारा किये गये सर्वेक्षणों पर आधारित सूचना/आंकड़ों द्वारा भी संपूरित है। एनएसएसओ द्वारा जारी किया गया नवीनतम सर्वेक्षण संदर्भ वर्ष 2002 से संबंधित है जो 143,285 परिवारों (ग्रामीण क्षेत्र में 91,192 और शहरी क्षेत्र में 52,093) के नमूना आकार के साथ है जोकि देश में परिवारों की कुल संख्या (203.4 मिलियन) का 0.07 प्रतिशत बनता है। उक्त एनसीईआर-मैक्स न्यूयार्क लाइफ सर्वेक्षण वर्ष 2004-05 के लिए 63,016 परिवारों के नमूना आकार के साथ किया

गया जिनका उपयोग 205.9 मिलियन परिवारों के लिए अनुमान लगाने के प्रयोजन से किया गया था। उक्त आइआइएमएस सर्वेक्षण वर्ष 2006-07 के लिए 100,000 उत्तरदाताओं के नमूने के आधार पर देश में 321 मिलियन अर्जकों के लिए अनुमान उपलब्ध कराते हुए किया गया था। अर्जक की परिभाषा एक ऐसे व्यक्ति के रूप में दी गई जो 18-59 वर्ष की आयु का है और कुछ नकदी आय प्राप्त करता है।

7.75 उक्त एनएसएसओ और अन्य एजेंसियों द्वारा किये गये सर्वेक्षण के आंकड़ों, तथा अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की मूलभूत सांख्यिकीय विवरणियों (बीएसआर) के माध्यम से प्राप्त बैंकिंग संबंधी आंकड़ों के अलावा, पीएसएस, शहरी सहकारी बैंकों, डाक घरों, बीमा कंपनियों एवं एसएचजी/एमएफआइ से संबंधित आंकड़ों का भी विश्लेषण किया गया। चूंकि विभिन्न आंकड़ों के सेट विभिन्न पद्धतियों और परिभाषाओं पर आधारित हैं, अतः विभिन्न आंकड़ों के सेटों का प्रतिपादन और उनकी तुलना करते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता है। एनएसएसओ के नवीनतम आंकड़े 2002 के साथ समाप्त दशक से संबंधित हैं। हाल के वर्षों में कृषि क्षेत्र को ऋण की उपलब्धता में वृद्धि करने तथा विशेष रूप से निम्न आय वाले खंडों को बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच उपलब्ध कराने के लिए अनेक पहलें की गई हैं। अतः वित्तीय समावेशन की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए 2002 के बाद के आंकड़ों को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इस प्रयोजन के लिए बीएसआर डाटा का उपयोग किया गया है। एनएसएसओ के एआइडीआइएस सर्वेक्षण से केवल परिवारों की ऋणग्रस्तता के संबंध में ही सूचना मिलती है; इससे बचत जमाराशियों के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं होती। दूसरी ओर, बीएसआर आंकड़ों की प्रमुख सीमा एक ही व्यक्ति के द्वारा धारित बहुविध खाते हैं जिससे वित्तीय समावेशन/वंचन की सीमा के बारे में पक्के निष्कर्ष निकालना कठिन हो जाता है। इस प्रकार इस खंड में भारत में वित्तीय समावेशन की प्रगति के मूल्यांकन का जो प्रयास किया गया है, वह संबंधित आंकड़ों/सूचना की कुछ सीमाओं और अनुपलब्धता के अधीन है।

वित्तीय समावेशन : ऋण का पहलू (सर्वेक्षणों पर आधारित विश्लेषण)

7.76 राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) का अखिल भारतीय ऋण और निवेश सर्वेक्षण (एआइडीआइएस), जो सर्वप्रथम रिजर्व बैंक द्वारा 1951 में अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण के रूप में प्रारंभ किया गया था, परिवारों की ऋणग्रस्तता के स्वरूप के संबंध में सूचना उपलब्ध कराता है। यह सर्वेक्षण दशकीय आधार पर संचालित किया जाता है। फिर भी, पहले तीन सर्वेक्षणों ने केवल ग्रामीण परिवारों के संबंध में ही सूचना का संग्रहण किया था। 1981 में चौथे सर्वेक्षण से प्रारंभ करके शहरी परिवारों की ऋणग्रस्तता के संबंध में भी सूचना उपलब्ध करायी गयी है।

⁶ अखिल भारतीय ऋण और निवेश सर्वेक्षण (एआइडीआइएस) के पहले दो दौरों को रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित किया गया।

7.77 ऋणग्रस्त परिवारों की संख्या समग्र रूप में एवं कुल परिवारों के प्रतिशत के रूप में भी 1961 और 1981 के बीच की अवधि के दौरान तेजी से घट गई। फिर भी, उसके बाद परिवारों की ऋणग्रस्तता ऋणग्रस्त परिवारों की संख्या के रूप में तथा कुल परिवारों के प्रतिशत के रूप में ऋणग्रस्त परिवारों की स्थिति दोनों के तौर पर, शहरी क्षेत्रों में कुल परिवारों के संबंध में ऋणग्रस्त दोनों परिवारों की संख्या में सीमांत रूप में गिरावट को छोड़कर ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में उल्लेखनीय रूप में बढ़ गई। कुल मिलाकर भारत में 1991 के लगभग 22 प्रतिशत की तुलना में 2002 में भारत में कुल परिवारों का लगभग 24 प्रतिशत ऋणग्रस्त था। कुल ऋणग्रस्त परिवारों में ग्रामीण ऋणग्रस्त परिवारों का अंश 1991 के लगभग 77 प्रतिशत से बढ़कर 2002 में लगभग 80 प्रतिशत हो गया। ऋणग्रस्तता (कुल परिवारों के प्रतिशत के रूप में ऋणग्रस्त परिवार) शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक थी। इसके अलावा, ग्रामीण/शहरी ऋणग्रस्तता के बीच अंतर 1991 की तुलना में 2002 में विस्तृत हो गया (सारणी 7.4)। 2008 में एनसीईआर द्वारा जारी किये गये एक और सर्वेक्षण के अनुसार जून 2005 की समाप्ति पर सभी भारतीय परिवारों का 23.9 प्रतिशत (49.2 मिलियन) बकाया ऋणों से ग्रस्त था जिसमें से शहरी क्षेत्रों का अनुपात 20.9 प्रतिशत (12.8 मिलियन) और ग्रामीण क्षेत्रों में यह अनुपात 25.2 प्रतिशत (36.4 मिलियन) था (एनसीईआर, 2008)।

7.78 सर्वेक्षणों के विभिन्न दौरों के अनुसार ग्रामीण परिवारों के बकाया ऋण की कुल राशि सांकेतिक तौर पर पिछले सभी चारों दशकों (1960, 1970, 1980 और 1990 के दशकों) में उल्लेखनीय रूप में बढ़ी। शहरी परिवारों का बकाया कर्ज भी 1980 और 1990 के दशकों में बढ़ा। 1990 के दशक में ग्रामीण परिवारों के कर्ज में वृद्धि सांकेतिक और वास्तविक दोनों तौर पर किसी भी दशक में हुई सबसे अधिक वृद्धि थी। 1991-2002 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में सांकेतिक

सारणी 7.4 : ऋणग्रस्त परिवारों की संख्या

(मिलियन)

जून का अंत	ग्रामीण	शहरी	कुल
1	2	3	4
1961	43.1 (62.8)	@	43.1 @ (62.8)
1971	31.8 (41.3)	@	31.8 @ (41.3)
1981	18.2 (19.4)	5.0 (17.2)	23.2 (18.9)
1991	27.2 (23.4)	8.1 (19.3)	35.3 (22.3)
2002	39.2 (26.5)	9.9 (17.8)	49.1 (24.1)

@: 1961 और 1971 के सर्वेक्षणों के लिए केवल ग्रामीण परिवारों संबंधी सूचना ही संगृहीत की गई।

टिप्पणी : कोष्ठक में आंकड़े कुल परिवारों के प्रतिशत के रूप में ऋणग्रस्त परिवारों की संख्या दर्शाते हैं।

स्रोत : एआइडीआइएस सर्वेक्षण; विभिन्न दौर।

तौर पर बकाया कर्ज 15.8 प्रतिशत की वार्षिक चक्रवृद्धि दर से बढ़ा, जबकि वास्तविक तौर पर उसमें 8.5 प्रतिशत (1980 के दशक में 4.3 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। शहरी क्षेत्रों में बकाया कर्ज सांकेतिक और वास्तविक दोनों रूप में 1991 और 2002 के बीच ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में कुछ निम्नतर दर से बढ़ा (सारणी 7.5)।

7.79 ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में वास्तविक रूप में प्रति ऋणग्रस्त परिवार बकाया कर्ज 1991 और 2002 के बीच तेजी से बढ़ा (सारणी 7.6)।

7.80 ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में ऋणग्रस्तता सामान्यतः आय के स्तरों में वृद्धि के साथ ही बढ़ी [जो आस्ति धारण करनेवाली श्रेणियों (एएचसी) द्वारा निरूपित है]। ग्रामीण और शहरी परिवारों में विभिन्न एएचसी के अंतर्गत ऋणग्रस्तता का स्वरूप 1991 और 2002 के बीच मोटे तौर पर अपरिवर्तित रहा (सारणी 7.7)। उच्चतर एएचसी में ऋणग्रस्तता में वृद्धि अन्य बातों के साथ-साथ समर्थक जमानत (कॉलेटरल) प्रस्तुत करने के द्वारा उधार लेने की उनकी बढ़ी हुई क्षमता,

सारणी 7.5 : परिवारों का बकाया ऋण

(राशि करोड़ रुपये में)

जून का अंत	ग्रामीण	शहरी	कुल
1	2	3	4
1961	2,789 (21.4)	@	2,789 @ (21.4)
1971	3,752 (12.2)	@	3,752 @ (12.2)
1981	6,193 (6.2)	3,023 (4.3)	9,216 (5.4)
1991	22,211 (6.3)	15,232 (5.1)	37,443 (5.7)
2002	1,11,468 (9.4)	65,327 (5.1)	1,76,795 (7.2)

सांकेतिक रूप में संयोजित वार्षिक वृद्धि दर (प्रतिशत)

1961-71	3.0	@	3.0 @
1971-81	5.1	@	5.1 *
1981-91	13.6	17.6	15.0
1991-2002	15.8	14.2	15.2

1999-2000 की कीमतों पर संयोजित वार्षिक वृद्धि दर (प्रतिशत)

1961-71	-3.2	@	-3.2 @
1971-81	-3.7	@	-3.7 *
1981-91	4.3	7.9	5.6
1991-2002	8.5	7.0	7.9

@: 1961 और 1971 के सर्वेक्षणों के लिए केवल ग्रामीण परिवारों संबंधी सूचना ही संगृहीत की गई।

* : ग्रामीण परिवारों से संबंधित।

टिप्पणी : कोष्ठक में आंकड़े चालू बाजार कीमतों पर जीडीपी का प्रतिशत हैं। चालू बाजार कीमतों पर ग्रामीण/शहरी जीडीपी की गणना कुल एनडीपी में ग्रामीण/शहरी एनडीपी के अंश को प्रयुक्त कर की गई, जो राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन (सीएसओ) में प्रकाशित है।

स्रोत : एआइडीआइएस सर्वेक्षण, विभिन्न दौर।

सारणी 7.6 : प्रति ऋणग्रस्त परिवार बकाया ऋण

जून का अंत	ग्रामीण	शहरी	कुल
1	2	3	4
संकेतिक रूप			
1961	647	@	647@
1971	1,180	@	1,180@
1981	3,411	5,996	3,972
1991	8,166	18,805	10,607
2002	28,443	65,983	36,006
1999-00 की कीमतों पर			
1961	12,629	@	12,629@
1971	12,356	@	12,356@
1981	14,904	26,200	17,359
1991	15,105	34,785	19,621
2002	25,711	59,645	32,548

@: 1961 और 1971 के सर्वेक्षणों के लिए केवल ग्रामीण परिवारों संबंधी सूचना ही संगृहीत की गई।
 स्रोत : एआइडीआइएस सर्वेक्षण, विभिन्न दौर।

ऋणदाताओं के विश्वास के संवर्धित स्तर, ऐसे परिवारों की उच्चतर वित्तपोषण की आवश्यकताओं और वित्त के विभिन्न स्रोतों की उपलब्धता के बारे में उनकी जानकारी के कारण थी।

7.81 संस्थागत (सरकार, सहकारी समितियाँ और बैंक) और गैर-संस्थागत (भूस्वामी और साहूकार) स्रोत स्थूल रूप से ऐसे दो मुख्य स्रोत हैं जिनसे परिवार उधार लेते हैं। 1981 और 1991 के बीच संस्थागत स्रोतों के प्रति ऋणग्रस्त परिवारों की संख्या तेजी से बढ़ी, जबकि गैर-संस्थागत स्रोतों के प्रति ऋणग्रस्त परिवारों की संख्या तदनु रूप घट गई। 1991 और 2002 के बीच दोनों ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में समग्र रूप में संस्थागत स्रोतों के प्रति ऋणग्रस्त परिवारों की संख्या लगातार बढ़ती रही। तथापि, पिछले तीन दशकों की प्रवृत्ति को उलटते हुए कुल ऋणग्रस्त परिवारों में संस्थागत स्रोतों के प्रति ऋणग्रस्त परिवारों का अंश कम हुआ, जबकि गैर-संस्थागत स्रोतों के प्रति ऋणग्रस्त परिवारों की संख्या बढ़ गई। यह गिरावट ग्रामीण परिवारों के बीच अपेक्षाकृत अधिक सुस्पष्ट थी और यह सभी तीनों प्रमुख संस्थागत एजेंसियों अर्थात् सरकारी विभागों, सहकारी समितियों और वाणिज्य बैंकों का सहारा लेने में आई कमी के कारण थी (सारणी 7.8)। वित्तीय समावेशन संबंधी समिति की रिपोर्ट (भारत सरकार, 2008) के अनुसार एनएसएसओ के डेटा के मुताबिक कुल 89.3 मिलियन परिवारों में से देश में 45.9 मिलियन किसान परिवारों की संस्थागत अथवा गैर-संस्थागत स्रोतों से ऋण तक पहुँच नहीं है। परिवारों के बकाया ऋण के स्वरूप में भी लगभग ऐसी ही प्रवृत्ति पाई गई। संस्थागत

सारणी 7.7 : परिवारों की ऋणग्रस्तता - आस्ति धारिता-वार*

आस्ति धारिता (रु. '000)	जून 1991 का अंत ग्रामीण	जून 1991 का अंत शहरी	आस्ति धारिता (रु. '000)	जून 2002 का अंत ग्रामीण	जून 2002 का अंत शहरी
1	2	3	4	5	6
5 से कम	11.8	9.6	15 से कम	15.0	10.7
5-10	19.9	13.8	15-30	19.0	14.8
10-20	20.3	18.1	30-60	25.2	14.8
20-30	24.1	17.2	60-100	26.5	18.3
30-50	24.5	19.6	100-150	28.9	19.7
50-70	23.9	20.1	150-200	28.7	20.0
70-100	24.0	22.6	200-300	28.7	19.9
100-150	26.9	24.7	300-450	28.7	18.7
150-250	25.6	25.8	450-800	31.0	22.5
250 से अधिक	29.7	25.2	800 से अधिक	32.9	21.4
सभी	23.4	19.3	सभी	26.5	17.8

*: प्रत्येक आस्ति धारिता श्रेणी (एचसी) के अंतर्गत कुल परिवारों के प्रतिशत के रूप में ऋणग्रस्त परिवारों की संख्या दर्शाता है।
 स्रोत : एनएसएसओ 48वें और 59वें दौर के सर्वेक्षण।

स्रोतों का अंश, जो 1981 और 1991 के बीच तेजी से बढ़ा था, 1991 और 2002 के बीच घट गया (सारणी 7.9)।

7.82 आय के स्तरों को द्योतित करनेवाले विभिन्न एचसी में परिवारों की ऋणग्रस्तता का स्वरूप यह दर्शाता है कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में निम्नतर आय समूहों द्वारा गैर-संस्थागत स्रोतों का आश्रय लेना अपेक्षाकृत अधिक है। दूसरे शब्दों में, जैसे-जैसे आय के स्तर ऊपर उठते हैं, वैसे ही गैर-संस्थागत स्रोतों से उधार लेनेवाले लोगों का अनुपात घटने की प्रवृत्ति दर्शाता है (सारणी 7.10)।

7.83 आइआइएमएस द्वारा किये गये इन्वेस्ट इंडिया आय और बचत सर्वेक्षण (2007)⁷ से भी इसकी पुष्टि होती है जो यह संकेत करता है कि उच्चतर आय स्तर वाले अर्जक गैर-संस्थागत स्रोतों की तुलना में संस्थागत स्रोतों से अधिक उधार लेते हैं। इस सर्वेक्षण में यह पाया गया कि 50,000 रुपये से कम के आय-वर्ग के अर्जकों के मामले में दर्ज केवल 27.5 प्रतिशत की तुलना में 400,000 रुपये से अधिक के वार्षिक आय वर्ग में आनेवाले अर्जकों में से 70 प्रतिशत ने संस्थागत स्रोतों से उधार लिया (सारणी 7.11)।

7.84 गैर-संस्थागत स्रोतों पर निम्न आय वाले परिवारों की अपेक्षाकृत रूप में बढ़ी हुई निर्भरता अनेक उपादानों के कारण हो सकती है। निम्न आय स्तरों पर अपेक्षाओं में सामान्य रूप से ऐसे प्रयोजनों के लिए उधार शामिल हैं जिनके लिए संस्थागत स्रोतों से ऋण तत्काल उपलब्ध नहीं होते। औपचारिक वित्तीय प्रणाली का सहारा लेने के लिए

7 इस सर्वेक्षण ने 100 हजार उत्तरदाताओं के नमूने के आधार पर देश में 321 मिलियन अर्जकों के लिए अनुमान उपलब्ध कराये।

सारणी 7.8 : ऋणग्रस्त परिवारों की संख्या - संस्थागत *बनाम* गैर-संस्थागत स्रोत

(जून के अंत में)

ऋण एजेंसी	ग्रामीण					शहरी			कुल		
	1961	1971	1981	1991	2002	1981	1991	2002	1981	1991	2002
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
मिलियन											
I. संस्थागत एजेंसियाँ	7.5	7.6	8.9	18.2	19.8	2.3	4.9	5.2	11.2	23.1	25.0
<i>जिनमें से :</i>	-	(0.2)	(1.5)	(7.4)	(0.8)	-	(7.9)	(0.4)	-	(7.5)	(0.7)
(i) सरकार	3.7	2.6	1.0	2.0	1.2	0.5	1.0	0.6	1.4	2.9	1.7
(ii) सहकारी समितियाँ	6.9	5.9	6.1	7.8	10.2	1.1	2.0	2.0	7.1	9.8	12.2
(iii) वाणिज्य बैंक	-	(-1.5)	(0.3)	(2.6)	(2.5)	-	(6.9)	(-0.2)	-	(3.3)	(2.0)
	0.3	0.3	2.9	8.7	8.4	0.7	1.5	1.8	3.6	10.3	10.2
	-	(2.1)	(24.0)	(11.6)	(-0.3)	-	(8.2)	(1.3)	-	(11.0)	(-0.1)
II. सभी गैर-संस्थागत एजेंसियाँ	35.6	24.2	9.3	11.4	22.9	2.7	3.9	5.2	12.0	15.3	28.1
<i>जिनमें से :</i>	-	(-3.8)	(-9.1)	(2.1)	(6.5)	-	(3.7)	(2.6)	-	(2.5)	(5.7)
(i) भूस्वामी	0.6	3.6	1.1	1.3	0.6	0.1	0.1	0.1	1.2	1.4	0.6
(ii) कृषिगत साहूकार	22.0	8.2	2.4	2.7	4.9	0.1	0.2	0.1	2.5	2.8	5.0
(iii) पेशेवर साहूकार	7.6	5.0	1.9	3.6	10.2	0.8	1.4	2.7	2.7	5.0	12.9
III. सभी एजेंसियाँ	43.1	31.8	18.2	27.2	39.2	5.0	8.1	9.9	23.2	35.3	49.1
	-	(-3.0)	(-5.5)	(4.1)	(3.4)	-	(4.8)	(1.9)	-	(4.3)	(3.0)
कुल ऋणग्रस्त परिवारों में से प्रतिशत											
I. संस्थागत एजेंसियाँ	17.3	24.0	48.8	66.7	50.6	46.0	61.1	52.2	48.2	65.4	50.9
<i>जिनमें से :</i>											
(i) सरकार	8.6	8.3	5.4	7.3	3.0	9.0	11.9	5.6	6.2	8.3	3.5
(ii) सहकारी समितियाँ	15.9	18.5	33.4	28.6	26.0	20.9	25.4	20.2	30.7	27.9	24.9
(iii) वाणिज्य बैंक	0.6	1.1	16.0	32.1	21.5	14.0	19.2	18.0	15.5	29.1	20.8
II. सभी गैर-संस्थागत एजेंसियाँ	82.7	76.0	51.2	41.9	58.5	54.0	48.7	52.8	51.8	43.4	57.3
<i>जिनमें से :</i>											
(i) भूस्वामी	1.4	11.2	6.2	4.7	1.5	1.4	1.0	0.6	5.1	3.9	1.3
(ii) कृषिगत साहूकार	51.0	25.8	13.2	9.8	12.5	2.2	2.1	1.1	10.8	8.1	10.2
(iii) पेशेवर साहूकार	17.7	15.7	10.5	13.2	26.0	16.4	17.6	27.5	11.8	14.2	26.3
III. सभी एजेंसियाँ	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
- : उपलब्ध नहीं											
टिप्पणी : 1. कोष्ठक में आंकड़े संयोजित वार्षिक संवृद्धि दरें हैं ।											
2. बहुविध एजेंसियों से उधार के कारण संभव है, उप-घटकों का जोड़ कुल से मेल न खाए ।											
स्रोत : अखिल भारतीय ऋण और निवेश सर्वेक्षण (एआइडीआइएस), विभिन्न दौर ।											

समर्थक जमानत (कॉलेटरल) देने में असमर्थता एक और महत्वपूर्ण कारक हो सकता है। दूसरी ओर, ग्रामीण और शहरी दोनों परिवारों में संस्थागत स्रोतों के प्रति उच्चतर एएचसी की अधिकाधिक ऋणग्रस्तता उधार लेने के लिए उनकी बढ़ी हुई क्षमता, उधारदाताओं के उन पर बढ़े हुए विश्वास के स्तर, ऐसे परिवारों की उच्चतर वित्तपोषण की आवश्यकताओं तथा वित्त के विभिन्न स्रोतों की उपलब्धता के बारे में उनकी अपेक्षाकृत अधिक जानकारी के कारण हो सकती है।

7.85 एनएसएसओ के सर्वेक्षण के 59वें दौर के अनुसार बकाया घरेलू ऋण में गैर-संस्थागत स्रोतों का अंश 1991 की तुलना में

2002 में तेजी से बढ़ा। 1991 और 2002 के बीच समग्र घरेलू ऋण में वृद्धि और गैर-संस्थागत स्रोतों के प्रति ऋणग्रस्त परिवारों के अंश में वृद्धि के लिए प्रमुख कारण विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में वर्तमान कृषि व्यय और घरेलू व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि थी (सारणी 7.12)। 'घरेलू व्यय' के अंतर्गत शामिल हैं - आवासीय भूखंड खरीदने पर किया गया व्यय; आवासीय प्रयोजनों के लिए भवन की खरीद, निर्माण, संवर्धन/परिवर्तन; अन्यो के साथ-साथ टिकाऊ घरेलू परिसंपत्तियों, वस्त्रों की खरीद एवं डाक्टरी चिकित्सा, शिक्षा, विवाह और पारिवारिक अनुष्ठानों के संबंध में व्यय (अनुबंध VII.1)। इस प्रकार 'घरेलू

सारणी 7.9 : परिवारों का बकाया ऋण - संस्थागत बनाम गैर-संस्थागत स्रोत

(जून के अंत में)

ऋण एजेंसी	ग्रामीण						शहरी			कुल		
	1951	1961	1971	1981	1991	2002	1981	1991	2002	1981	1991	2002
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
राशि करोड़ रुपये में												
I. संस्थागत एजेंसियाँ	-	413	1,094	3,794	14,215	63,648	1,813	10,662	49,060	5,606	24,878	1,12,708
	-	-	(10.2)	(13.2)	(14.1)	(14.6)	-	(19.4)	(14.9)	-	(16.1)	(14.7)
जिनमें से :												
(i) सरकार	-	147	250	247	1,355	2,564	443	1,691	4,965	689	3,046	7,529
(ii) सहकारी समितियाँ	-	255	753	1,773	4,798	30,431	528	2,620	13,392	2,302	7,417	43,823
	-	-	(11.4)	(8.9)	(10.5)	(18.3)	-	(17.4)	(16.0)	-	(12.4)	(17.5)
(iii) वाणिज्य बैंक	-	12	82	1,736	7,485	27,310	679	3,290	19,402	2,415	10,775	46,712
	-	-	(21.6)	(35.7)	(15.7)	(12.5)	-	(17.1)	(17.5)	-	(16.1)	(14.3)
II. सभी गैर-संस्थागत एजेंसियाँ	-	2,376	2,658	2,399	7,996	47,820	1,210	4,570	16,266	3,610	12,566	64,086
	-	-	(1.1)	(-1.0)	(12.8)	(17.7)	-	(14.2)	(12.2)	-	(13.3)	(16.0)
जिनमें से :												
(i) भूस्वामी	-	25	324	247	888	1,115	30	91	131	276	980	1,245
(ii) कृषिगत साहूकार	-	1,281	867	531	1,577	11,147	109	152	588	640	1,729	11,735
(iii) पेशेवर साहूकार	-	416	517	512	2,332	21,848	269	1,401	8,623	781	3,734	30,471
III. सभी एजेंसियाँ	-	2,789	3,752	6,193	22,211	1,11,468	3,023	15,232	65,327	9,216	37,443	1,76,795
	-	-	(3.0)	(5.1)	(13.6)	(15.8)	-	(17.6)	(14.2)	-	(15.0)	(15.2)
कुल बकाया ऋण में से प्रतिशत												
I. संस्थागत एजेंसियाँ	7.2	14.8	29.2	61.3	64.0	57.1	60.0	70.0	75.1	60.8	66.4	63.8
जिनमें से :												
(i) सरकार	3.7	5.3	6.7	4.0	6.1	2.3	14.6	11.1	7.6	7.5	8.1	4.3
(ii) सहकारी समितियाँ	3.5	9.1	20.1	28.6	21.6	27.3	17.5	17.2	20.5	25.0	19.8	24.8
(iii) वाणिज्य बैंक	*	0.4	2.2	28.0	33.7	24.5	22.5	21.6	29.7	26.2	28.8	26.4
II. सभी गैर-संस्थागत एजेंसियाँ	92.8	85.2	70.8	38.7	36.0	42.9	40.0	30.0	24.9	39.2	33.6	36.2
जिनमें से :												
(i) भूस्वामी	3.5	0.9	8.6	4.0	4.0	1.0	1.0	0.6	0.2	3.0	2.6	0.7
(ii) कृषिगत साहूकार	25.2	45.9	23.1	8.6	7.1	10.0	3.6	1.0	0.9	6.9	4.6	6.6
(iii) पेशेवर साहूकार	46.4	14.9	13.8	8.3	10.5	19.6	8.9	9.2	13.2	8.5	10.0	17.2
III. सभी एजेंसियाँ	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

- : उपलब्ध नहीं। * : सहकारी समितियों के अंतर्गत सम्मिलित।

टिप्पणी : कोष्ठक में आंकड़े संयोजित वार्षिक वृद्धि दरें हैं।

स्रोत : अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण, 1951-52, एवं एआइडीआइएस के विभिन्न दौर।

व्यय' में ऐसी कई मदें शामिल हैं जिनके लिए संस्थागत स्रोतों से ऋण प्राप्त करने में परिवार कठिनाई महसूस कर सकते हैं।

7.86 हाल की अवधि के लिए इन्वेस्ट इंडिया आय और बचत सर्वेक्षण (आइआइएमएस, 2007) भी यह सूचित करता है कि परिवारों द्वारा ऋण का एक बड़ा अंश वित्तीय आपात, चिकित्सा आपात और सामाजिक दायित्व पूरे करने के लिए लिया जाता है। ऋणग्रस्त अर्जकों द्वारा प्राप्त किये गये ऋणों का लगभग 53 प्रतिशत इन तीनों प्रयोजनों के लिए लिया गया है। इसके अलावा, गैर-संस्थागत

स्रोतों के प्रति ऋणग्रस्त 60 प्रतिशत से अधिक अर्जकों ने उपर्युक्त तीनों प्रयोजनों के लिए ऋण लिये हैं (सारणी 7.13)। आपात की स्थितियों के मामले में लोगों को अपनी ऋण आवश्यकताओं के लिए गैर-संस्थागत स्रोतों से संपर्क करना सुविधाजनक लग सकता है। उदाहरण के लिए वित्तीय आपात स्थितियों में शामिल हैं - अन्य बातों के साथ-साथ कारोबार के संबंध में अनियोजित व्यय, उपभोग और विवाह जिनके लिए वित्त बैंकों और अन्य संस्थागत एजेंसियों द्वारा प्रदान नहीं किया जाता।

सारणी 7.10 : संस्थागत और गैर-संस्थागत ऋण एजेंसियों में ऋणग्रस्त परिवारों का वितरण*

(प्रतिशत)

आस्ति धारिता (रु. '000)	जून 1991 के अंत में			आस्ति धारिता (रु. '000)	जून 2002 के अंत में		
	संस्थागत	गैर- संस्थागत	सभी		संस्थागत	गैर- संस्थागत	सभी
1	2	3	4	5	6	7	8
ग्रामीण परिवार							
5 से कम	44.9	62.7	107.6	15 से कम	24.0	80.0	104.0
5-10	49.2	51.8	101.0	15-30	32.6	73.2	105.8
10-20	52.7	53.2	105.9	30-60	34.5	70.2	104.8
20-30	64.3	39.4	103.7	60-100	41.1	66.8	107.9
30-50	62.4	44.9	107.3	100-150	47.1	61.9	109.0
50-70	66.1	42.3	108.4	150-200	50.9	59.6	110.5
70-100	70.0	40.0	110.0	200-300	56.4	54.7	111.1
100-150	72.1	41.6	113.8	300-450	65.2	46.0	111.1
150-250	78.9	34.4	113.3	450-800	71.0	41.9	112.9
250 से अधिक	85.9	26.6	112.5	800 से अधिक	81.2	31.3	112.5
सभी	66.7	41.9	108.5	सभी	50.6	58.5	109.1
शहरी परिवार							
5 से कम	30.2	75.0	105.2	15 से कम	13.1	88.8	101.9
5-10	35.5	73.2	108.7	15-30	16.2	86.5	102.7
10-20	48.6	59.1	107.7	30-60	30.4	74.3	104.7
20-30	47.1	53.5	100.6	60-100	39.3	65.0	104.4
30-50	57.1	54.6	111.7	100-150	42.1	61.9	104.1
50-70	59.7	52.2	111.9	150-200	44.5	60.0	104.5
70-100	54.9	51.8	106.6	200-300	55.8	50.8	106.5
100-150	76.9	40.9	117.8	300-450	64.7	43.9	108.6
150-250	67.8	43.0	110.9	450-800	75.1	32.0	107.1
250 से अधिक	84.1	27.4	111.5	800 से अधिक	86.4	19.6	106.1
सभी	61.1	48.7	109.8	सभी	52.2	52.8	105.1

* : प्रत्येक एएचसी के अंतर्गत संस्थागत और गैर-संस्थागत स्रोतों के बीच ऋणग्रस्त परिवारों के वितरण प्रतिशत

टिप्पणी : कुल जोड़ 100 से अधिक हो जाता है क्योंकि कुछ परिवारों ने दोनों स्रोतों से उधार लिया है।

स्रोत : एनएसएसओ, 48वें और 59वें दौर के सर्वेक्षण।

7.87 वित्तीय समावेशन का मूल्यांकन करने के लिए, कम से कम ऋण की उपलब्धता के निर्धारण हेतु एआइडीआइएस आंकड़ों के लिए एकल सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। जैसा कि पहले संकेत किया गया है, इस डेटा स्रोत के अनुसार 1991 और 2002 के बीच परिवारों के ऋण में संस्थागत स्रोतों का अंश घटा, जबकि गैर-संस्थागत स्रोतों का अंश बढ़ गया। तथापि, विस्तृत विश्लेषण से यह संकेत मिलता है कि 1990 के दशक में संस्थागत स्रोतों ने मोटे तौर पर 1980 के दशक में देखी गई गति से ही ऋण प्रदान करना जारी रखा जैसा कि निम्नलिखित बिंदुओं से सिद्ध होता है। पहला, ऋणग्रस्त परिवारों की कुल संख्या एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कुल परिवारों के प्रतिशत के रूप में ऋणग्रस्त परिवारों की संख्या, जो 1961 और 1981 के बीच उल्लेखनीय रूप में घट गई थी, 1981 और 1991 के बीच थोड़ी तथा 1991 और 2002 के बीच तेजी से बढ़ गई। ग्रामीण परिवारों का बकाया ऋण, जो 1961 और 1981 के बीच जीडीपी के संबंध में कम हुआ था, 1981 और 1991 के बीच सीमांत रूप से तथा 1991 और 2002 के बीच

उल्लेखनीय रूप में बढ़ गया। इसके परिणामस्वरूप, ग्रामीण क्षेत्रों में आस्ति की तुलना में ऋण का अनुपात 1981 के 19.9 प्रतिशत से उल्लेखनीय रूप में बढ़कर 1991 में 23.4 प्रतिशत हुआ तथा आगे और बढ़कर 2002 में 26.5 प्रतिशत हो गया। तथापि, 1991 और 2002 के बीच बढ़ी हुई ऋणग्रस्तता का एक प्रमुख कारण ऋणग्रस्त ग्रामीण परिवारों की संख्या में तीव्र वृद्धि थी जिन्होंने वर्तमान कृषि-व्यय के लिए, जिसकी उत्पादकता अन्य बातों के साथ-साथ मानसून और अन्य उपादानों पर निर्भर है, एवं घरेलू व्यय के लिए उधार लिया। परिणामतः सापेक्ष रूप में 1991 और 2002 के बीच संस्थागत स्रोतों का अंश उल्लेखनीय रूप में घट गया। मात्रात्मक रूप में बैंकों के प्रति ऋणग्रस्त परिवारों की संख्या 1991 और 2002 के बीच लगभग एक ही स्तर पर बनी रही, जबकि सहकारी समितियों के प्रति ऋणग्रस्त परिवारों की संख्या बढ़ गई (सारणी 7.8 देखें)। संस्थागत एजेंसियों से प्राप्त बकाया घरेलू ऋण 1991 और 2002 के बीच 14.7 प्रतिशत की वार्षिक संयोजित (कांपाउंड) दर पर बढ़ा, जो 1981 और 1991

मुद्रा और वित्त की रिपोर्ट

सारणी 7.11 : आय समूहों द्वारा ऋणों के स्रोत - आइआइएमएस सर्वेक्षण*

(ऋणग्रस्त अर्जकों[®] का प्रतिशत)

ऋण एजेंसियाँ/वार्षिक आय का दायरा	50,000 रु. से कम	50,000 रु. से 1,00,000 रु.	100,000 रु. से 200,000 रु.	200,000 रु. से 400,000 रु.	400,000 रु. से अधिक	कुल
1	2	3	4	5	6	7
I. संस्थागत स्रोत	27.5	46.0	59.4	60.2	70.5	32.8
(i) बैंक	13.0	34.5	49.3	51.6	62.8	19.1 #
(ii) सहकारी समितियाँ	4.9	6.7	8.6	3.6	4.1	5.3
(iii) व्यक्तिगत संस्थाएँ	1.1	1.0	0.7	0.5	2.4	1.1
(iv) स्वयं-सहायता समूह	8.5	3.9	0.8	4.5	1.2	7.3
II. गैर-संस्थागत स्रोत	72.5	54.0	40.6	39.8	29.5	67.2
(i) रिश्तेदार/मित्र	35.1	32.1	26.5	22.2	22.1	33.9
(ii) साहूकार	34.9	19.6	12.0	11.8	5.5	30.8
(iii) अन्य	2.5	2.3	2.1	5.8	1.9	2.5
III. कुल	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

* : उत्तरदाताओं ने सूचित किया कि उन्होंने सर्वेक्षण की तारीख से पहले पूर्ववर्ती दो वर्षों में विभिन्न एजेंसियों से ऋण लिये हैं। सर्वेक्षण जुलाई 2007 में समाप्त हुआ।

@ : अर्जक की परिभाषा ऐसे व्यक्ति के रूप में दी गई है जो 18-59 वर्ष का है और कुछ नकदी आय प्राप्त करता है।

: उक्त सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 15 मिलियन अर्जकों ने बैंकों से ऋण लिए हैं, जो बीएसआर डाटा के अनुसार 2005-07 के दौरान बैंकों द्वारा खोले गए 17 मिलियन अतिरिक्त ऋण खातों से तुलनीय हैं।

टिप्पणी : बहुविध एजेंसियों से ऋण लेने के कारण ऋण लेने की सूचना देनेवाले उत्तरदाताओं के प्रतिशत में अधि-अनुमान (ओवर एस्टिमेशन) हो सकता है।

स्रोत : इन्वेस्ट इंडिया मार्केट सोल्यूशन्स (आइआइएमएस), 2007।

के बीच 16.1 प्रतिशत की संवृद्धि दर के साथ लगभग तुलनीय है। बैंकों से प्राप्त घरेलू परिवारों का ऋण 1991 और 2002 के बीच 14.3 प्रतिशत की संयोजित (कांपाउंड) दर से बढ़ा जो 1981 और

1991 के बीच 16.1 प्रतिशत की वार्षिक संयोजित संवृद्धि दर से मामूली तौर पर कम था। तथापि, सहकारी समितियों से प्राप्त बकाया ऋण 1981 और 1991 के बीच के 12.4 प्रतिशत की तुलना में 1991 और

सारणी 7.12 : परिवारों द्वारा लिये गये ऋणों का प्रयोजन - एनएसएसओ सर्वेक्षण

(जून के अंत में)

ऋण का प्रयोजन	1991		2002		1991		2002		
	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ऋणग्रस्त परिवारों की संख्या (मिलियन)				बकाया ऋण (करोड़ रुपये)					
I. खेती व्यवसाय	6.3	0.3	15.1	0.5	5,442	545	45,702	3,397	
(i) चालू व्यय	1.3	0.0	7.5	0.2	600	15	15,828	1,241	
(ii) पूंजीगत व्यय	3.0	0.2	8.1	0.3	2,665	378	29,873	2,156	
II. कृषीतर कारोबार	3.3	1.2	4.3	1.5	2,865	3,163	13,376	12,869	
(i) चालू व्यय	0.9	0.3	1.2	0.5	444	605	3,121	2,090	
(ii) पूंजीगत व्यय	1.7	0.6	3.1	1.1	1,288	1,634	10,255	10,779	
III. घरेलू व्यय	12.4	6.3	22.9	8.2	8,840	11,152	52,390	49,060	
IV. अविनिर्दिष्ट	6.3	0.4	-	-	5,064	372	-	-	
V. कुल	27.2	8.1	39.2	9.9	22,211	15,232	1,11,468	65,327	
कुल में से प्रतिशत									
I. खेती व्यवसाय	23.2	3.6	38.5	5.1	24.5	3.6	41.0	5.2	
(i) चालू व्यय	4.7	0.5	19.2	2.2	2.7	0.1	14.2	1.9	
(ii) पूंजीगत व्यय	11.1	2.1	20.8	2.8	12.0	2.5	26.8	3.3	
II. कृषीतर कारोबार	12.0	14.9	10.9	15.2	12.9	20.8	12.0	19.7	
(i) चालू व्यय	3.4	4.1	3.0	5.1	2.0	4.0	2.8	3.2	
(ii) पूंजीगत व्यय	6.4	7.8	7.9	10.7	5.8	10.7	9.2	16.5	
III. घरेलू व्यय	45.6	77.5	58.5	82.6	39.8	73.2	47.0	75.1	
IV. अविनिर्दिष्ट	23.1	4.7	-	-	22.8	2.4	-	-	
V. कुल	@	@	@	@	100.0	100.0	100.0	100.0	

@ : ऋणग्रस्त परिवारों की संख्या के संबंध में उप-जोड़ो का योग 100 से अधिक हो सकता है क्योंकि ऋण एक परिवार द्वारा एक से अधिक प्रयोजनों के लिए लिये गये होंगे।

टिप्पणी : 1991 के लिए कृषि और कृषीतर कारोबार में अन्य व्यय भी शामिल है।

स्रोत : एनएसएसओ, 48वें और 59वें दौर के सर्वेक्षण।

सारणी 7.13 : अर्जकों द्वारा लिए गए ऋणों का प्रयोजन - आइआइएमएस सर्वेक्षण 2007

ऋण का प्रयोजन	ऋण लेनेवाले अर्जकों की संख्या (मिलियन)			ऋण लेनेवाले अर्जकों में से प्रतिशत		
	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल
1	2	3	4	5	6	7
सभी स्रोतों से						
1. मकान/भूमि/स्थावर संपदा की खरीद	6.8	2.1	8.9	8.9	13.9	9.7
2. वाहन की खरीद	1.9	1.0	2.9	2.5	6.3	3.1
3. उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं की खरीद	3.1	0.8	3.9	4.1	5.1	4.3
4. वित्तीय आपात स्थिति का सामना करना	20.2	4.7	24.9	26.3	31.0	27.1
5. कारोबार की आवश्यकताओं के लिए	7.1	2.1	9.2	9.3	14.0	10.0
6. चिकित्सा संबंधी आपात स्थिति	12.5	1.8	14.3	16.3	11.7	15.5
7. खेती/फसल ऋण	11.2	0.2	11.4	14.6	1.2	12.4
8. सामाजिक दायित्व पूरे करने के लिए	7.1	1.1	8.2	9.2	7.5	8.9
9. अन्य उपभोग के प्रयोजनों के लिए	3.3	0.7	4.0	4.3	4.5	4.3
10. शैक्षणिक ऋण	1.9	0.4	2.3	2.4	2.9	2.5
11. अन्य	1.6	0.3	1.9	2.1	2.0	2.0
कुल (1 से 11)	76.6	15.1	91.8	100.0	100.0	100.0
संस्थागत स्रोतों से						
1. मकान/भूमि/स्थावर संपदा की खरीद	2.8	1.1	3.8	11.4	20.1	13.0
2. वाहन की खरीद	1.1	0.6	1.6	4.4	10.9	5.5
3. उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं की खरीद	1.1	0.3	1.3	4.4	5.2	4.5
4. वित्तीय आपात स्थिति का सामना करना	4.8	1.3	6.1	19.6	24.9	20.6
5. कारोबार की आवश्यकताओं के लिए	3.2	0.9	4.1	13.0	17.1	13.8
6. चिकित्सा संबंधी आपात स्थिति	2.0	0.3	2.3	8.1	6.0	7.7
7. खेती/फसल ऋण	6.6	0.1	6.7	27.2	2.3	22.7
8. सामाजिक दायित्व पूरे करने के लिए	1.2	0.3	1.5	5.1	4.8	5.0
9. अन्य उपभोग के प्रयोजनों के लिए	0.7	0.2	0.9	2.8	3.5	2.9
10. शैक्षणिक ऋण	0.5	0.2	0.7	2.2	3.3	2.4
11. अन्य	0.4	0.1	0.5	1.8	1.9	1.8
कुल (1 से 11)	24.2	5.3	29.5	100.0	100.0	100.0
गैर-संस्थागत स्रोतों से						
1. मकान/भूमि/स्थावर संपदा की खरीद	4.1	1.0	5.1	7.7	10.5	8.2
2. वाहन की खरीद	0.8	0.4	1.2	1.6	3.8	2.0
3. उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं की खरीद	2.1	0.5	2.6	4.0	5.0	4.1
4. वित्तीय आपात स्थिति का सामना करना	15.4	3.4	18.8	29.4	34.3	30.2
5. कारोबार की आवश्यकताओं के लिए	3.9	1.2	5.2	7.5	12.3	8.3
6. चिकित्सा संबंधी आपात स्थिति	10.5	1.5	12.0	20.1	14.8	19.2
7. खेती/फसल ऋण	4.6	0.1	4.7	8.8	0.6	7.5
8. सामाजिक दायित्व पूरे करने के लिए	5.8	0.9	6.7	11.1	9.0	10.8
9. अन्य उपभोग के प्रयोजनों के लिए	2.6	0.5	3.1	5.0	5.0	5.0
10. शैक्षणिक ऋण	1.3	0.3	1.6	2.5	2.7	2.6
11. अन्य	1.1	0.2	1.3	2.2	2.0	2.1
कुल (1 से 11)	52.4	9.9	62.3	100.0	100.0	100.0

स्रोत : इन्वेस्ट इंडिया आय और बचत सर्वेक्षण, 2007।

2002 के बीच 17.5 प्रतिशत की एक उच्चतर वार्षिक संयोजित दर से बढ़ा (सारणी 7.9 देखें)। यह भी ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बात है कि ये संवृद्धि दरें एक बड़े आधार पर प्राप्त की गईं क्योंकि 1981 और 1991 के बीच संवृद्धि दर उल्लेखनीय रूप से अधिक थी।

7.88 दूसरे, परिवारों को बैंक ऋण में हुई कुछ कमी को 1990 के दशक में बैंकों के क्षत तुलन-पत्रों के कारण बैंकों के व्यवहार में परिवर्तन

के संदर्भ में देखने की आवश्यकता है। 1990 के दशक के दौरान बैंकों की स्थिति एक प्रमुख चिंता बन गई थी, जिसके परिणामस्वरूप उनका फोकस ऋण संविभाग के विस्तार से सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश द्वारा तुलन-पत्रों को मजबूत बनाने की ओर अंतरित हुआ जिसमें जोखिम समायोजित प्रतिलाभ उच्चतर समझे गये। 1990 के दशक के प्रारंभ में विवेकपूर्ण मानदंडों को सख्त बनाने के बाद बैंक भी जोखिम

से कुछ विमुख हो गए। परिणामस्वरूप, कृषि सहित सभी क्षेत्रों को बैंकिंग क्षेत्र द्वारा समग्र ऋण वृद्धि 1980 के दशक की तुलना में 1990 के दशक में उल्लेखनीय रूप में मंद हुई जिसका विवरण अध्याय VI में दिया गया है। इस प्रकार परिवारों को दिये जानेवाले ऋण में मंदी बैंक ऋण में समग्र मंदी के अनुरूप ही थी।

7.89 तीसरे, परिवारों को ऋण में आई मंदी को कृषि और संबद्ध कार्यकलापों में मंदी के संदर्भ में भी देखे जाने की आवश्यकता है। कृषि उत्पादन के सूचकांक ने 1980 के दशक के 3.5 प्रतिशत की तुलना में एनएसएसओ सर्वेक्षण की अवधि के दौरान (48वें और 59वें दौर के बीच) 0.6 प्रतिशत की एक निम्न वार्षिक वृद्धि दर्शाई (सारणी 7.14)। इसने बैंकिंग प्रणाली से कृषिगत निवेश के प्रयोजनों के लिए कम कृषि माँग को प्रेरित किया होगा। चूँकि निम्नतर आय वाले परिवार सामान्यतः अपनी घरेलू उपभोग आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए गैर-संस्थागत स्रोतों का अत्यधिक सहारा लेते हैं, अतः ग्रामीण आय में अपेक्षाकृत मंद वृद्धि ने ऐसे परिवारों को अपनी ऋण आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए गैर-संस्थागत स्रोतों से संपर्क करने के लिए प्रेरित किया होगा। जैसा कि पहले संकेत किया गया है, एनएसएसओ डेटा के अनुसार 1991 और 2002 के बीच गैर-संस्थागत स्रोतों के प्रति ऋणग्रस्तता में वृद्धि निम्नतर एएचसी के मामले में अधिक सुस्पष्ट थी। चौथे, 1990 के दशक की ऋण माफी ने भी समग्र ऋण संस्कृति और कृषि ऋणों के प्रति बैंकों के रुख को प्रभावित किया होगा।

7.90 पाँचवें, एनएसएसओ सर्वेक्षण का अंतिम दौर वर्ष 2002 से संबंधित था। उसके बाद जरूरतमंद क्षेत्रों को ऋण की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए सरकार/रिजर्व बैंक द्वारा अनेक नीतिगत पहलें की गई हैं। इन उपायों का वित्तीय समावेशन पर एक उल्लेखनीय सकारात्मक प्रभाव रहा जैसा कि बीएसआर और डेटा के अन्य स्रोतों के आधार पर निम्नलिखित खंड में किये गये विश्लेषण द्वारा स्पष्ट है।

सारणी 7.14 : कृषि में और बैंक ऋण में वार्षिक औसत वृद्धि दरें

अवधि*	(प्रतिशत)			
	कृषि और संबद्ध कार्यकलाप #	कृषि उत्पादन का सूचकांक	खाद्येतर बैंक ऋण	कृषि को बैंक ऋण
1	2	3	4	5
1981-82 से 1991-92	3.0	3.5	16.4	16.1
1991-92 से 2002-03	2.3	0.6	15.4	13.2

* : एनएसएसओ सर्वेक्षणों के क्रमिक दौरों के बीच की अवधि का द्योतन करता है।
: केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन (सीएसओ) द्वारा जारी किये गये जीडीपी डेटा पर आधारित।
स्रोत : भारतीय अर्थव्यवस्था संबंधी सांख्यिकी की पुस्तिका, 2006-07; भारतीय रिजर्व बैंक।

बैंकों/अन्य संस्थाओं के आंकड़ों के आधार पर विश्लेषण

7.91 जहाँ एक ओर एनएसएसओ, आइआइएमएस और एनसीआईआर/मैक्स न्यूयार्क लाइफ जैसे मौजूदा सर्वेक्षण परिवारों से संबंधित सूचना उपलब्ध कराते हैं, वहीं दूसरी ओर बीएसआर और अन्य संस्थागत स्रोत संस्थाओं से संबंधित सूचना/आंकड़े केवल ऋण संबंधी ही नहीं, बल्कि जमाराशियों में वृद्धि के संबंध में भी उपलब्ध कराते हैं। सर्वेक्षणों की विभिन्न सीमाओं को ध्यान में रखते हुए तथा वित्तीय समावेशन की एक अद्यतन स्थिति प्राप्त करने के लिए भी, वाणिज्य बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, शहरी सहकारी बैंकों, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसएस), और डाक घरों जैसे अन्य संस्थागत स्रोतों से उपलब्ध डेटा की जाँच करना भी उपयोगी है। इस प्रकार, अगले खंड में किये गये विश्लेषण में वित्तीय सेवाओं के लिए संस्थागत नेटवर्क, साधनों और मूलभूत संरचना की उपलब्धता सहित विभिन्न परिदृश्यों से वित्तीय समावेशन का मूल्यांकन किया गया है। जैसा कि पिछले खंड में विस्तार से बताया गया है, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए हाल के वर्षों में अनेक पहलें की गई हैं। जून 2004 में केंद्र सरकार ने 'कृषि ऋण पैकेज' की घोषणा की थी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ आगामी तीन वर्षों में कृषि को संस्थागत ऋण की उपलब्धता को दुगुनी करना निर्धारित किया गया था। वास्तव में कृषि क्षेत्र को ऋण की उपलब्धता दो वर्ष के बाद निर्धारित समयावधि से पहले ही दुगुनी हो गई। केंद्रीय बजट 2008-09 में 2008-09 के दौरान कृषि ऋण के लिए 280,000 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिनकी स्थापना ग्रामीण क्षेत्र के प्रति ध्यान केंद्रित करने के लिए की गई थी, खराब स्थिति से गुजर रहे थे। तथापि, हाल की पुनर्व्यवस्था का एक सकारात्मक प्रभाव रहा है जिसके परिणामस्वरूप क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा कृषि/ग्रामीण क्षेत्र को ऋण की उपलब्धता में वृद्धि का साक्ष्य विद्यमान है (देखें सारणी 7.24)। कृषि को कुल संस्थागत ऋण प्रवाहों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अंश में हाल के वर्षों में सुधार हुआ है। अत्यधिक स्थानीयकृत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए अनेक नवोन्मेष व्यापक-वित्त आधारित प्रयोग भी रहे हैं। बैंक सुविधा-रहित क्षेत्रों में बैंकिंग के प्रवेश तथा गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ), एमएफआइ और सीएसओ जैसे मध्यवर्तियों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन दिये गये हैं। गहन रोजगार वाले क्षेत्रों को ऋण की उपलब्धता को प्रोत्साहित करने के लिए प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र की परिभाषा में आशोधन किया गया है। एक और प्रमुख पहल 'नो फ्रिल्स' खातों से संबंधित है, जिसमें एक अल्प अवधि में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।

प्रति शाखा जनसंख्या

7.92 बैंकिंग तक पहुँच को मापने के लिए एक प्रमुख संकेतक प्रति शाखा जनसंख्या है। 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के शाखा नेटवर्क का तेजी से विस्तार हुआ। इसके परिणामस्वरूप, 1969 और 1991 के बीच प्रति शाखा जनसंख्या उल्लेखनीय रूप में कम हुई। ग्रामीण क्षेत्र में प्रति शाखा जनसंख्या में

सारणी 7.15 : प्रति बैंक शाखा जनसंख्या

(हजार में)

मार्च के अंत में	ग्रामीण	शहरी	कुल
1	2	3	4
1969*	82	33	63
1981	20	17	19
1991	14	16	14
2001	16	15	16
2007	17	13	16

* : जून के अंत में विद्यमान स्थिति ।

स्रोत : भारत में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की मूलभूत सांख्यिकीय विवरणियाँ ।

1991 के बाद वृद्धि हुई । तथापि, प्रति शाखा जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में लगातार घटती रही (सारणी 7.15)⁸ । 1991 और 2007 के बीच ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति शाखा जनसंख्या में वृद्धि हेतु जिम्मेदार कारकों में से एक 953 ग्रामीण केंद्रों का पुनर्वर्गीकरण था जिन्हें 1991 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिन्हें जनसंख्या में वृद्धि के कारण उच्चतर जनसंख्या वाले केंद्रों में अंतरित किया गया । पुनर्वर्गीकरण के साथ ही, ऐसे भी उदाहरण थे जहाँ कुछ केंद्र, जिन्हें पहले ग्रामीण के रूप में वर्गीकृत किया गया था, निकटवर्ती नगरपालिका/नगर निगम के अधिकार-क्षेत्र में लाये गये थे और इस प्रकार नगरपालिका/नगर निगम की जनसंख्या के आधार पर शहरी/महानगरीय के रूप में वर्गीकृत किये गये थे ।

ऋण खाते

7.93 प्रति 100 व्यक्तियों/वयस्कों के लिए कुल ऋण खातों की संख्या, जो ऋण वितरण सेवाओं के विस्तार का एक संकेतक है, 1991 और 2001 के बीच घटने के बावजूद उसके बाद उल्लेखनीय रूप में बढ़ गई ।

भिन्न-भिन्न स्तर पर भी, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में प्रति 100 व्यक्तियों/वयस्कों के लिए ऋण खातों में 2001 और 2007 के बीच सुधार आया (सारणी 7.16) । हाल के वर्षों में विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में ऋण खातों में हुई उल्लेखनीय वृद्धि फुटकर, आवास और उपभोक्ता वित्त में तीव्र वृद्धि के कारण थी । यह मुख्य रूप से क्रय शक्ति में वृद्धि, बदलती हुई उपभोक्ताओं की जनसांख्यिकी (डेमोग्राफिक्स) और उपभोग में वृद्धि के लिए अत्यधिक संभावना, वित्तीय सेवाओं/उत्पादों के वितरण में प्रौद्योगिकीगत नवोन्मेषण एवं वित्तीय संस्थाओं द्वारा फुटकर कारोबार को अपनी व्यावसायिक गतिविधियों के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में स्वीकृति की वजह से थी । वर्तमान में फुटकर बैंकिंग क्षेत्र की विशेषताएँ तीन मूलभूत तत्वों द्वारा प्रकट होती हैं : बहुविध उत्पाद (जमाराशियाँ, क्रेडिट कार्ड, बीमा, निवेश और प्रतिभूतियाँ); वितरण के बहुविध माध्यम (कॉल सेंटर, शाखा, इंटरनेट और कियोस्क); तथा बहुविध ग्राहक समूह (उपभोक्ता, छोटे कारोबार, और कारपोरेट) । भारतीय फुटकर बैंकिंग खंड में प्रस्तावित विशिष्ट उत्पाद हैं - आवास ऋण, टिकाऊ वस्तुएँ खरीदने के लिए उपभोग ऋण, ऑटो ऋण, क्रेडिट कार्ड और शैक्षणिक ऋण । फुटकर खंड के अंतर्गत आवास ऋण में पिछले कुछ वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई (विस्तृत जानकारी के लिए अध्याय VI देखें) ।

7.94 ऋण खातों में प्रवेश ऋण खाते प्रति 100 व्यक्ति) 1991 और 2001 के बीच सभी क्षेत्रों में ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में घट गया, केवल उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में शहरी इलाकों को छोड़कर जहाँ उनमें मामूली वृद्धि हुई तथा पश्चिमी क्षेत्र को भी छोड़कर जहाँ वे अपरिवर्तित बने रहे । तथापि, ऋण खातों में प्रवेश 2001 और 2007 के बीच सभी क्षेत्रों में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में उल्लेखनीय रूप में बढ़ गया (सारणी 7.17) ।

सारणी 7.16 : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के पास ऋण खाते

(मार्च के अंत में)

वर्ष	1971*	1981	1991	2001	2006	2007	
1	2	3	4	5	6	7	8
ग्रामीण	खातों की संख्या (मिलियन)	—	16.4	49.9	36.6	50.5	53.1
	खाते प्रति 100 व्यक्ति	—	3.1	7.9	4.9	6.3	6.5
	खाते प्रति 100 वयस्क	—	5.2	12.7	7.5	9.3	9.6
शहरी	खातों की संख्या (मिलियन)	—	4.4	12.1	15.8	34.9	41.3
	खाते प्रति 100 व्यक्ति	—	2.7	5.5	5.5	11.3	13.1
	खाते प्रति 100 वयस्क	—	4.5	8.9	8.4	16.7	19.5
कुल	खातों की संख्या (मिलियन)	4.3	20.7	61.9	52.4	85.4	94.4
	खाते प्रति 100 व्यक्ति	0.8	3.0	7.3	5.1	7.7	8.3
	खाते प्रति 100 वयस्क	1.3	5.0	11.7	7.9	11.6	12.4

* : जून की समाप्ति पर यथाविद्यमान ।

स्रोत : भारत में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की मूलभूत सांख्यिकीय विवरणियाँ ।

⁸ जनगणना के जनसंख्या समूह 'ग्रामीण' और 'शहरी' हैं, जबकि बीएसआर डाटा में प्रयुक्त जनसंख्या समूह हैं 'ग्रामीण', 'अर्ध-शहरी', 'शहरी' और 'महानगरीय' । दोनों के बीच कोई विशिष्ट संबंध नहीं है । अतः तुलना के प्रयोजन और आसानी के लिए 'ग्रामीण' और 'अर्ध-शहरी' को 'ग्रामीण' के रूप में लिया गया है तथा 'शहरी' और 'महानगरीय' को 'शहरी' के रूप में जोड़ दिया गया है । इस खंड में वयस्क जनसंख्या से आशय उस जनसंख्या से है जो 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के वर्ग में है । 2007 के लिए ग्रामीण/शहरी जनसंख्या का अनुमान 2001 की जनसंख्या में ग्रामीण/शहरी अंश के आधार पर किया गया है । जब तक कि अन्यथा नहीं बताया गया हो/अलग से नहीं दिया गया हो, तब तक अनुसूचित वाणिज्य बैंकों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शामिल हैं ।

सारणी 7.17 : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के पास ऋण खाते - क्षेत्र-वार

(प्रति 100 व्यक्ति)

क्षेत्र/ मार्च के अंत में	ग्रामीण			शहरी			कुल		
	1991	2001	2007	1991	2001	2007	1991	2001	2007
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
उत्तरी	6.6	4.7	5.6	5.9	7.4	10.0	6.4	5.6	7.1
उत्तर-पूर्वी	4.4	2.6	4.1	4.4	3.7	5.5	4.4	2.8	4.3
पूर्वी	7.2	3.5	4.5	4.3	4.6	6.2	6.6	3.7	4.8
मध्य	5.8	3.6	4.3	4.4	3.4	5.0	5.5	3.6	4.4
पश्चिमी	6.2	4.1	4.8	4.8	4.8	18.9	5.7	4.4	10.5
दक्षिणी	13.6	9.6	14.4	7.6	7.2	21.6	11.8	8.8	16.8
अखिल भारतीय	7.9	4.9	6.5	5.5	5.5	13.1	7.3	5.1	8.3

स्रोत : भारत में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की मूलभूत सांख्यिकीय विवरणियाँ ।

7.95 वित्तीय समावेशन के प्रयोजन के लिए छोटे खातों में प्रगति विशेष रूप से संगत है । ऋण खातों के अलग-अलग विवरण से यह विदित होता है कि कुल ऋण खातों में 25,000 हजार रुपये तक की ऋण सीमा वाले ऋण खातों की संख्या के अंश तथा ऐसे खातों में बकाया राशि में 1991 और 2002 के बीच गिरावट आई और उसके आगे 2007 तक उसमें और गिरावट हुई । 25,000 रुपये-2,00,000 रुपये की ऋण सीमा वाले ऋण खातों तथा इन खातों में बकाया राशि ने 1991-2007 के दौरान लगातार वृद्धि दर्शाई (सारणी 7.18) । तथापि यह स्थिति संभवतः एक बड़ी सीमा तक मुद्रास्फीति के प्रभाव के कारण 25,000 रुपये तक की ऋण सीमा वाले कुछ ऋणों (जो सांकेतिक रूप में हैं) के उच्चतर श्रेणियों में अंतरण के कारण थी ।

7.96 मुद्रास्फीति के लिए समायोजित करने के बाद 25,000 रुपये से कम ऋण सीमा वाले ऋणों का अंश 2001 और 2006 के बीच लगातार घटता रहा । तथापि, यह गिरावट मुद्रास्फीति के लिए असमायोजित की अपेक्षा समायोजित ऋण सीमा के मामले में बहुत कम थी (सारणी 7.19) । 25,000 रुपये-200,000 रुपये की ऋण सीमा में स्थित खातों की संख्या का अंश 1991 और 2000 के बीच तथा उसके बाद 2006 तक भी बढ़ा । फिर भी, यह वृद्धि मुद्रास्फीति के लिए असमायोजित की तुलना में समायोजित ऋण सीमा के मामले में अपेक्षाकृत कम थी । इस स्थिति (पैटर्न) ने अन्य बातों के साथ-साथ वास्तविक आय में सुधार के प्रभाव को प्रतिबिंबित किया जिसका परिणाम ऋण की माँग की अधिकतर मात्रा और फुटकर ऋण में अधिक वृद्धि के रूप में हुआ ।

7.97 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पास स्थित ऋण खातों की संख्या भी 1990 के दशक के उत्तरार्ध में कुछ कम हुई, परंतु वह चालू दशक में तेजी से बढ़ी (सारणी 7.20) ।

सहकारी ऋण

7.98 भारत में ग्रामीण साख समितियों की परिकल्पना अल्प आय वाले लोगों के संसाधनों का एकत्रीकरण करने और उन्हें विभिन्न वित्तीय सेवाओं में प्रवेश उपलब्ध कराने के लिए एक व्यवस्था के रूप में की गई थी । अल्पावधि ग्रामीण सहकारी ऋण संरचना (एसटीसीसीएस) मुख्य रूप से अल्पावधि ऋण और अन्य वित्तीय सेवाएँ प्रदान करती है जो वित्तीय समावेशन की दृष्टि से विशेष रूप से प्रासंगिक हैं । मार्च 2006 की

सारणी 7.18 : ऋण खातों की संख्या और ऋण सीमा के आकार के अनुसार बकाया ऋण - सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक

(राशि करोड़ रुपये में)

मार्च के अंत में	25,000 रु . तक ऋण सीमा				25,000 रु . और 2,00,000 रु . के बीच ऋण सीमा				कुल	
	खाते (मिलियन)	कुल में से प्रतिशत	राशि	कुल में से प्रतिशत	खाते (मिलियन)	कुल में से प्रतिशत	राशि	कुल में से प्रतिशत	खाते (मिलियन)	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1990	51.2	95.0	24,147	23.1	2.3	4.2	14,351	13.8	53.9	104,312
1991	58.8	94.9	27,323	22.0	2.7	4.4	17,267	13.9	61.9	124,203
1992	62.5	95.0	29,945	21.9	2.8	4.3	18,393	13.5	65.9	136,706
1993	58.5	94.2	32,091	19.8	3.1	5.0	20,217	12.4	62.1	162,467
1994	55.8	93.6	32,188	18.3	3.3	5.5	21,547	12.3	59.7	175,891
1995	53.9	92.8	34,060	16.1	3.5	6.1	23,882	11.3	58.1	210,939
1996	51.9	91.6	36,253	14.2	4.0	7.0	28,085	11.0	56.7	254,692
1997	50.1	90.1	37,446	13.2	4.6	8.3	32,227	11.3	55.6	284,373
1998	46.8	87.4	41,095	12.5	5.7	10.7	39,457	12.0	53.6	329,944
1999	42.7	81.7	38,285	10.0	8.2	15.8	49,997	13.1	52.3	382,425
2000	39.3	72.2	36,409	7.9	13.6	25.0	66,336	14.4	54.4	460,081
2001	37.3	71.1	37,816	7.0	13.2	25.2	68,478	12.7	52.4	538,434
2002	37.3	66.2	38,501	5.9	16.8	29.8	87,148	13.3	56.4	655,993
2003	36.9	62.0	41,038	5.4	19.7	33.0	104,019	13.8	59.5	755,969
2004	36.8	55.4	38,555	4.4	25.1	37.9	124,144	14.1	66.4	880,312
2005	38.7	50.2	42,992	3.7	32.4	42.0	156,888	13.6	77.2	1,152,468
2006	38.4	45.0	45,217	3.0	38.7	45.3	203,281	13.4	85.4	1,513,842
2007	38.6	40.9	45,903	2.4	45.7	48.4	232,992	12.0	94.4	1,947,100

स्रोत : भारत में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की मूलभूत सांख्यिकीय विवरणियाँ ।

सारणी 7.19 : सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के ऋण खातों की संख्या - मुद्रास्फोति समायोजित ऋण सीमा

मार्च के अंत में	25,000 रु. तक ऋण सीमा (1990 की कीमतों पर)		25,000 रु. और 2,00,000 रु. के बीच ऋण सीमा (1990 की कीमतों पर)	
	खातों की संख्या (मिलियन)	कुल में से अंश (प्रतिशत)	खातों की संख्या (मिलियन)	कुल में से अंश (प्रतिशत)
1	2	3	4	5
1990	51.2	95.0	2.3	4.2
1993	59.2	95.3	2.4	3.9
1997	52.3	94.1	2.7	4.9
2001	43.9	83.5	7.7	14.7
2004	48.9	73.7	16.1	24.2
2006	57.8	67.6	25.0	29.2

टिप्पणी : 1990 के समकक्ष रूप में वर्ष 1993 से आगे ऋण सीमाओं की गणना 1990 की ऋण सीमाओं के लिए जीडीपी अपसफीतिकारक (डिफ्लेटर) को लागू करके की गई है।

स्रोत : छोटे उधार खातों का सर्वेक्षण, भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन (विभिन्न अंक) के आधार पर परिकल्पित।

समाप्ति पर उक्त तीन-स्तरीय एसटीसीसीएस के अंतर्गत ग्राम स्तर पर लगभग 106,400 प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (पीएसीएस), जिला स्तर पर 12,991 शाखाओं के साथ 370 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक एवं राज्य स्तर पर 962 शाखाओं के साथ 30 राज्य सहकारी बैंक विद्यमान हैं। एक प्राथमिक कृषि ऋण समिति (पीएसीएस) औसतन 6 गाँवों को सेवाएँ देती है। 125 मिलियन से भी अधिक ग्रामीण जनता की कुल सदस्यता के साथ प्राथमिक कृषि ऋण समिति (पीएसीएस) संभवतः विश्व की सबसे बड़ी ग्रामीण वित्तीय प्रणालियों में से एक है। उधारकर्ता सदस्यों की संख्या 1994 और 2003 के बीच उल्लेखनीय रूप में बढ़ी, परंतु उसके बाद उसमें गिरावट आई (सारणी 7.21)।

सारणी 7.20 : भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - ऋण खाते/राशियाँ

(खातों की संख्या '000 में, राशि करोड़ रुपये में)

मार्च के अंत में	ऋण खाते		छोटे उधार खाते		स्तंभ 2 के प्रतिशत के रूप में स्तंभ 4	स्तंभ 3 के प्रतिशत के रूप में स्तंभ 5
	खाते	राशि	खाते	राशि		
1	2	3	4	5	6	7
1996	13,056	7,344	12,902	6,120	98.8	83.3
1997	12,102	8,655	11,885	6,845	98.2	79.1
1998	12,293	10,200	12,001	7,797	97.6	76.4
1999	11,138	11,279	11,098	10,194	99.6	90.4
2000	11,868	13,126	11,801	11,561	99.4	88.1
2001	12,203	16,352	12,132	14,360	99.4	87.8
2002	12,627	18,869	12,543	16,435	99.3	87.1
2003	12,873	22,623	12,776	19,757	99.2	87.3
2004	12,715	26,020	12,593	22,310	99.0	85.7
2005	14,167	32,689	14,014	27,878	98.9	85.3
2006	13,394	36,644	13,195	30,163	98.5	82.3
2007	14,958	47,855	14,666	37,330	98.0	78.0

स्रोत: भारत में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की मूलभूत सांख्यिकीय विवरणियाँ।

7.99 शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी) देश के शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों की बढ़ती हुई ऋण आवश्यकताएं पूरी करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। वे मध्यम और निम्न आय वर्गों से बचत की राशि जुटाते हैं और समाज के कमजोर वर्गों सहित छोटे उधारकर्ताओं को ऋण उपलब्ध कराते हैं। भारत में ये बैंक वित्तीय सहकारी संस्थाएँ हैं जो विदेशों में पाये जानेवाले ऋण संघों के सदृश हैं, केवल इस बात को छोड़कर कि वे गैर-सदस्यों से भी जमाराशियाँ स्वीकार कर सकते हैं। शहरी सहकारी बैंक भुगतान प्रणाली का भी एक अंग बनते हैं।

7.100 हाल के वर्षों में वित्तीय समावेशन पर दिये जा रहे विशेष बल को देखते हुए सहकारी बैंकिंग ने भारतीय वित्तीय प्रणाली में नवीकृत महत्व प्राप्त किया है। एक सामूहिक सिद्धांत पर कार्यरत सदस्य-संचालित संस्थाएँ होने के कारण वे अपने सदस्यों को उधार देने के प्रयोजन के लिए संसाधनों के संग्रहण को सुसाध्य बनाते हैं जो बैंक के शेरधारक भी हैं और इसलिए जिनका बैंक के कार्यों में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक जैसे देश के कुछ भागों में शहरी सहकारी बैंक शहरी क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मार्च 2007 की समाप्ति पर भारत में 1,813 शहरी सहकारी बैंकों की 7,670 शाखाएं (विस्तार काउंटर्स सहित) थीं। अनंतिम अनुमान यह सूचित करते हैं कि मार्च 2007 के अंत में शहरी सहकारी बैंकों ने लगभग 7 मिलियन उधारकर्ताओं को कुल 78,660 करोड़ रुपये का ऋण प्रदान किया।

व्यष्टि-वित्त

7.101 हाल की अवधि में व्यष्टि-वित्त लोगों को, विशेष रूप से औपचारिक वित्तीय प्रणाली से वंचित लोगों को, ऋण वितरण के एक महत्वपूर्ण अर्ध-औपचारिक प्रकार के रूप में उभरा है। भारत में व्यष्टि-वित्त के दो स्थूल मॉडल हैं अर्थात् स्वयं-सहायता समूह (एसएचजी)-

सारणी 7.21 : प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस)की प्रगति

(मार्च के अंत में)

विवरण	1994	1995	2000	2002	2003	2004	2005	2006	2007
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. पीएसीएस की संख्या (हजार)	91.6	91.1	101.5	98.2	112.3	105.7	108.8	106.4	97.2
2. सदस्य (मिलियन)	89.0	90.6	108.6	102.1	123.6	135.4	127.4	125.2	125.8
3. उधारकर्ता (मिलियन)	50.5	38.0	43.0	55.5	63.9	51.3	45.1	46.1	47.9
4. स्वाधिकृत निधियाँ (करोड़ रु पये)	2,694	3,412	5,338	6,855	8,198	8,397	9,197	9,292	11,039
5. जमाराशियाँ (करोड़ रु पये)	2,102	2,962	12,459	14,846	19,120	18,143	18,976	19,561	23,484
6. उधार (करोड़ रु पये)	9,117	10,176	22,350	29,475	30,278	34,257	40,249	41,018	43,714
7. कुल संसाधन (4+5+6)	13,913	16,550	40,147	51,176	57,596	60,797	68,422	69,871	78,237
8. बकाया ऋण (करोड़ रु पये)	10,534	12,141	28,546	40,779	42,411	43,873	48,785	51,779	58,620

स्रोत : प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का कार्यानिष्पादन (विभिन्न अंक), एनएएफएससीओबी।

बैंक सहबद्धता मॉडल एवं एमएफआइ मॉडल। इन दोनों मॉडलों में से एसएचजी-बैंक सहबद्धता मॉडल ने 1990 के दशक के पूर्वार्ध में अपने प्रारंभ से ही तीव्र गति से प्रगति की। वाणिज्य बैंक, सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इस कार्यक्रम में सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। 31 मार्च 2007 की स्थिति के अनुसार 50 वाणिज्य बैंक, 96 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और 352 सहकारी बैंक इस कार्यक्रम में भाग ले रहे थे। स्वयं-सहायता समूहों को उधार देनेवाली बैंक शाखाओं की संख्या मार्च 2006 के अंत में 35,294 थी तथा भाग लेनेवाले गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) और अन्य एजेंसियों की संख्या 3,024 थी। उक्त कार्यक्रम 31 राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों और 587 जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है।

सारणी 7.22 : स्वयं-सहायता समूह (एसएचजी)-बैंक सहबद्धता कार्यक्रम

वर्ष	वित्तपोषित एसएचजी की संख्या ('000)	बैंक ऋण (करोड़ रुपये) (संचयी)
1	2	3
1992-99	33	57
1999-00	115	193
2000-01	264	481
2001-02	461	1,026
2002-03	717	2,049
2003-04	1,079	3,904
2004-05	1,618	6,898
2005-06	2,239	11,398
2006-07	2,925	18,047
2006-07*	2,895*	12,366 *

* : बकाया संख्या और राशि दर्शाता है। पूर्ववर्ती वर्षों के तुलनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

स्रोत : भारत में एसएचजी-बैंक सहबद्धता की प्रगति 2005-06, नाबार्ड।

7.102 बैंक के साथ सहबद्ध स्वयं-सहायता समूह (एसएचजी) की संख्या विशेष रूप से 1999-2000 से तेजी से बढ़ी। 2006-07 तक लगभग तीन मिलियन एसएचजी बैंक-सहबद्ध थे (सारणी 7.22)। यह मानते हुए कि औसतन प्रत्येक एसएचजी 14 सदस्यों का वित्तपोषण करता है, एसएचजी-बैंक सहबद्धता कार्यक्रम द्वारा सेवा प्रदान किये गये परिवारों की संचित संख्या मार्च 2007 के अंत तक लगभग 41 मिलियन होगी। इस प्रकार, औसत परिवार के आकार में 5 सदस्यों को मानते हुए सहायताप्राप्त निर्धन लोगों की अनुमानित संख्या लगभग 205 मिलियन होगी।

7.103 बैंकों के साथ सहबद्ध स्वयं-सहायता समूहों (एसएचजी) के क्षेत्र-वार स्वरूप ने दक्षिणी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक संकेंद्रण दर्शाया, यद्यपि अन्य क्षेत्रों के अंश में, विशेष रूप से पूर्वी क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ कुछ वर्षों में स्थानिक असमानता कम हुई (सारणी 7.23)।

7.104 औसत ऋण राशि प्रति एसएचजी 61,648 रुपये थी। उक्त कार्यक्रम की एक उल्लेखनीय विशेषता महिलाओं की सक्रिय सहभागिता

सारणी 7.23 : बैंकों के साथ सहबद्ध स्वयं-सहायता समूहों (एसएचजी) का क्षेत्रीय स्वरूप

(कुल में से प्रतिशत)

क्षेत्र/मार्च के अंत में	2001	2002	2003	2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7
उत्तरी	3.4	4.2	4.9	4.9	5.3	5.9
उत्तर-पूर्वी	0.2	0.3	0.6	1.1	2.1	2.8
पूर्वी	8.4	9.9	12.7	14.7	16.4	17.6
मध्य	10.9	10.4	11.4	11.8	12.2	12.0
पश्चिमी	5.9	6.4	5.9	5.1	5.9	7.4
दक्षिणी	71.1	68.8	64.6	62.5	58.0	54.3
अखिल भारतीय	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

स्रोत : भारत में एसएचजी-बैंक सहबद्धता की प्रगति 2005-06, नाबार्ड।

बॉक्स VII.14

स्वयं-सहायता समूह (एसएचजी)-बैंक सहबद्धता कार्यक्रम - एक मूल्यांकन

भारत में मूल स्तर पर एसएचजी-बैंक सहबद्धता कार्यक्रम के प्रभाव के संबंध में मूल्यांकन के कुछ अध्ययन किये गये हैं। पुह्लेंदी और सत्यसाई (2000) ने पाया कि स्वयं-सहायता समूह (एसएचजी) से पहले और उसके बाद की स्थितियों के बीच परिवारों के आय स्तरों (स्लैबों) में उच्चतर आय स्तरों की ओर अंतरण था। लगभग 74 प्रतिशत नमूना परिवार एसएचजी-पूर्व स्थिति के दौरान 22,500 रुपये के वार्षिक आय के स्तर से नीचे थे। यह अनुपात बढ़ी हुई आय के स्तरों के कारण एसएचजी के बाद की स्थिति में घटकर 57 प्रतिशत हो गया। इसके अलावा, समूह में अंतर्ग्रस्तता ने सदस्यों के आत्मविश्वास में सुधार लाने के लिए उल्लेखनीय रूप में योगदान किया। एसएचजी के साथ संबद्ध होने के बाद स्वयं के महत्व की भावना और समूह के अन्य सदस्यों के साथ संवाद में सुधार आया। सामाजिक बुराइयों और समस्यात्मक स्थितियों का सामना करने में सदस्य अपेक्षाकृत अधिक दृढ़ थे।

एक और अध्ययन में पुह्लेंदी और बादत्या (2002) ने पाया कि साहूकारों और अन्य अनौपचारिक स्रोतों से उच्चतर ब्याज-दरों पर ऋण प्राप्त करना एसएचजी की मध्यस्थता के कारण उल्लेखनीय रूप में कम हो गया। यह भी देखा गया कि एसएचजी के बाद की स्थिति में उपभोग उन्मुख ऋणों का स्थान उत्पादन उन्मुख ऋणों ने ले लिया।

एक अन्य अध्ययन (एपीएमएस और ईडीए ग्रामीण प्रणालियाँ, 2006) ने पाया कि नमूने में स्थित एसएचजी में से 30 प्रतिशत सामुदायिक कार्यों में संबद्ध थे। इन कार्यों के अंतर्गत सामुदायिक कार्यों में सुधार (जल की आपूर्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य रक्षा, पशु रक्षा, ग्रामीण सड़क सहित कुल कार्यों का 43 प्रतिशत), शराब की बिक्री और मद्यपान को रोकने का प्रयास (31 प्रतिशत), नई बुनियादी संरचना के लिए वित्त और श्रम का अंशदान करना (12 प्रतिशत), प्राकृतिक

संसाधनों की रक्षा करना तथा दान के कार्य (गैर-सदस्यों के लिए) शामिल थे। एसएचजी द्वारा किया गया सर्वाधिक सामान्य प्रकार का कार्य स्थानीय शराब की दुकानों को बंद करवाने के लिए प्रयास था।

उक्त अध्ययन में यह भी बताया गया कि इस प्रकार के सामुदायिक कार्यों में महिलाओं के लिए एक नई निर्भिकता और आत्मविश्वास निहित था जो प्रायः प्राधिकारियों (पंचायत, जिला अधिकारीगण और पुलिस) को अपना काम करने के लिए दबाव डालने में सक्रिय थीं चाहे वह याचिकाओं के माध्यम से हो, या रैलियाँ और रास्ता रोको आयोजित करने से; तथा एसएचजी के प्रमुखों के साथ विचार-विमर्श के जरिए अपनी बात को मनवाने का विभिन्न प्रकार का कौशल भी उल्लेखनीय था।

आंध्र प्रदेश जैसे कुछ राज्य एसएचजी के माध्यम से विभिन्न विकासात्मक और गरीबी हटाने की योजनाओं के कार्यान्वयन का प्रयास कर रहे हैं।

संदर्भ :

1. पुह्लेंदी, वी. और सत्यसाई, के. जे. एस. 2000। माइक्रो-फाइनेंस फॉर रूरल पीपल : एन इम्पैक्ट इवैल्युएशन; नाबार्ड।
2. पुह्लेंदी, वी. और बादत्या, के. सी. 2002। एसएचजी-बैंक लिंकेज प्रोग्राम फॉर रूरलपूर - एन इम्पैक्ट एसेसमेंट : www.microfinancegateway.org
3. एपीएमएस और ईडीए रूरल सिस्टम्स. 2006। सेल्फ-हेल्प ग्रुप्स इन इंडिया : ए स्टडी ऑफ द लाइट्स एण्ड शेड्स; आंध्र प्रदेश महिला अभिवृद्धि सोसाइटी (एपीएमएस) तथा ईडीए रूरल सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया अध्ययन; www.apmas.org

(90 प्रतिशत) और ऋण की समय पर चुकौती (90 प्रतिशत से अधिक) थी। स्वयं-सहायता समूहों (एसएचजी) की चुकौती की उच्च दरों ने एसएचजी को ऋण देने के लिए बैंकों को सहूलियत प्रदान की (बॉक्स VII.14)।

7.105 उपर्युक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि रिजर्व बैंक और सरकार द्वारा की गई विभिन्न पहलों के कारण हाल के वर्षों में अपेक्षाकृत वंचित खंडों को औपचारिक वित्तीय संस्थाओं से ऋण वितरण में उल्लेखनीय रूप में सुधार आया है। इसके परिणामस्वरूप, सभी ऋण संस्थाओं द्वारा कृषि को समग्र ऋण 1991-92 और 2001-02 के बीच के 16.8 प्रतिशत की तुलना में 2002-03 और 2007-08 के बीच 26.5 प्रतिशत की वार्षिक चक्रवृद्धि दर से बढ़ा (सारणी 7.24)।

7.106 सारांश के तौर पर 2000 के दशक के प्रारंभ से अर्थात् एनएसएसओ द्वारा एआइडीआइएस के संदर्भ वर्ष के बाद की अवधि के दौरान ऋण-व्यापन (प्रति 100 व्यक्ति ऋण खाते) तथा सामान्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र को और कृषि को ऋण की उपलब्धता में सुस्पष्ट सुधार हुआ है। औपचारिक ऋण के सभी स्रोतों को एक साथ लेने पर प्रति 100 वयस्क ऋण खातों की संख्या, जो 1993 के 20 से घटकर 2002 में 18 हो गई थी, सुधरकर 2007 में 25 हो गई (सारणी 7.25)।

सारणी 7.24 : भारत में कृषि क्षेत्र को संस्थागत ऋण प्रवाह

(करोड़ रुपये)

वर्ष	सहकारी संस्थाएँ	क्षे.ग्रा. बैंक	वाणिज्य बैंक	कुल
1	2	3	4	5
1991-92	5,797 (45.9)	596 (78.2)	4,806 (2.8)	11,199 (24.7)
2001-02	23,604 (13.5)	4,854 (15.0)	33,587 (20.8)	62,045 (17.4)
2002-03	23,716 (0.5)	6,070 (25.1)	39,774 (18.4)	69,560 (12.1)
2003-04	26,959 (13.7)	7,581 (24.9)	52,441 (31.8)	86,981 (25.0)
2004-05	31,424 (16.6)	12,404 (63.6)	81,481 (55.4)	125,309 (44.1)
2005-06	39,404 (25.4)	15,223 (22.7)	125,859 (54.5)	180,486 (44.0)
2006-07	42,480 (7.8)	20,435 (34.2)	140,382 (11.5)	203,297 (12.6)
2007-08	43,684 (2.8)	24,814 (21.4)	156,850 (11.7)	225,348 (10.8)
<i>जापन : संयोजित वार्षिक संवृद्धि दरें</i>				
1991-92 से 2001-02	13.6	21.0	19.3	16.8
2002-03 से 2007-08	13.0	32.5	31.6	26.5
टिप्पणी : कोष्ठक में आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन हैं।				
स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड।				

सारणी 7.25 : संस्थाओं के पास ऋण खातों की संख्या

संस्था/मार्च के अंत में	(मिलियन)		
	1993	2002	2007
1	2	3	4
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	46.4	43.3	76.6
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	13.0	12.6	15.0
प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ	50.5	55.5	47.9
शहरी सहकारी बैंक	4.7	4.4	7.1
स्वयं-सहायता समूह (एसएचजी)	0.0	7.4	40.5
कुल	114.6	123.3	187.1
प्रति 100 व्यक्ति कुल खाते	13	12	17
प्रति 100 वयस्क कुल खाते	20	18	25

टिप्पणी: 1. 1993 और 2002 के लिए शहरी सहकारी बैंकों संबंधी आंकड़े अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के मामले में पाई गई वृद्धि के समान ही मानते हुए अनुमानित हैं।

2. एसएचजी के पास खाते 1993 और 2002 में औसतन प्रति एसएचजी 16 खाते तथा 2007 में 14 खाते मानते हुए अनुमानित हैं (नाबार्ड से सानुरोध प्राप्त)। अपेक्षाकृत छोटे आकार में अनेक नये एसएचजी के बनने के कारण हाल के वर्षों में एसएचजी का औसत आकार घट गया है।

3. दुहरी गणना से बचने के लिए एसएचजी की संख्या को अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के पास ऋण खातों से समायोजित किया गया है।

वित्तीय समावेशन : जमा का पहलू

7.107 ऋण की उपलब्धता के अतिरिक्त, जमा राशियों की सुविधा वित्तीय समावेशन का एक और मुख्य तत्व है। यह खास तौर से कम और अनियमित आय वाले लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। सुरक्षित जमा राशियों की सुविधा तक पहुँच ऐसे लोगों को सुविधापूर्वक अपने व्यय की योजना बनाने में समर्थ बनाती है। यह बचत (थ्रिफ्ट) को भी बढ़ावा देती है और बचत की संस्कृति को विकसित करती है। ऐसी सुविधा के अभाव में लोग अपनी बचत की राशि विभिन्न अनौपचारिक रूपों में रख सकते हैं जैसे घर में नकदी अथवा रिश्तेदारों/साहूकारों

के पास जमा के रूप में। ऐसी स्थितियों में धनराशि को खो देने की संभावना बहुत अधिक रहती है जो लोगों को कष्ट पहुँचाती है और उन्हें और अधिक बचत करने के लिए निरुत्साहित करती है। [सुरक्षित जमा राशियों की कुंजी] जब भी आवश्यकता हो तब खातों से धनराशि आहरित करने का सामर्थ्य है। इस प्रकार इस संबंध में उपलब्ध उत्पादों का स्वरूप वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है।

7.108 भारत के संदर्भ में बचत जमा खाते बैंकों और डाक घरों द्वारा उपलब्ध कराये जाते हैं। तदनुसार, इस खंड में बचत खाते उपलब्ध कराने के संबंध में बैंकिंग प्रणाली और डाक घरों द्वारा की गई प्रगति की जाँच की गई है जो बैंकों के लिए बीएसआर डाटा और डाक विभाग से प्राप्त डाटा पर आधारित है। इस विश्लेषण की एक सीमा है, एक ही व्यक्ति द्वारा धारित बहुविध खाते तथा निष्क्रिय खाते जो एक लंबे समय से परिचालित नहीं किये गये हैं। फिर भी, प्रति व्यक्ति जमा खाते वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में की गई प्रगति के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं।

बचत बैंक खाते

7.109 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा खोले गए बचत खातों की संख्या का वर्षों से, विशेष रूप से 1970 के दशक के प्रारंभ और 1990 के दशक के प्रारंभ के बीच उल्लेखनीय रूप से विस्तार हुआ। बचत खातों में विस्तार जनसंख्या की वृद्धि से भी अधिक तेज गति से हुआ था, जिसके परिणामस्वरूप बचत खाताओं के व्यापन में भारी सुधार (प्रति 100 व्यक्ति बचत खाते) हुआ (सारणी 7.26)। यह सुधार शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में देखा गया। प्रति 100 व्यक्ति/वयस्क बचत खातों की संख्या, जो 1991 और 2002 के बीच घट गई थी, उसके बाद, तेजी से बढ़ गई। इसके परिणामस्वरूप, मार्च 2007 की समाप्ति पर प्रति 100 व्यक्ति/वयस्क बचत खातों की संख्या मार्च 1991 के अंत में स्थित संख्या से बड़ी थी। यह आय के स्तरों में वृद्धि

सारणी 7.26 : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के पास बचत खाते

(मार्च के अंत में)

वर्ष	1971*	1981	1991	2001	2006	2007	
1	2	3	4	5	6	7	8
ग्रामीण	खातों की संख्या (मिलियन)	—	56.9	153.8	169.8	194.4	213.8
	प्रति 100 व्यक्ति खाते	—	10.9	24.5	22.9	24.2	26.2
	प्रति 100 वयस्क खाते	—	17.9	39.2	35.0	35.8	38.8
शहरी	खातों की संख्या (मिलियन)	—	40.9	99.2	110.2	149.1	159.7
	प्रति 100 व्यक्ति खाते	—	25.7	45.6	38.5	48.1	50.7
	प्रति 100 वयस्क खाते	—	42.3	73.1	58.9	71.4	75.2
कुल	खातों की संख्या (मिलियन)	23.6	97.8	253.0	280.0	343.4	373.5
	प्रति 100 व्यक्ति खाते	4.3	14.3	29.9	27.2	30.8	33.0
	प्रति 100 वयस्क खाते	7.1	22.9	46.8	41.5	45.9	48.9

* : जून के अंत में यथाविद्यमान।

स्रोत : भारत में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की मूलभूत सांख्यिकीय विवरणियाँ।

और रिजर्व बैंक द्वारा की गई विभिन्न पहलों को प्रतिबिंबित करता है जैसे 'शून्य' अथवा कम न्यूनतम शेषराशियों के साथ 'नो फ्रिल्स' खाते खोलने के लिए बैंकों को प्रेरित करना।

7.110 क्षेत्र-वार स्वरूप यह निर्दिष्ट करता है कि प्रति 100 व्यक्ति बचत खाते 1991 और 2001 के बीच केवल उत्तर-पूर्वी और मध्य क्षेत्रों को छोड़कर, जहाँ प्रति 100 व्यक्ति बचत खातों में वृद्धि हुई, सभी क्षेत्रों में घट गये। यह प्रवृत्ति मोटे तौर पर ग्रामीण और दोनों शहरी क्षेत्रों में देखी गई। तथापि, बचत खाता व्यापन सभी क्षेत्रों में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में 2001 और 2007 के बीच तेजी से बढ़ा (सारणी 7.27)। ऋण खातों की तुलना में बचत खातों तक पहुँच अधिक समान रूप से व्याप्त हुई। ऋण खातों ने दक्षिणी क्षेत्र में अधिक संकेंद्रण दर्शाया जबकि बचत खाते उत्तरी, दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रों में लगभग समान रूप से व्याप्त हुए। तथापि, दोनों बचत खातों और ऋण खातों का व्यापन उत्तर-पूर्वी, पूर्वी और मध्य क्षेत्रों में कम रहा।

7.111 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पास बचत खातों की संख्या, जो सारणी 7.27 में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के आंकड़ों में शामिल की गई है, 1991 और 2006 के बीच उल्लेखनीय रूप में बढ़ी। खातों की संख्या में वृद्धि के आगे-पीछे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पास जमाराशियाँ भी बढ़ गई (7.28)।

7.112 जैसा कि पहले संकेत किया गया है, वित्तीय समावेशन प्रदान करने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को सूचित किया था कि वे 'शून्य' अथवा कम न्यूनतम शेषराशियों एवं प्रभारों के साथ एक मूलभूत बैंकिंग 'नो फ्रिल्स' खाता उपलब्ध कराएँ। भारत में बैंकों द्वारा खोले गए 'नो फ्रिल्स' खातों की संख्या में उल्लेखनीय प्रगति रही है (सारणी 7.29)।

7.113 इन्वेस्ट इंडिया आय और बचत सर्वेक्षण 2007 के अनुसार बचत खाते रखनेवाले उत्तरदाताओं का अनुपात उच्चतर आय समूहों की तुलना में निम्न आय समूहों में उल्लेखनीय रूप से कम था। आय के स्तर में वृद्धि के साथ ही बैंक खाता रखनेवाली आबादी का अनुपात बढ़ा। उक्त सर्वेक्षण से यह भी विदित होता है कि उत्तरदाताओं के

सारणी 7.28 : क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पास बचत खाते

वर्ष	खातों की संख्या (मिलियन)	बकाया जमाराशियाँ (करोड़ रुपये)
1	2	3
1991	26.5	2,552
1992	28.5	2,899
1993	29.7	3,059
1994	30.5	4,016
1995	31.2	5,246
1996	31.4	6,006
1997	32.7	7,354
1998	34.4	9,242
1999	34.4	10,902
2000	35.4	12,777
2001	36.7	14,732
2002	36.7	17,507
2003	40.1	20,803
2004	42.9	25,670
2005	44.9	30,390
2006	47.5	37,559
2007	52.7	45,014

स्रोत : भारत में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की मूलभूत सांख्यिकीय विवरणियाँ।

लगभग 45 प्रतिशत के पास किसी बैंक के पास एक बचत खाता था। इसके अलावा, शहरी क्षेत्रों में धारित बचत खातों की संख्या ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक थी (सारणी 7.30)।

7.114 मैक्स न्यूयार्क लाइफ एण्ड एनसीईआर द्वारा संचालित एक और सर्वेक्षण में पाया गया कि अखिल भारतीय स्तर पर परिवारों के 66 प्रतिशत के पास किसी वित्तीय संस्था (वाणिज्य बैंक, डाक घर, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और पंजीकृत समितियाँ) में खाते हैं। यह प्रतिशत शहरी क्षेत्रों के 82 प्रतिशत की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में 59 प्रतिशत पर कम था (एनसीईआर, 2008)। इस सर्वेक्षण ने यह भी निर्दिष्ट किया कि भारत में कुल परिवारों के 36 प्रतिशत ने बचत की राशि को घर में ही रखने के लिए वरीयता दी, जबकि भारतीय परिवारों में से आधे से अधिक परिवारों ने अपनी बचत की राशियाँ बैंक जमाराशियों

सारणी 7.27 : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के बचत खाते

(प्रति 100 व्यक्ति)

क्षेत्र/मार्च के अंत में	ग्रामीण			शहरी			कुल		
	1991	2001	2007	1991	2001	2007	1991	2001	2007
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
उत्तरी	30.1	27.3	29.9	62.6	50.3	64.1	40.0	35.0	41.5
उत्तर-पूर्वी	16.1	16.9	18.9	28.4	25.6	33.6	17.8	18.3	21.2
पूर्वी	17.7	16.2	18.4	40.0	37.4	44.4	21.8	20.2	23.3
मध्य	21.0	21.8	23.7	34.7	31.1	40.2	23.8	23.9	27.4
पश्चिमी	24.7	21.9	26.4	53.8	42.0	53.6	35.5	30.1	37.5
दक्षिणी	34.6	31.9	38.7	42.7	35.9	53.8	37.0	33.2	43.8
अखिल भारतीय	24.5	22.9	26.2	45.6	38.5	50.8	29.9	27.2	33.0

स्रोत : भारत में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की मूलभूत सांख्यिकीय विवरणियाँ।

सारणी 7.29 : भारत में खोले गये 'नो फ्रिल्स' खातों की संख्या

(खातों की संख्या)

श्रेणी	मार्च 2006 के अंत में	मार्च 2007 के अंत में	दिसंबर 2007 के अंत में
1	2	3	4
सरकारी क्षेत्र के बैंक	332,878	5,865,419	11,026,619
निजी क्षेत्र के बैंक	156,388	856,495	1,560,518
विदेशी बैंक	231	2,753	30,260
कुल	489,497	6,724,667	12,617,397

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक ।

में रखने के प्रति अधिमानता दी । ग्रामीण क्षेत्रों में बचत की राशि घर में ही रखने के लिए अधिमानता (41.7 प्रतिशत) शहरी क्षेत्रों में ऐसी अधिमानता (23.4 प्रतिशत) से उल्लेखनीय रूप से अधिक थी । दूसरी ओर, अपनी बचत की राशि बैंक जमा राशियों में रखने के लिए वरीयता देनेवाले ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों (45.3 प्रतिशत) की तुलना में इस प्रकार वरीयता देनेवाले शहरी क्षेत्रों के परिवारों की संख्या (62.6 प्रतिशत) उल्लेखनीय रूप में अधिक थी ।

डाक बचत और विप्रेषण

7.115 बैंकिंग प्रणाली के अतिरिक्त, भारत में डाक घर भी जमा राशियाँ रखने और विप्रेषण करने की सेवाएँ प्रदान करते हैं । मार्च 2005 की समाप्ति पर 155,516 डाक घरों के साथ भारतीय डाक सेवा विश्व में सबसे अधिक व्याप्त डाक घर प्रणाली है । दूरस्थ क्षेत्रों में विस्तृत उपस्थिति के साथ डाक घरों की संख्या देश में बैंक शाखाओं की संख्या से दुगुनी से भी अधिक थी । भारत में एक डाक घर ने औसतन मार्च 2005 की समाप्ति पर 7,046 व्यक्तियों की सेवा की । भारतीय डाक घर विभिन्न प्रकार की अल्प बचत योजनाएँ देते हैं तथा अन्य बैंकिंग और वित्तीय सेवाएँ भी उपलब्ध कराते हैं । अल्प बचत योजनाओं में विभिन्न परिपक्वताओं वाली जमा राशियाँ और सार्वजनिक भविष्य निधियाँ शामिल हैं । अन्य वित्तीय सेवाओं में मनी आर्डर,

सारणी 7.30 : बैंक खाता रखनेवाले अर्जक - 2007


(कुल अर्जकों* में से प्रतिशत)

वार्षिक आय का दायरा (रुपये)	शहरी	ग्रामीण	कुल
1	2	3	4
50,000 से कम	34.1	26.8	28.3
50,000 से 100,000	75.5	71.2	73.0
100,000 से 200,000	91.8	87.4	89.9
200,000 से 400,000	95.5	93.6	94.9
400,000 से अधिक	98.0	96.3	97.6
सभी	61.7	38.0	44.9

* : अर्जक की परिभाषा एक ऐसे व्यक्ति के रूप में दी गई है जो 18-59 वर्ष की आयु के दायरे में है और कुछ नकदी आय अर्जित कर रहा है ।

स्रोत : आइआइएमएस, 2007

चार्ट VII.3 : डाक घर बचत योजनाएँ - खातों की संख्या में अंश
(मार्च 2005 के अंत में)



अंतरराष्ट्रीय विप्रेषण, म्यूच्युअल फंड और डाक जीवन बीमा शामिल हैं ।

7.116 डाक घरों के पास, जो चेक सुविधा देते हैं, बचत बैंक खातों की संख्या 60.3 मिलियन अर्थात् बैंकों के पास बचत खातों (लगभग 320 मिलियन) का लगभग 19 प्रतिशत थी । मार्च 2005 की समाप्ति पर डाक घरों में बचत जमा राशियों की प्रति खाता राशि लगभग 2,500 रुपये थी जबकि बैंकों के पास यह लगभग 15,000 रुपये थी । यह इसलिए था क्योंकि डाक घर बड़ी सीमा तक निम्न आय वर्गों की बैंकिंग आवश्यकताएँ पूरी करते हैं । बचत बैंक खातों के अतिरिक्त, डाक घर कई अन्य उत्पाद भी देते हैं (चार्ट VII.3) ।

7.117 विभिन्न संस्थाओं (अनुसूचित वाणिज्य बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शहरी सहकारी बैंक, प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ और डाक घर) के पास बचत खातों की कुल स्थिति ने संख्यात्मक रूप में 1993 की तुलना में 2002 तक और उससे आगे 2007 तक नियमित सुधार दर्शाया है । तथापि, प्रति 100 व्यक्ति/वयस्क बचत खाते 1993 की तुलना में 2002 में घट गये । इसके बाद स्थिति में उल्लेखनीय रूप में सुधार आया । इसके परिणामस्वरूप, 2007 में प्रति 100 उसके व्यक्ति/वयस्क बचत खाते 1993 की तुलना में अधिक थे (सारणी 7.31) ।

बीमा सेवाएँ

7.118 अधिकांश देशों में जनसंख्या के एक बहुत बड़े भाग के पास औपचारिक बीमा सेवाओं तक पहुँच नहीं है । अनेक देशों में व्यक्ति-बीमा सेवाओं का विस्तार केवल हाल के वर्षों में ही होने लगा है । बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आइआरडीए) निम्न आय वाले परिवारों के लिए बीमा सेवाएँ प्रदान करने के लिए सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करता रहा है ।

सारणी 7.31 : संस्थाओं के पास बचत खातों की संख्या

संस्था/मार्च के अंत में	(मिलियन)		
	1993	2002	2007
1	2	3	4
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	246.0	246.5	320.9
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	30.5	36.7	52.7
प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ	89.0	102.1	125.8
शहरी सहकारी बैंक	41.6	41.6	50.0
डाक घर	47.5	60.2	60.8
कुल	454.6	487.1	610.3
प्रति 100 व्यक्ति कुल खाते	51	46	54
प्रति 100 वयस्क कुल खाते	80	72	82

टिप्पणी: 1. 1993 और 2002 के लिए शहरी सहकारी बैंकों संबंधी आंकड़ों का अनुमान अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के मामले में पाई गई वृद्धि के समान ही मानते हुए किया गया है।
2. प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के मामले में खातों की संख्या कुल सदस्यता दर्शाती है।
3. 2007 के लिए डाक घरों के पास बचत खातों संबंधी आंकड़ों का अनुमान 1999-2000 और 2004-05 के बीच चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर के आधार पर किया गया है।

2002 में आइआरडीए ने बीमा कंपनियों के लिए ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र लक्ष्य निर्धारित किये हैं। आइआरडीए अधिनियम, 1999 के प्रारंभ होने के बाद इस व्यवसाय में प्रवेश करनेवाले सभी बीमाकर्ताओं से अपेक्षित है कि वे ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों के प्रति अपने दायित्वों का पालन एक चरणबद्ध रूप में करें। भारत में, नवंबर 2007 में जीवन बीमा पालिसियों (व्यक्तिगत एकल प्रीमियम) की कुल संख्या लगभग 3.41 मिलियन थी (आइआरडीए, 2008)। इसका अर्थ यह है कि प्रति हजार व्यक्ति केवल लगभग 3.1 पालिसियाँ हैं। भारत में बीमा का व्यापन (जीडीपी के प्रतिशत के रूप में बीमा प्रीमियम) कई उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक था, परंतु उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में उल्लेखनीय रूप में कम था (सारणी 7.32)।

विभिन्न एजेसियों द्वारा वित्तीय समावेशन का मूल्यांकन : एक तुलना

7.119 एनएसएसओ के अखिल भारतीय ऋण और निवेश सर्वेक्षण एवं रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित बीएसआर डाटा⁹ की तुलना से यह विदित होता है कि बैंकों द्वारा परिवारों को प्रदान किये गये ऋण में उल्लेखनीय अंतर है (सारणी 7.33)। यह प्रतीत होता है कि बैंकिंग प्रणाली के प्रति घरेलू ऋणप्रस्तुतता की सीमा के संबंध में एनएसएसओ डेटा द्वारा परिवारों/

सारणी 7.32 : बीमा व्यापन अनुपात - चयनित देश - 2005

देश	बीमा व्यापन
1	2
विकासशील देश	
बंगला देश	0.61
चीनी जनतांत्रिक गणतंत्र	2.70
भारत	3.14
इंडोनेशिया	1.52
पाकिस्तान	0.67
फिलिपीन्स	1.48
श्रीलंका	1.46
विकसित देश	
जापान	10.54
युनाइटेड किंगडम	12.45
संयुक्त राज्य अमेरिका	9.15
कोरिया गणतंत्र	10.25
टिप्पणी : बीमा व्यापन सकल देशी उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सकल बीमा प्रीमियम है।	
स्रोत : एशियाई विकास बैंक, 2007।	

खातों और बकाया ऋण दोनों के तौर पर कम अनुमान किया गया है। इसके अलावा, ऋण खातों की संख्या और ऐसे खातों में बकाया राशि, जैसी कि बीएसआर डेटा में प्रकट की गई है, 2002 और 2007 के बीच तेजी से बढ़ गई।

7.120 एनसीईआर/मैक्स न्यूयार्क लाइफ सर्वेक्षण के साथ बचत खातों और अन्य संस्थाओं (शहरी सहकारी बैंकों, डाक घरों और प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के पास खातों)के संबंध में समेकित बीएसआर डेटा की तुलना से भी वित्तीय समावेशन की सीमा में उल्लेखनीय अंतरों का पता चलता है। बैंकों और विभिन्न अन्य वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 2007 में 100 में से 54 व्यक्तियों ने किसी न किसी औपचारिक वित्तीय संस्था के पास बचत खाता रखा जबकि तुलनात्मक रूप में स्थिति 2005 में प्रति 100 व्यक्ति 50 खातों की थी। 5 व्यक्तियों को परिवार का औसत आकार मानते हुए मालूम होता है कि प्रति 100 परिवारों के लिए लगभग 250 खाते (प्रति परिवार 2.5 खाते) हैं। दूसरी ओर, एनसीईआर/मैक्स न्यूयार्क लाइफ सर्वेक्षण ने पाया कि 66 प्रतिशत परिवारों ने किसी एक वित्तीय संस्था के पास खाता धारित किया, जिससे विदित होता है कि प्रति 100 व्यक्ति 13 खाते¹⁰ हैं (चार्ट VII.4)। विभिन्न अध्ययनों में वित्तीय

⁹ रिजर्व बैंक बीएसआर-1 नामक एक वार्षिक विवरणी में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) से 31 मार्च की स्थिति के अनुसार बकाया ऋण के बारे में सूचना संगृहीत करता है। बीएसआर-1 के भाग-एवं में 200,000 रु पये से अधिक की ऋण सीमा वाले सभी खातों के बकाया ऋण के संबंध में विस्तृत खाता-वार सूचना उपलब्ध कराई जाती है तथा भाग-बी में 200,000 रु पये तक के अग्रिमों के लिए, जिन्हें छोटे उधार खाते कहा जाता है, सूचना दी जाती है। केवल खातों की संख्या, बकाया राशि और ऋण सीमाओं के संबंध में व्यवसाय-वार समेकित सूचना प्राप्त की जाती है। व्यक्तियों, स्वामित्व और भागीदारी वाले प्रतिष्ठानों, सहकारी समितियों, कंपनी निकायों और ऐसे अन्य समूहों जैसे खातादारों की श्रेणी के अनुसार छोटे उधार खातों के बकाया ऋणों के संबंध में विस्तृत खाता-वार सूचना छोटे उधार खातों के एक अलग सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त की जाती है। मार्च 2002 की स्थिति के अनुसार वैयक्तिक खाताधारकों के संबंध में कुल बकाया राशि की सूचना प्राप्त करने के लिए छोटे उधार खातों के सर्वेक्षण 2001 के परिणामों का उपयोग किया गया जो 31 मार्च 2002 के लिए बीएसआर-1 से संबंधित निकटतम सर्वेक्षण है।

¹⁰ आइआइएमएस, 2007 सर्वेक्षण ने निर्दिष्ट किया कि उत्तरदाताओं (अर्जकों) के लगभग 45 प्रतिशत का किसी न किसी बैंक में खाता था। उक्त सर्वेक्षण के निष्कर्ष, जो अर्जकों के लिए लागू हैं, अन्य डेटा के साथ तुलनीय नहीं हैं जिनके बारे में इस अध्याय में चर्चा की गई है।

सारणी 7.33 : एआइडीआइएस और बीएसआर डेटा की तुलना - वाणिज्य बैंकों के प्रति परिवारों की ऋणग्रस्तता

मद	एआइडीआइएस 1991	बीएसआर 1991	एआइडीआइएस 2002	बीएसआर 2002	बीएसआर 2007
1	2	3	4	5	6
परिवारों/खातों की संख्या '000 में	10,277 (16.9)	60,911	10,189 (19.9)	53,918	83,016
बकाया ऋण की राशि (करोड़ रुपये)	10,775 (24.9)	43,171	46,712 (27.8)	175,659	654,392
प्रति परिवार/खाता बकाया राशि (रुपये)	10,464	7,088	45,846	32,579	78,827
विभिन्न ब्याज दर समूहों के अंतर्गत बकाया ऋण का अंश					
12.0 प्रतिशत से कम	-	-	27.6	16.9	64.2
12.0-15.0 प्रतिशत	-	-	40.9	57.2	18.5
15.0 प्रतिशत और उससे अधिक	-	-	31.5	25.0	17.3
टिप्पणी : स्तंभ 2 और 4 में कोष्ठक में आंकड़े क्रमशः स्तंभ 3 और 5 में बीएसआर डेटा के प्रतिशत के रूप में एआइडीआइएस डेटा को निर्दिष्ट करते हैं।					


समावेशन/वंचन के परिमाण में अंतर अन्य बातों के साथ-साथ डेटा संबंधी समस्याओं और कार्यपद्धतियों में अंतरों, परिभाषाओं और अन्य उपादानों के कारण हो सकते हैं जिनके बारे में ऊपर चर्चा की गई है। अतः विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर परिणामों का सावधानीपूर्वक अर्थ लगाने की आवश्यकता है।

7.121 बचत खातों के व्यापन का मूल्यांकन करते समय यह उपयुक्त होगा कि उन लोगों को छोड़ दिया जाए जिनके पास बचत करने के लिए बहुत कम अथवा शून्य क्षमता है। गरीबी की रेखा से नीचे रहनेवाले 22 प्रतिशत से भी अधिक लोगों के पास इतनी बचत नहीं होगी कि वे उसे बैंक जमाराशियों में अथवा अन्य वैकल्पिक सरणियों में रखें।

इसकी पुष्टि मैक्स न्यूयार्क लाइफ-एनसीएईआर अध्ययन (2008) द्वारा भी की गई जिन्होंने पाया कि कुल परिवारों में से लगभग 20 प्रतिशत के पास कोई बचत नहीं थी। इस प्रकार परिवारों के एक खंड के लिए बैंकिंग सेवाओं तक पहुँचने में बाधा उनके लिए उपलब्ध बैंकिंग सेवाओं के अभाव की अपेक्षा बचत के अभाव के कारण है। गरीबी की रेखा से नीचे रहनेवाले लोगों को वर्जित करने के बाद यह अनुमान है कि भारत में प्रति 100 वयस्क 105 खाते हैं¹¹।

7.122 व्यावहारिक विश्लेषण से यह विदित होता है कि आर्थिक वृद्धि और मूलभूत संरचना (माँग संबंधी कारक), तथा शाखा नेटवर्क (आपूर्ति संबंधी कारक) वित्तीय समावेशन के मुख्य निर्धारक तत्व हैं। इसके साथ ही, वित्तीय समावेशन अन्य बातों के साथ-साथ आर्थिक विकास को भी प्रभावित करता है (बॉक्स VII.15)।

7.123 सारांश के तौर पर एनएसएसओ के अखिल भारतीय ऋण और निवेश सर्वेक्षण के अनुसार परिवारों की ऋणग्रस्तता 1991 और 2002 के बीच तेजी से बढ़ी। यह मुख्य रूप से उपभोग और अन्य व्यय में तीव्र वृद्धि के कारण थी जिसके लिए वित्तपोषण संस्थागत स्रोतों से आसानी से नहीं हो सकता था। आंकड़ों से यह भी सूचना मिलती है कि आनुपातिक रूप में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में संस्थागत स्रोतों के प्रति ऋणग्रस्त परिवारों की संख्या 1991 और 2002 के बीच बढ़ी। तथापि, संस्थागत स्रोतों के प्रति ऋणग्रस्त परिवारों का अनुपात और परिवारों के बकाया ऋण में संस्थागत स्रोतों का अंश 1991 और 2002 के बीच तेजी से घट गया। विस्तृत रूप से किया गया विश्लेषण यह सूचित करता है कि 1991 और 2002 के बीच संस्थागत एजेंसियों ने परिवारों को ऋण में वृद्धि करना लगभग उसी दर से जारी रखा जो 1981 और 1991 के बीच विद्यमान थी। तथापि, गैर-संस्थागत स्रोतों से उपभोग और अन्य अनुत्पादक प्रयोजनों के लिए ऋण में तीव्र वृद्धि के परिणामस्वरूप



¹¹ प्रति 100 वयस्क 82 बचत खातों का आशय गरीबी की रेखा से ऊपर रहनेवाले लगभग प्रति 78 वयस्क 82 खाते हैं (गरीबी की रेखा से नीचे रहनेवाले 22 प्रतिशत लोगों को छोड़ने के बाद)।

बॉक्स VII.15

वित्तीय समावेशन और विकास के संकेतकों के बीच संबंध

माँग और आपूर्ति दोनों संबंधी कारकों का बैंकिंग सेवाओं के उपयोग के साथ एक महत्वपूर्ण संबंध है। आपूर्ति संबंधी कारकों में अन्य बातों के साथ-साथ शाखा से दूरी, शाखा का कार्य-समय, बोझिल प्रलेखन और कार्यविधियाँ तथा उत्पादों की उपयुक्तता शामिल हैं। माँग के संबंध में वित्तीय सेवाओं के लिए माँग को प्रभावित करनेवाले मुख्य कारक हैं आय का स्तर, मूलभूत संरचना का विकास और वित्तीय साक्षरता। वास्तव में, साहित्य में यह तर्क दिया जाता है कि वित्तीय समावेशन और आर्थिक विकास के बीच एक दुतरफा संबंध है अर्थात् अधिकाधिक वित्तीय समावेशन आय के उच्चतर स्तर को प्रेरित करता है जो फिर उच्चतर वित्तीय समावेशन के लिए प्रेरणा देता है।

वित्त और संवृद्धि संबंधी साहित्य यह संकेत करता है कि वित्तीय समावेशन आर्थिक संवृद्धि का एक प्रमुख निर्धारक तत्व है। उच्चतर आर्थिक संवृद्धि और मूलभूत संरचना फिर वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इस प्रकार यह तर्क दिया जाता है कि समदृष्टि के साथ संवृद्धि का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए यह अनिवार्य है कि मूलभूत संरचना को वित्तीय समावेशन के आगे-पीछे विकसित किया जाए क्योंकि यह ऋण के अवशोषण की क्षमता को सुसाध्य बनाती है और उसमें वृद्धि करती है। 2001 और 2006 के लिए राज्य-वार पैनल आंकड़ों के आधार पर सामान्य रूप से वित्तीय समावेशन और आर्थिक विकास एवं विशेष रूप से मूलभूत संरचना के विकास के बीच परस्पर संबंध की अनुभवपूर्वक जाँच करने के लिए एक प्रयोग किया गया। प्रति 100 व्यक्तियों के बचत और ऋण खातों को वित्तीय समावेशन के परोक्ष संकेतकों के रूप में लिया गया। प्रति व्यक्ति आय का उपयोग आर्थिक विकास के संकेतक के रूप में किया गया तथा बिजली के उपभोग और सड़क की दूरी को मूलभूत संरचना के विकास के संकेतकों के रूप में लिया गया।

उक्त विश्लेषण से निम्नलिखित निष्कर्ष निकलते हैं। पहला, प्रति व्यक्ति आय और शाखा नेटवर्क के अलावा, बिजली की खपत बचत खातों के विस्तार को निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण कारक है। दूसरे, बिजली की खपत भी ऋण खाता व्यापन को एक महत्वपूर्ण तरीके से प्रभावित करती है। तीसरे, प्रति 100 व्यक्तियों के लिए ऋण खातों के अतिरिक्त, मूलभूत संरचना का विकास भी प्रति व्यक्ति आय के स्तर को उल्लेखनीय रूप में प्रभावित करता है (सारणी 1)। इस प्रकार, यह प्रतीत होता है कि आर्थिक विकास और मूलभूत संरचना, बचत और ऋण के कार्यकलापों के विस्तार

के लिए सहायक स्थितियों का निर्माण करते हुए वित्तीय समावेशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। वित्तीय समावेशन का आर्थिक संवृद्धि पर एक सकारात्मक प्रभाव भी है।

सारणी 1 : प्रतिगमन अनुमान

परिवर्ती (वेरिएबल्स)/ समीकरण	आश्रित परिवर्ती		
	बचत खाते	ऋण खाते	प्रति व्यक्ति आय
स्थिर	-105.8 (-2.69) *	-23.03 (-1.88)	9.07 (108.95) *
प्रति व्यक्ति आय	10.74 (2.54) *	2.77 (2.14) *	-
बिजली	0.15 (2.62) *	0.04 (1.89) *	0.006 (4.04) *
शाखा नेटवर्क	2.86 (10.02) *	-	-
सड़क नेटवर्क	-	-	0.001 (2.90) *
ऋण खाते	-	-	0.30 (2.92) *
समायोजित आर ²	0.89	0.40	0.72

टिप्पणी :

1. प्रेक्षणों की संख्या - 54
2. कोष्ठक में आंकड़े 'टीट' ('T') सांख्यिकी हैं; (*) के साथ चिह्नित मूल्य 95 प्रतिशत पर महत्वपूर्ण हैं।
3. परिवर्ती - रूपों में प्रति व्यक्ति आय; बिजली = प्रति 100,000 व्यक्ति एमडब्ल्यू में बिजली की खपत; सड़क नेटवर्क = कि.मी. में सड़क की लंबाई; शाखा नेटवर्क = प्रति 100,000 व्यक्ति शाखाएँ; बचत खाते = प्रति 100 व्यक्ति बचत खाते; ऋण खाते = प्रति 100 व्यक्ति ऋण खाते।
4. यह प्रयोग वर्ष 2001 और 2006 के लिए समूहीकृत विभिन्न क्षेत्रों से लिए गए राज्य-वार आंकड़ों पर आधारित है। विश्लेषण से कुछ संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी)/छोटे राज्यों को छोड़ दिया गया है।
5. 2006 के लिए सड़क की लंबाई के आंकड़ों का अनुमान 2002 के आंकड़ों और पिछले दो वर्षों के दौरान संवृद्धि की दर के आधार पर किया गया है; बिजली संबंधी आंकड़ों का अनुमान 2004-05 और पिछले दो वर्षों में संवृद्धि दर के आधार पर किया गया है।

आंकड़ों के स्रोत - केंद्रीय बिजली प्राधिकरण, www.cea.nic.in; सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग, <http://morth.nic.in>; और भारत में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की बैंकिंग सांख्यिकीय विवरणियाँ।

ऋणग्रस्त परिवारों की कुल संख्या और उनके बकाया ऋण में संस्थागत स्रोतों के अंश में उल्लेखनीय गिरावट हुई।

7.124 परिवारों को बैंक ऋण 1981 और 1991 के बीच की तुलना में 1991 और 2002 के बीच थोड़ी निम्नतर दर से बढ़ा। तथापि, इसे अपने तुलन-पत्रों को मजबूत बनाने के संबंध में बैंकों के बढ़े हुए फोकस तथा विवेकपूर्ण मानदंडों को लागू करने/सख्त बनाने के कारण जोखिम के प्रति उनकी कुछ विमुखता के संदर्भ में देखने की आवश्यकता है। उक्त अवधि के दौरान बैंकों का समग्र ऋण भी मंद हुआ। इस प्रकार परिवारों को बैंकों के ऋण में सीमांत रूप में मंदी ऋण में समग्र मंदी के अनुरूप ही थी। ग्रामीण क्षेत्र में ऋण के लिए माँग इस अवधि में कृषि की वृद्धि में मंदी द्वारा भी प्रभावित हुई थी। पिछला एआइडीआइएस सर्वेक्षण वर्ष 2002 के लिए

संचालित किया गया था। तथापि, उसके बाद जरूरतमंद क्षेत्रों को ऋण की उपलब्धता बढ़ाने और बैंकिंग के दायरे में और अधिक लोगों को लाने के लिए रिजर्व बैंक और सरकार द्वारा अनेक पहलें की गईं। 2000 के दशक के प्रारंभ से ऋण व्यापन (प्रति 100 व्यक्ति ऋण खाते) तथा सामान्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र को और खास तौर से कृषि को ऋण की उपलब्धता में एक सुस्पष्ट सुधार रहा है। ऋण के सभी औपचारिक स्रोतों को एक साथ लेते हुए प्रति 100 वयस्क ऋण खातों की संख्या 2002 के 18 से उल्लेखनीय रूप में बढ़कर 2007 में 25 हो गई। एनएसएसओ और बीएसआर डेटा की तुलना से यह विदित होता है कि बैंकिंग प्रणाली के प्रति परिवारों की ऋणग्रस्तता की सीमा के संबंध में एनएसएसओ डेटा द्वारा परिवारों/खातों और बकाया ऋण दोनों के तौर पर भारी मात्रा में

कम अनुमान किया गया है जो अन्य बातों के साथ-साथ कार्यपद्धति में अंतरों के कारण हो सकता है।

7.125 जमाराशियों की ओर, प्रति 100 व्यक्ति/वयस्क बचत खाते 1993 की तुलना में 2002 में सीमांत रूप से घटे, जो उन कारणों से था जिन्हें ऊपर निर्दिष्ट किया गया है। तथापि, स्थिति उसके बाद उल्लेखनीय रूप से सुधरी तथा प्रति 100 व्यक्ति/वयस्क बचत खाते 1993 की तुलना में 2007 में अधिक थे। बैंकों और अन्य संस्थाओं (शहरी सहकारी बैंकों, डाक घरों और प्राथमिक कृषि ऋण समितियों) के पास बचत खातों के संबंध में समेकित आंकड़ों के अनुसार 2007 में 100 में से 54 व्यक्तियों के पास बचत खाते थे। पाँच व्यक्तियों को परिवारों का औसत आकार मानते हुए प्रति 100 परिवार लगभग 250 खाते अथवा प्रति परिवार 2.5 खाते धारित किये गये। परिवारों के संबंध में 2005 में संचालित एनसीएईआर/मैक्स न्यूयार्क लाइफ सर्वेक्षण यह सूचित करता है कि 66 प्रतिशत परिवारों ने वित्तीय संस्थाओं के पास खाते धारित किये थे जो गणना से प्रति 100 व्यक्ति 13 खाते बनता है। इससे यह संकेत मिलता है कि विभिन्न डेटा स्रोतों में महत्वपूर्ण अंतर हैं तथा वित्तीय समावेशन/वंचन की सीमा के बारे में किसी भी निष्कर्ष पर पहुँचते समय अत्यंत सावधानी बरतने की आवश्यकता है।

7.126 देश में वित्तीय समावेशन की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए काफी अधिक विस्तृत कार्य करने और तब इसे बढ़ावा देने के लिए आगे और कार्यनीतियाँ बनाने की आवश्यकता है। आंकड़ों के एक ही स्रोत पर निर्भर होने से त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं तथा वास्तविक स्थिति का अधूरा मूल्यांकन हो सकता है। 1990 के दशक से सरकारी क्षेत्र के बैंकों को वित्तीय रूप से मजबूत करने के बाद चालू दशक में विभिन्न दिशाओं में उल्लेखनीय प्रगति की गई है। अंतिम रूप से आंकड़ों से व्यष्टि-वित्त आंदोलन को बहुत उल्लेखनीय रूप में मजबूत करने का संकेत मिलता है। दक्षिण के अलावा अन्य क्षेत्रों में उसकी व्याप्ति के लिए सशक्त रूप से कार्रवाई करने की आवश्यकता है। भारत के संदर्भ में अनुभवजन्य साक्ष्य यह संकेत करता है कि आर्थिक विकास और मूलभूत संरचना (माँग संबंधी कारक) तथा शाखा नेटवर्क (आपूर्ति संबंधी कारक) वित्तीय समावेशन को प्रभावित करनेवाले मुख्य कारक थे। अन्यों के साथ-साथ वित्तीय समावेशन भी आर्थिक विकास को प्रभावित करता है।

VI. वित्तीय समावेशन के लिए परिचालन लागत और प्रौद्योगिकी का उन्नयन

7.127 वित्तीय सेवाएँ प्रदान करने की परिचालन लागत और उपयोगकर्ताओं पर लगाये जानेवाले प्रभार वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण आयाम हैं। यह तर्क दिया जाता है कि छोटे खातों या कम मूल्य के लेनदेनों की परिचालन लागत प्रायः इस प्रकार के परिचालनों से प्राप्त होनेवाले राजस्व से अधिक हो जाती है। इसके परिणामस्वरूप, बैंक या तो ऐसी सेवाएँ प्रदान करने में सतर्क हो जाते हैं या ऐसी सेवाओं के

उपयोगकर्ताओं से उच्चतर शुल्क वसूल करते हैं। दोनों ही स्थितियों में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में परिचालन लागत को एक प्रमुख अवरोध माना जाता है। अतः इस खंड में वित्तीय समावेशन की परिचालन लागत पर ध्यान केंद्रित किया गया है तथा यह जाँच की गई है कि इसे किस प्रकार न्यूनतम किया जा सकता है।

ऋणदाता का परिप्रेक्ष्य

7.128 बैंक प्रायः कम आय वाले समूहों को सेवाएँ प्रदान करते समय ऋण की हानि के भय अथवा ऋणों की वसूली करने में असमर्थता के कारण, विशेष रूप से जब निर्धन लोगों के पास 'समर्थक जमानत' (कॉलेटरल) के रूप में गिरवी रखने के लिए शायद ही कोई आस्ति हो, एक सतर्क दृष्टिकोण अपनाने की प्रवृत्ति दर्शाते हैं। जमा की सुविधा के मामले में खाता रखने की परिचालन लागत, विशेष रूप से जब खाते में औसत जमाराशि कम हो, कम आय वाले समूहों के लिए बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता को बैंकों के लिए एक आर्थिक रूप से अलाभकारी प्रस्ताव बना सकती है।

7.129 आम तौर पर ऋण प्रदान करते समय औपचारिक वित्तीय क्षेत्र द्वारा व्यय की जानेवाली लागतों के तीन प्रकार हैं, अर्थात् (क) निधियों की लागत, (ख) परिचालन लागत, और (ग) ऋण हानियों की लागत। यह प्रत्याशा की जाती है कि सभी प्रकार के ऋण के लिए निधियाँ जुटाने की लागत एक ही होगी। तथापि, परिचालन लागत और ऋण हानियों की लागत उधारकर्ताओं के विभिन्न खंडों के लिए भिन्न-भिन्न हो सकती है। सामान्यतः छोटे ऋण प्रदान करने की परिचालन लागत उच्चतर समझी जाती है। योजना आयोग (2007) के अनुसार सामान्य वित्त की तुलना में व्यष्टि-ऋण प्रदान करने की परिचालन लागत उल्लेखनीय रूप में अधिक है। स्टाफ को वेतन, यात्रा व्यय, वित्तीय लागतों के अंतर्गत वर्गीकृत न किये गये कमीशन, समूहों के उन्नयन संबंधी व्यय, स्टाफ कल्याण से संबंधित व्यय, परिशोधन और मूल्यहास, भाड़े पर लिये गये भवनों पर किराया और अन्य उपरिव्यय (ओवरहेड्स) - ये सब परिचालन व्यय के अंतर्गत आते हैं। ये लागतें औपचारिक बैंकिंग क्षेत्र के परिचालन के लिए महत्वपूर्ण हैं। निम्न आय वाले समूहों को, विशेष रूप से बैंक सुविधा रहित क्षेत्रों में, छोटे ऋण प्रदान करने की विभेदक लागत सहकारी ऋण संस्थाओं और लघु वित्त संस्थाओं (एमएफआइ) द्वारा लगाई जानेवाली उच्च ब्याज-दरों में प्रतिबिंबित होती है। चूँकि इन संस्थाओं के पास प्रायः अपर्याप्त जमाराशियाँ होती हैं, अतः वे नाबार्ड, सिडबी और वाणिज्य बैंकों जैसी अन्य एजेंसियों से प्राप्त होनेवाली पुनर्वित्त सुविधाओं पर निर्भर हैं। योजना आयोग ने पाया कि पुनर्वित्त की औसत लागत 8 से 14 प्रतिशत तक भिन्न होती है। तथापि, परिचालनगत रूप से उचित ब्याज-दर, जो एक कुशल एमएफआइ को उधारकर्ताओं से वसूल करनी चाहिए, 22-26 प्रतिशत है। यह अंतर काफी सीमा तक परिचालन लागत के कारण है जो अपने औसत उधारकर्ताओं को सेवा प्रदान करनेवाले बैंकों द्वारा व्यय किये जानेवाले 3-4 प्रतिशत की तुलना में एमएफआइ के लिए लगभग 10-14 प्रतिशत है (योजना आयोग, 2007)।

7.130 उच्चतर समझी गई परिचालन लागतें बैंकों को निम्न आय समूहों के लिए बचत खाते जैसी सरल बैंकिंग सेवाएँ भी उपलब्ध कराने से रोकती हैं। कुछ अनुमान यह संकेत करते हैं कि 'नो-फ्रिल्स' खातों के लिए भी, आर्थिक रूप से सक्षम गतिविधि होने के लिए औसतन लगभग 2,000 रुपये की शेषराशि अपेक्षित है (राव, 2007)। उदाहरण के लिए केनरा बैंक के मामले में एक नया (नो-फ्रिल्स) खाता खोलने की लागत 48 रुपये थी तथा प्रत्येक लेनदेन (जमा/विप्रेषण) की लागत 10 रुपये थी¹²। लाभ-अलाभ (ब्रेक ईवन) की स्थिति तक पहुँचने के लिए अपेक्षित जमाराशि की औसत राशि लेनदेनों की संख्या पर निर्भर है। अपेक्षित लाभ-अलाभ (ब्रेक ईवन) की औसत जमाराशि का स्तर 1,911 रुपये (एक वर्ष में 12 लेनदेनों के लिए) तथा 11,465 रुपये (एक वर्ष में 72 लेनदेनों के लिए) था। केनरा बैंक के लिए औसत शेष का अनुमान 528 रुपये पर किया गया जो एक वर्ष में 12 लेनदेनों के लिए लाभ-अलाभ (ब्रेक ईवन) स्तर के आधे से कम था (राव, 2007)। दो अन्य बैंकों के सर्वेक्षण से यह विदित हुआ कि 'नो-फ्रिल्स' खाते को परिचालित करने की लागत संरचना लगभग केनरा बैंक की उक्त लागत संरचना के समान ही थी। इस स्थिति के होते हुए कि नियत लागतों में प्रायः बैंक शाखाओं की परिचालन लागत का एक बड़ा भाग निहित रहता है तथा कार्मिकों की संख्या सामान्यतः नियत रहती है, छोटे खाते खोलने की सीमांत लागत की जाँच और अधिक सावधानीपूर्वक करने की आवश्यकता है एवं ऐसे खातों को खोलने और अनुरक्षित करने की लागतों को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी के प्रयोग का आगे और पता लगाने की आवश्यकता है।

7.131 जबकि 'नो-फ्रिल्स' खातों की परिचालन लागतें अधिक प्रतीत हो सकती हैं, कुछ बैंकों के लिए समग्रता में परिचालनों का विश्लेषण यह संकेत करता है कि वे बड़ी संख्या में 'नो-फ्रिल्स' खाते खोल सकते हैं और तब भी अपने कार्यनिष्पादन का स्तर बनाये रख सकते हैं। उदाहरण के लिए सिंडिकेट बैंक ने 2006-07 में सबसे बड़ी संख्या में 'नो-फ्रिल्स' खाते (1.25 मिलियन)

खोले थे, जो एक वर्ष में किसी एक बैंक द्वारा खोले गए ऐसे खातों की सबसे बड़ी संख्या थी। परिणामस्वरूप, मार्च 2007 की समाप्ति पर बैंकिंग उद्योग द्वारा 'नो-फ्रिल्स' खातों में सिंडिकेट बैंक का अंश सबसे अधिक रहा। फिर भी, ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि एक वर्ष में बड़ी संख्या में 'नो-फ्रिल्स' खाते खोलने से सिंडिकेट बैंक की वित्तीय स्थितियाँ (फाइनेंशियल्स) प्रभावित हुईं क्योंकि वह आस्तियों पर अपने प्रतिलाभ (रिटर्न ऑन एसेट्स- आरओए) को बनाये रख सका (सारणी 7.34)। यह सही है कि आरओए कई कारकों से प्रभावित होता है, फिर भी सिंडिकेट बैंक का मामला यह संकेत करता है कि 'नो-फ्रिल्स' खाते खोलना हानिकारक प्रस्ताव नहीं हो सकता। इस संदर्भ में यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि हाल के वर्षों में 'नो-फ्रिल्स' खातों में औसत जमाराशि का आकार बढ़ा है। उच्च आर्थिक संवृद्धि को देखते हुए यह अनुमान है कि औसत जमाराशि के आकार में वृद्धि की यह प्रवृत्ति आगे और गति पकड़ेगी। इसके अलावा, निम्नतर आय वाले समूहों को बैंकिंग सेवाएँ मुहैया कराने से एक ऐसे उत्तम चक्र को प्रेरणा मिलेगी जिसके द्वारा बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच, उच्च आर्थिक संवृद्धि के लाभों के अधिक न्यायसंगत वितरण को संभव बनाएगी जिसके परिणामस्वरूप निम्नतर आय वाले समूहों की आय के स्तर में सुधार होगा। इससे निम्नतर आय वाले समूहों द्वारा खोले गए खातों में औसत जमाराशि के आकार में वृद्धि के लिए मार्ग प्रशस्त होगा जिससे वित्तीय समावेशन बैंकों के लिए एक परिचालनगत रूप से लाभकारी और धारणीय व्यावसायिक दृष्टिकोण बनेगा। इसके अलावा, जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था में वृद्धि होती है और आय की वृद्धि घटित हो जाती है, यह आशा की जा सकती है कि आज के 'नो-फ्रिल्स' खाते कुछ ही वर्षों में सामान्य खाते की स्थिति प्राप्त करेंगे।

उधारकर्ता का परिप्रेक्ष्य

7.132 भारत में लोग बैंकों, व्यक्ति वित्त संस्थाओं (एमएफआई) और निजी साहूकारों जैसी विभिन्न एजेंसियों से ऋण प्राप्त करते हैं।

सारणी 7.34 : आस्तियों और 'नो-फ्रिल्स' खातों पर प्रतिलाभ - चयनित बैंक

बैंक	आस्तियों के प्रतिशत के रूप में प्रतिलाभ				'नो-फ्रिल्स' खातों की संख्या	
	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	मार्च 2006 के अंत में	मार्च 2007 के अंत में
1	2	3	4	5	6	7
केनरा बैंक	1.34	1.01	1.01	0.98	13,429	305,972
सिंडिकेट बैंक	1.67	0.82	0.91	0.91	41,329	1,290,898
भारतीय स्टेट बैंक	0.94	0.99	0.89	0.84	0	585,720
एचडीएफसी बैंक	1.45	1.47	1.38	1.33	2,055	26,644
आइसीआइसीआइ	1.31	1.59	1.30	1.09	112,075	193,989
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	1.10	0.9	0.88	0.9	489,497	6,732,335

स्रोत : भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी रिपोर्ट (विभिन्न अंक), भारतीय रिजर्व बैंक।

12 गणनाएँ केन्द्रीय परिचालन खातों के नमूना अध्ययन पर आधारित हैं। खाते के लिए ब्याज लागत 2.35 प्रतिशत पर ली गई, जैसी कि नमूने में पाई गई थी। अन्य लागतों में शामिल हैं - स्टाफ लागत और उपरिव्यय (ओवरहेड) लागत। स्टाफ लागत की गणना लेनदेनों में लगे समय और प्रति मिनट स्टाफ लागत (2 रुपये प्रति मिनट प्रति स्टाफ) के आधार पर की गई। उपरिव्यय लागत स्टाफ लागत के 58 प्रतिशत के रूप में ली गई।

सारणी 7.35 : भारत में विभिन्न एजेंसियों से ऋण की लागत

ऋणदाता की श्रेणी	ब्याज-दर (प्रतिशत प्रति वर्ष)
1	2
स्वयं-सहायता समूह (एसएचजी)	18-24
व्यष्टि-वित्त संस्थाएँ (एमएफआइ)	20-24
अनौपचारिक ऋण प्रदाता	18-36
बैंक (छोटे उधार खाते)	6-20

स्रोत : 1. धन उधार देने संबंधी विधि-निर्माण की समीक्षा के लिए गठित तकनीकी दल के लिए रिपोर्ट ।
2. छोटे उधार खातों का सर्वेक्षण, 2004, भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन, जुलाई 2006 ।

अनौपचारिक/अर्ध-औपचारिक स्रोतों से उधार की लागत बैंकों से उधार की तुलना में उल्लेखनीय रूप में उच्चतर है (सारणी 7.35)। उधार की इस उच्च लागत के दो कारक हो सकते हैं अर्थात् परिचालन लागत और जोखिम बोध । व्यष्टि-वित्त संस्था (एमएफआइ) और स्वयं-सहायता समूह (एसएचजी) मॉडलों के माध्यम से ऋण प्रदान करने की परिचालन लागत बढ़ जाती है क्योंकि ये मॉडल ऋणदाताओं और अंतिम उधारकर्ताओं के बीच मध्यस्थता के एक अतिरिक्त स्तर को संबद्ध करते हैं । तथापि जहाँ तक जोखिम बोध का संबंध है, एसएचजी के मामले में उच्चतर वसूली दर यह सूचित करती है कि छोटे उधारकर्ताओं के बारे में जोखिम बोध कम होना चाहिए । अतः एमएफआइ अथवा अनौपचारिक एजेंसियों द्वारा लगाई गई उच्च दर या तो उच्च परिचालन लागत के कारण है या प्रभारित उच्च ब्याज मार्जिनों के कारण । जैसा कि भारत एवं अन्य देशों में विभिन्न प्रायोगिक परियोजनाओं के अनुभव से स्पष्ट है, छोटे उधारकर्ताओं को ऋण उपलब्ध कराने की परिचालन लागत यह अभिप्राय निकालते हुए उल्लेखनीय रूप में कम की जा सकती है कि छोटे ऋणों पर ब्याज-दरें कम करने के लिए बहुत गुंजाइश है ।

7.133 भारत में व्यष्टि-ऋण संस्थाओं (एमएफआइ) की लागतों और मार्जिन संबंधी रिपोर्ट (कृ.बैं.म., 2007) के अनुसार किसी एमएफआइ के उधारकर्ता के लिए लागत के अंतर्गत सामान्यतः ब्याज-दर और अन्य प्रभार जैसे प्रसंस्करण/प्रशासनिक प्रभार और प्रारंभिक

**सारणी 7.36 : व्यष्टि-वित्त संस्थाओं के प्रभार
(मार्च 2006)**

राज्य	उधारकर्ता के लिए लागत का दायरा (प्रतिशत)
1	2
आंध्र प्रदेश	17.0 से 32.5
कर्नाटक	12.0 से 40.0
उड़ीसा	14.0 से 24.5
राजस्थान	16.0
उत्तर प्रदेश	13.0 से 26.0

स्रोत : कृ.बैं.म., 2007 । व्यष्टि-वित्त संस्थाओं की लागतों और मार्जिन संबंधी रिपोर्ट, कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, (कृ.बैं.म.), भारतीय रिजर्व बैंक ।

शुल्क शामिल हैं। उक्त अध्ययन यह दर्शाता है कि किसी एमएफआइ के उधारकर्ता के लिए समग्र लागत के संबंध में राज्यों के बीच व्यापक तौर पर विभिन्नता है जो लगभग 24 प्रतिशत की माध्यिका मूल्य के साथ है (सारणी 7.36)।

प्रौद्योगिकी की भूमिका

7.134 विशेष रूप से ग्रामीण और निम्न आय वाले समूहों के खंडों में बैंकिंग सेवाएँ उपलब्ध कराने की परिचालन लागत कम करने में प्रौद्योगिकी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है । यदि सही व्यावसायिक मॉडल और पालिसी के साथ उचित रूप में मिलाया जाए तो प्रौद्योगिकी विस्तारपूर्वक आबादी के लिए वित्त तक वहनीय, अर्थक्षम और धारणीय पहुँच उपलब्ध कराने के लिए सफलता की कुंजी का काम करती है । वित्तीय सेवाओं की वृद्धि को संचालित करने के लिए मोटे तौर पर तीन प्रकार की प्रौद्योगिकियों को अभिनिर्धारित किया गया है । ये हैं (i) गरीब-समर्थक नई सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, प्रधानतः कम लागत वाले सेल फोन; (ii) एटीएम और अन्य बिक्री केंद्र साधन; तथा (iii) स्मार्ट प्लास्टिक कार्ड।

7.135 केंद्रीयकृत आंकड़ा संसाधन प्रणाली और कंप्यूटर प्रणालियों पर आधारित गैर-पारंपरिक पद्धतियाँ, जिनके लिए बिजली की अबाधित आपूर्ति और रेडियो आवृत्ति नेटवर्क की आवश्यकता नहीं होती, वित्तीय सेवाएँ उपलब्ध कराने की लागत को उल्लेखनीय रूप में कम कर सकती हैं । ऐसे अनेक मामले हैं जहाँ बैंकों ने उपयुक्त प्रौद्योगिकी के उपयोग के साथ परिचालन लागतों को कम रखते हुए वहनीय मूलभूत संरचना सहित दूरस्थ और बैंक सुविधा रहित क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की व्याप्ति का विस्तार किया है । प्रौद्योगिकी में नई वितरण व्यवस्थाओं और व्यावसायिक मॉडलों की दिशा में मार्ग प्रशस्त करने की संभावना है । उदाहरण के लिए प्रौद्योगिकी शाखारहित बैंकिंग तथा वित्तीय सेवा प्रदाताओं और अन्य सेवा प्रदाताओं के एक दायरे के बीच नई भागीदारियों की स्थापना को संभव बनाती है जबकि इसके पहले दूरस्थ क्षेत्रों में और आबादी की कम सघनता वाले क्षेत्रों में स्थित ग्राहकों को सेवाएँ प्रदान करना व्यवहार्य नहीं था ।

7.136 अनेक देशों में मोबाइल फोन-आधारित सेवाएँ व्यष्टि-वित्त सेवाओं में आमूल परिवर्तन कर रही हैं (एशियाई विकास बैंक, 2007)। मोबाइल बैंकिंग (अथवा मोबाइल भुगतान) एक ऐसी शब्दावली है जिसका प्रयोग शेष राशि की जाँच, खाता संबंधी लेनदेन, भुगतान आदि कार्य मोबाइल फोन जैसे चलते-फिरते साधन, पीडीए या इस प्रकार के अन्य साधन के माध्यम से करने के लिए प्रयुक्त है । अधिकांश मोबाइल भुगतान प्लेटफार्म चार श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं : (i) मोबाइल बैंकिंग जिससे उपयोगकर्ता मोबाइल फोन का प्रयोग करते हुए शेष राशि की जाँच, निधि अंतरण, बिल भुगतान जैसे बैंकिंग संबंधी लेनदेन कर सकते हैं; (ii) दूरस्थ खरीद; (iii) व्यक्ति से व्यक्ति को अंतरण; और (iv) बिक्री केंद्र अर्थात् व्यापार

सारणी 7.37 : विभिन्न प्रौद्योगिकियों के गुण और दोष

संबद्धता	गुण	दोष
1	2	3
संक्षिप्त संदेश सेवा (एसएमएस)	<ol style="list-style-type: none"> 1. अनुप्रयोग बनाना अधिक आसान 2. पहले से ही संप्रेषण के लिए लोकप्रिय माध्यम 3. बिलिंग कार्यकलाप परिचालक की प्रणालियों के साथ मजबूत एकीकरण द्वारा स्वचालित किये जा सकते हैं 	<ol style="list-style-type: none"> 1. अभी अविश्वसनीय - संदेश की सुपुर्दगी की गारंटी नहीं है 2. प्रयोक्ता से अपेक्षित है कि कूट/संकेत शब्द याद रखे 3. प्रति संदेश डेटा आकार 160 अक्षरों/अंकों तक सीमित 4. बहुविध एसएमएस आधारित लेनदेनों के लिए प्रयोक्ता का प्रतिरोध संभव
सामान्य पैकेट रेडियो सेवा (जीपीआरएस)/ कूट प्रभाग बहुविध पहुँच (सीडीएमए)	<ol style="list-style-type: none"> 1. उन्नत विशेषताएँ निर्मित करने का सामर्थ्य देता है 2. प्रयोक्ता सुनिर्मित यूजर इंटरफेस (यूआई) के साथ अन्योन्य क्रिया करता है और किसी प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं 3. ई-कॉमर्स परिदृश्यों के साथ सीमांतहीन रूप में एकीकृत हो सकता है 4. जीपीआरएस के लिए विकास कौशल सेट व्यापक रूप से उपलब्ध हैं 	<ol style="list-style-type: none"> 1. जीपीआरएस/सीडीएमए अभी लोकप्रिय नहीं हैं 2. विशेषतः जीपीआरएस के लिए अलग हार्डवेयर आवश्यक है तथा जहाँ भी जीएसएम संबद्धता उपलब्ध है वहाँ मौजूद नहीं है 3. क्रम से दोनों ही के पास एक अखिल भारतीय स्तर पर उपस्थिति नहीं है 4. सीडीएमए के लिए विशेषीकृत कौशलसेट आवश्यक है जो व्यापक तौर पर उपलब्ध नहीं है
हैंडसेट प्रौद्योगिकियाँ		
अभिदाता पहचान मॉड्यूल (एसआइएम) टूलकिट	<ol style="list-style-type: none"> 1. जब भी ग्राहक नया सिम कार्ड खरीदता है, तब अनुप्रयोग की उपलब्धता सुनिश्चित करता है 2. परिचालक मोबाइल बैंकिंग परियोजना के साथ घनिष्ठ रूप से संबद्ध है, अतः सेवा के वितरण का कार्य आसान है 	<ol style="list-style-type: none"> 1. मौजूदा सिम कार्ड बदलने में परिचालक की सहायता अपेक्षित 2. बैंकों के लिए परिचालक का लॉक-इन 3. बहुविध परिचालक परिदृश्यों में प्रौद्योगिकी अंतर-परिचालनीय नहीं हो सकती
मोबाइल अनुप्रयोग विकास	<ol style="list-style-type: none"> 1. परिचालक स्वतंत्र है 2. जीपीआरएस के लिए विकास कौशल सेट व्यापक तौर पर मौजूद 3. बेहतर विशिष्टताएँ और प्रयोक्ता इंटरफेस बनाने और वितरित करने की क्षमता 	<ol style="list-style-type: none"> 1. सीडीएमए के लिए विकास कौशल सेट दुर्लभ है 2. आंकड़ों की सुरक्षा चिंता की बात है
उभरती प्रौद्योगिकी		
निकटवर्ती क्षेत्रीय संचार (एनएफसी)	<ol style="list-style-type: none"> 1. उपयोग की सरलता 2. अनुभव क्रेडिट कार्ड के उपयोग के समान 	<ol style="list-style-type: none"> 1. अभी नवोदित चरण में, विश्व भर में विभिन्न प्रयोग किये जा रहे हैं 2. मोबाइल फोन अभी महँगे हैं
एक साधन के रूप में मोबाइल फोन	<ol style="list-style-type: none"> 1. ग्राहक के पास दिन-रात उपलब्धता 2. हमेशा कार्यरत और हमेशा संबद्ध 3. बैंक खातों से अधिक हैंडसेट 4. टेलीकॉम परिचालकों के पास पहले से ही परिष्कृत बिलिंग प्रणालियाँ हैं और वे बैंकों से अलग स्वतंत्र रूप से बैंकिंग सेवाएँ दे सकते हैं। 	<ol style="list-style-type: none"> 1. मोबाइल लेनदेनों के लिए नहीं बनाया गया 2. बिक्री केंद्र (पीओएस)/स्वचालित टेलर मशीन (एटीएम) के साथ तुलनीय जो बैंकिंग कार्यकलापों के लिए निर्मित और प्रमाणित हैं 3. प्रधानतः वैयक्तिक पहचान संख्या (पीआईएन) आधारित प्रमाणीकरण, पिन संख्याएँ याद रखने की क्षमता से संबंधित चिंताएँ (फोन के साथ जैवमितीय स्कैनरों का समेकन करने के प्रयास जारी हैं)
स्रोत : अग्रवाल, गौरव. 2007। "मोबाइल फोन बैंकिंग द्वारा वित्तीय समावेशन : समस्याएँ और चुनौतियाँ", सीएबी कालिंग, जुलाई-सितंबर, 2007।		

के स्थान पर वस्तुओं के मूल्य का भुगतान करने के लिए फोन का प्रयोग। ये सेवाएँ विभिन्न उपलब्ध संबद्धता तकनीकों का प्रयोग करते हुए प्रदान की जा सकती हैं जिनमें से प्रत्येक के अपने गुण और दोष हैं (सारणी 7.37)। तथापि, निम्न स्तर पर वित्तीय सेवा उद्योग में प्रौद्योगिकी को किस सीमा तक समेकित किया जाएगा, यह समर्थक सरकारी नीतियों और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचना की गुणवत्ता पर निर्भर होगा।

7.137 वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए कई देशों में विभिन्न प्रौद्योगिकियों को सफलतापूर्वक अपनाया गया है (बॉक्स VII.16)।

7.138 भारत में बैंकों ने अपनी व्यापक पहुँच में वृद्धि करने के लिए स्मार्ट कार्डों/मोबाइल प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए प्रायोगिक परियोजनाएँ प्रारंभ की हैं। विलक्षण रूप से ग्राहकों की पहचान करने के लिए जैवमितीय (बायोमेट्रिक) पद्धतियाँ भी अधिकाधिक अपनाई जा रही हैं। वहनीय कीमत पर ऋण का वितरण आबादी के एक अधिक व्यापक वर्ग को करने के लिए बैंक प्रौद्योगिकीगत समाधान भी अधिकाधिक अपना रहे हैं। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने हाल ही में ऐज्वॉल में एसबीआई टाइनी कार्ड खाते (एसबीआईटीसीए) नाम की एक परियोजना शुरू की। यह परियोजना 'नो-फ्रिल्स' खाते और बीसी/

बॉक्स VII.16 प्रौद्योगिकी और वित्तीय समावेशन

फिलीपीन्स में दो सेलफोन कंपनियाँ - स्मार्ट तथा ग्लोब टेलीकॉम्स - नवोन्मेष सेल फोन आधारित सुविधाएँ प्रदान करती हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक वालेट भी कहा जाता है जिनके अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ धनराशि का अंतरण करने, बिलों का भुगतान करने, और स्टोर्स से खरीद के लिए भुगतान करने की सुविधाएँ उपलब्ध हैं जो क्रमशः स्मार्ट मनी और जी-कैश कही जाती हैं। फरवरी 2005 में फिलीपीन्स माइक्रोएन्टरप्राइज ऐक्सेस टू बैंकिंग सर्विसेज के ग्रामीण बैंकर संघ (आरबीएपी-एमएबीएस) ने टेक्स्ट-ए-पेमेंट (टीएपी) नामक एक परियोजना प्रवर्तित की। टीएपी एक नवोन्मेष मोबाइल प्रौद्योगिकीगत उत्पाद है जो उधारकर्ताओं के व्यक्तिगत वित्त ऋण भुगतानों हेतु अदा करने के लिए ग्लोब टेलीकॉम (जी-कैश द्वारा शक्तिप्राप्त) की एसएमएस प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है। टीएपी कार्यकुशलता और व्यापक पहुँच में सुधार लाने के लिए नई और कम लागत वाली प्रौद्योगिकी के उपकरण काम में लाने की अपेक्षा करता है। छोटे उधारकर्ता अपने व्यक्तिगत वित्त ऋणों के भुगतानों के लिए इस सेवा का उपयोग कर सकते हैं। टीएपी के अन्य अनुप्रयोग हैं: दूरस्थ जमा स्वीकरण, नकदी आहरण, अंतरराष्ट्रीय और देशी विप्रेषण, खरीद और बिल भुगतान।

दक्षिण अफ्रीका में बैंकिंग संस्थाओं ने मोबाइल फोन कंपनियों के साथ निम्न आय वाले ग्राहकों को लक्ष्यीकृत करते हुए वित्तीय सेवाओं तक पहुँच में विस्तार करना प्रारंभ किया है जिसके अंतर्गत मोबाइल फोन के माध्यम से सुलभ एक ब्याज से

युक्त बैंक खाते तथा एक डेबिट कार्ड की सुविधा है जिसके साथ वे फुटकर बिक्री-केंद्रों में खरीद कर सकते हैं तथा एटीएम से धनराशि जमा कर सकते हैं अथवा आहरित कर सकते हैं। ग्राहक अपने मोबाइल फोन का उपयोग व्यक्ति से व्यक्ति को भुगतान करने और धनराशि का अंतरण करने के लिए कर सकते हैं।

बोलीविया में एक अधिकार-पत्र प्राप्त (चार्टर्ड) बैंक *बैंकोसोल* का निर्माण करने के लिए प्रोडेम नामक प्रथम व्यक्ति-वित्त संगठन ने प्रोडेम स्मार्ट एटीएम, जो एक स्मार्ट कार्ड व एटीएम है, हाल ही में प्रारंभ किया है। इस कार्ड का उपयोग करते हुए जब भी लेनदेन किया जाता है, तब हर बार यह स्मार्ट कार्ड ग्राहक के खाते की शेष राशि को संचित करता है। इसके कारण प्रोडेम स्मार्ट एटीएम इंटरनेट की संबद्धता के अभाव में भी परिचालन करने में सक्षम होता है जिससे बोलीविया के ऐसे कई ग्रामीण इलाकों में वित्तीय सेवाएँ उपलब्ध करने के लिए यह एक आदर्श साधन बन जाता है जहाँ व्यापक तौर पर पहुँच वाली ऑनलाइन नेटवर्क के लिए प्रौद्योगिकीगत आधारभूत संरचना नहीं है।

संदर्भ :

एशियाई विकास बैंक। 2007। “लो इनकम हाउसहोल्ड्स से ऐक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज - इंटरनेशनल एक्सपीरिएन्स, मेजर्स फॉर इम्प्रूवमेंट, एण्ड दी फ्यूचर” ईएआरडी विशेष अध्ययन, अक्टूबर।

बीएफ मॉडल का सम्मिश्रण है। उक्त एसबीआईटीसीए का परिचालन निकटवर्ती क्षेत्रीय (नियर-फील्ड) संचार (एनएफसी) प्रौद्योगिकी पर आधारित नई पीढ़ी के मोबाइल फोन के माध्यम से किया जाता है जो उंगलियों के निशान को पहचानने के सॉफ्टवेयर के साथ उन्नत है और रसीद प्रिंटर के साथ संबद्ध है। यह कार्ड व्यक्ति-बचत (एसबीआई टाइनी नो-फ्रिल्स प्री-पेड खाता), नकदी जमा और आहरण, व्यक्ति-ऋण (केसीसी, जीसीसी सहित), धनराशि अंतरण (प्रणाली के अंतर्गत खाते से खाते में), व्यक्ति-बीमा, व्यापारियों को नकदी के बिना भुगतान, स्वयं-सहायता समूहों (एसएचजी) के बचत-व-ऋण खातों और उपस्थिति प्रणालियों, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जैसे सरकारी लाभों के संचितरण, समीकृत मासिक किस्तों (ईएमआइ) के लिए, उपयोगिता के भुगतान, कूपन, वाउचर और टिकट, लायल्टी पॉइंट, स्वचालित किराया वसूली प्रणालियों, (फ्रंट एण्ड) डिवाइसों के लिए पोर्टेबल और नियत स्थितियों (पूर्णतः अंतर-परिचालनीय) के प्रयोजन के लिए निधियों के लेनदेन को सक्रिय करना संभव बनाता है।

VII. भावी दिशा

7.139 सरकार और रिजर्व बैंक ने समाज के अल्प सुविधा प्राप्त और कमजोर वर्गों को बैंकिंग के दायरे में लाने के लिए अनेक पहलें की हैं जिनका अनुकूल प्रभाव रहा है। तथापि, इस समस्या का परिमाण बहुत बड़ा है तथा अभी भी ग्रामीण और शहरी निम्न आय वाली आबादी (मुख्य रूप से आप्रवासी श्रमिकों) के एक काफी बड़े भाग की वित्तीय सेवाओं तक पहुँच बहुत कम है। ये समूह साहूकारों और अन्य

अनौपचारिक स्रोतों से ऋण तक पहुँचने के लिए भारी अधिमूल्य (प्रीमियम) चुकाते हैं। अतः ग्रामीण और शहरी निर्धनों को शामिल करने के लिए औपचारिक वित्तीय प्रणाली की व्यापक पहुँच में विस्तार करने की आवश्यकता है।

वित्तीय वंचन का माप

7.140 वित्तीय समावेशन के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय यह जानना है कि किस सीमा तक कम आय वाले परिवारों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली से वर्जित किया गया है। बैंक शाखा सघनता अथवा बैंक खातों जैसे अधिकांश हेडलाइन संकेतक केवल वित्तीय समावेशन/ वंचन के लिए परोक्षी हैं। वित्तीय समावेशन/वंचन के एक अधिक सही मूल्यांकन के लिए उन परिवारों की संख्या और उनकी विशेषताओं संबंधी जनगणना के आंकड़ों की आवश्यकता है जिनका किसी बैंक अथवा बैंक जैसी किसी संस्था में खाता है। बैंकिंग सेवाओं के उपयोग संबंधी जनगणना के आंकड़ों में भी उन व्यक्तियों के बीच प्रभेद करने की आवश्यकता है कि किन्होंने कम अथवा शून्य धनराशि की आय, या धनराशि की कम बचत के कारण वित्तीय सेवाओं का उपयोग न करने का स्वैच्छिक रूप से चयन किया है एवं कौन बैंकिंग सेवाओं की आवश्यकता के होते हुए भी अन्य बातों के साथ-साथ वित्तीय सेवाओं तक पहुँच के अभाव, साक्षरता के निम्न स्तर, वित्तीय सेवाओं के अधिक मूल्य तथा प्रलेखन की जटिल प्रक्रिया जैसे विभिन्न अवरोधों की वजह से वित्तीय सेवाओं से वंचित हैं। ऐसे प्रयोग के साथ विशेषीकृत और विस्तृत घरेलू सर्वेक्षण करना संबद्ध होगा। भारत में वर्तमान में

एनएसएसओ शहरी/ग्रामीण ऋणग्रस्तता सहित विभिन्न सर्वेक्षण संचालित करता है। अतः यह महसूस किया जाता है कि या तो वित्तीय समावेशन/वंचन से संबंधित अलग सर्वेक्षण संचालित किये जाएँ या एनएसएसओ द्वारा किये जा रहे ऋणग्रस्तता के सर्वेक्षण के दायरे का इस प्रकार विस्तार किया जाए कि उसमें वित्तीय समावेशन/वंचन के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया जा सके। आवधिक सर्वेक्षणों के साथ ही, दशाब्दीय जनगणना में भी वित्तीय समावेशन/वंचन से संबंधित जानकारी को समाविष्ट किया जा सकता है। इस प्रकार के विशेषीकृत सर्वेक्षणों से इस समस्या की सीमा को समझा जा सकेगा तथा अंतर को समाप्त करने के लिए उपयुक्त नीतियाँ बनाने में सहायता मिल सकेगी।

7.141 नाबार्ड वर्तमान में स्वयं-सहायता समूह (एसएचजी)-बैंक सहबद्धता कार्यक्रम से संबंधित डेटा संगृहीत करता है। ऐसी सूचना/आंकड़े भी व्यापक रूप से प्रसारित किये जाते हैं। वर्तमान में बड़ी संख्या में व्यष्टि-वित्त संस्थाएँ (एमएफआइ)/गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) भी देश में परिचालित हैं। तथापि, इन संस्थाओं के विभिन्न पहलुओं पर आंकड़े/सूचना संगृहीत करने के लिए कोई व्यापक प्रणाली नहीं है जिससे उपयुक्त नीति-निर्धारण में बाधा उत्पन्न होती है। अतः यह महसूस किया जाता है कि एमएफआइ/एनजीओ के संबंध में आंकड़ा संग्रहण के लिए एक व्यापक प्रणाली स्थापित की जाए। साथ ही, व्यष्टि-वित्त संस्थाओं (एमएफआइ)/गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) द्वारा वित्तपोषित किये जा रहे परिवारों की संख्या के संबंध में सूचना प्राप्त करने की भी आवश्यकता है। यह कार्य नाबार्ड द्वारा किया जा सकता है।

वित्तीय समावेशन की परिचालन लागत

7.142 वित्तीय समावेशन के मामले में सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण समस्याओं में से एक वित्तीय सेवाएँ प्रदान करने की प्रक्रिया की परिचालनगत व्यवहार्यता और धारणीयता है। अनेक देशों ने वित्तीय संस्थाओं पर नियंत्रण करने और सब्सिडी प्रदान करने के माध्यम से वित्तीय सेवाओं की व्याप्ति को विस्तृत करने का प्रयास किया है। तथापि, इसका परिणाम यह हुआ कि राजकोषीय लागतें बहुत अधिक बढ़ गईं और इससे यह राजकोषीय तौर पर अधारणीय बन गया है (विश्व बैंक, 2008)। एक और दृष्टिकोण वित्तीय समावेशन का दायित्व वित्तीय संस्थाओं को सौंपने का है। यद्यपि वित्तीय समावेशन वित्तीय संस्थाओं को अपने ग्राहक आधार को व्यापक बनाते हुए अपने कारोबार का विस्तार करने के लिए एक अवसर प्रदान करता है, तथापि वित्तीय सेवाओं की व्यापकता को विस्तृत करने की परिचालन लागत एक ऐसा प्रमुख कारक है जो बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं को कुल मिलाकर जनता को, विशेष रूप से ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में रहनेवाले निम्न आय वाले समूहों को, विभिन्न सेवाएँ उपलब्ध कराने से रोकता है। बैंकों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण-वितरण प्रायः महंगा माना जाता है जिसका कारण बड़ी संख्या में छोटे ऋण खातों की सर्वासिग है।

7.143 तथापि, भारत एवं अन्य देशों में अनेक बैंकों के अनुभव से यह संकेत मिलता है कि सूचना प्रौद्योगिकी के उचित प्रयोग से वित्तीय सेवाएँ प्रदान करने की लागत को कम करने में सहायता मिल सकती है तथा वित्तीय सेवाओं की व्याप्ति का विस्तार करने के लिए यह परिचालनगत रूप से व्यवहार्य बन सकता है। बैंकिंग संपर्कियों के प्रभावी उपयोग के साथ संबद्ध उचित प्रौद्योगिकी के पास यह संभावना है कि प्रत्येक गाँव में एक बैंकिंग सेवा केंद्र (आउटपोस्ट)/एटीएम निर्मित किया जा सके, जैसा कि आंध्र प्रदेश के मामले में देखा गया है जिसने रिजर्व बैंक और आइडीबीआरटी के साथ समन्वय करते हुए दूरस्थ क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए मोबाइल फोन प्रौद्योगिकी को सफलतापूर्वक लागू किया है। देश के अंदर और बाहर और भी अनेक उदाहरण हैं जहाँ यह पाया गया है कि अत्यधिक परिचालन लागत की समस्या का समाधान करने के लिए प्रौद्योगिकी के पास क्षमता है। अतः आवश्यकता अब तक अप्रयुक्त क्षेत्रों में व्यापक पहुँच का विस्तार करने के लिए प्रौद्योगिकी के प्रयोग में वृद्धि करने की है। प्रौद्योगिकियों का एक व्यापक दायरा उपलब्ध है। तथापि, किसी प्रौद्योगिकी का चयन करते समय बैंकों के लिए यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि समाधान अत्यधिक सुरक्षित हों, लेखा-परीक्षा के अधीन हों तथा विभिन्न प्रणालियों के बीच अंतिम रूप से अंतर-परिचालनीयता को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक तौर पर स्वीकृत खुले मानकों का अनुसरण करते हों, जैसा कि वर्ष 2007-08 के रिजर्व बैंक के वार्षिक नीतिगत वक्तव्य में विशेष रूप से बल दिया गया है।

वित्तीय समावेशन एक अवसर के रूप में

7.144 निम्न आय वाले समूहों को प्रदान की गई सेवाओं से प्राप्त होनेवाले प्रतिलाभ की तुलना में वित्तीय समावेशन की परिचालन लागत अत्यधिक समझी जाती है। अतः बैंक सामान्यतः ऐसे खंडों को वित्तीय सेवाएँ स्वैच्छिक रूप से उपलब्ध कराने से विमुख हैं। तथापि, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की अनेक प्रायोगिक परियोजनाओं और अनुभव ने यह सिद्ध कर दिया है कि ऐसा अवबोधन निराधार है। कुछ प्रारंभिक लागतों के होने के बावजूद वित्तीय समावेशन को मध्यावधि में कारोबार का विस्तार करने के लिए एक अवसर के रूप में देखने की आवश्यकता है। कृषि और संबद्ध कार्यकलापों में निवेश एवं समूचे आपूर्ति चक्र में निहित विपुल क्षमता को पहचानने की भी जरूरत है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं में बाजार की अपूर्णताओं के चलते, निवेशों पर प्रतिलाभ महत्वपूर्ण हो सकता है। बड़ी स्थानीय औद्योगिक कंपनियाँ पहले से ही संविदागत कृषि और ग्रामीण उत्पादों के प्रत्यक्ष विपणन में लिप्त हैं। इसके अलावा, सेवाएँ और विनिर्माण गतिविधियाँ ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक तेजी से बढ़ रही हैं। छँटाई, श्रेणीकरण, भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण और पैकेजिंग जैसी आपूर्ति चक्र की गतिविधियों के एक दायरे के साथ ही, बागबानी, पुष्पोत्पादन, जैविक (आर्गेनिक) कृषि, आनुवंशिक अभियंत्रण (जेनेटिक इंजीनियरिंग) जैसी अपेक्षाकृत नई गतिविधियों में भी वृद्धि हुई है। ये सभी उभरती गतिविधियाँ सघन ऋण की आवश्यकता एवं वित्तपोषण की बृहत् संभावना से युक्त हैं (मोहन, 2006)। साथ ही,

आम उपभोग के लिए मर्दों से युक्त ग्रामीण बाजारों की क्षमता असीम है क्योंकि आबादी पार्श्वतः उच्चतर आय वाले वर्गों में आगे बढ़ रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता वित्तपोषण में सुधार के साक्ष्य को देखते हुए, बैंक और उधारकर्ता दोनों के हित में ग्रामीण क्षेत्रों में अंतिम उपयोगकर्ता को निम्नतम लागत पर ऋण वितरित करने के लिए आपूर्ति चक्र को कारगर बनाने की भी आवश्यकता है। इसके अलावा, किसानों के बीमा के क्षेत्र में विपुल अवसर हैं क्योंकि किसान नई और अपरीक्षित प्रौद्योगिकी को अपनाते हैं और निविष्टि प्रमुखताओं (इन्सुरेन्सिटीज) को बढ़ाते हैं, तथा वे अपेक्षाकृत बड़ी जोखिमों का सामना करते हैं। ये सब ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के लिए व्यावसायिक अवसर बढ़ाने की विपुल गुंजाइश की ओर संकेत करते हैं। बैंकों के लिए यह भी आवश्यक है कि वे शहरी क्षेत्रों में अवसरों का पता लगाएँ और उनसे लाभ उठाएँ।

बैंकों द्वारा बहुविध उधार

7.145 पिछले कुछ वर्षों में व्यष्टि-वित्त संस्थाओं (एमएफआइ) के क्षेत्र में त्वरित वृद्धि के परिणामस्वरूप कुछ समस्याएँ उत्पन्न हुई हैं। रिजर्व बैंक द्वारा कुछ प्रमुख बैंकों के साथ किये गये संयुक्त तथ्यान्वेषण अध्ययन से बहुविध उधार देने के कई मामले उजागर हुए तथा यह विदित हुआ कि व्यष्टि-वित्त संस्थाएँ (एमएफआइ) अपेक्षित सीमा तक क्षमता के निर्माण में सक्रिय नहीं थीं। बहुविध वित्तपोषण के मामलों से बचने के लिए बड़ी कंपनियों के लिए लागू पद्धति के समान ही, ऋण सूचना केंद्रों के माध्यम से ऋण रजिस्ट्रियों की एक प्रणाली (जिसके द्वारा ऋणदाता अपने ग्राहकों के चुकौती अभिलेखों के बारे में सूचना का आदान-प्रदान करते हैं) प्रारंभ करने की आवश्यकता है। ऋण रजिस्ट्रियाँ उधारकर्ताओं का ऋण अभिलेख स्थापित करते हुए पहुँच में वृद्धि कर सकती हैं। यह प्रारंभ में एमएफआइ के लिए निर्धारित साख निर्धारण (क्रेडिट रेटिंग) एजेंसियों, जैसे सीआरआइएसआइएल (क्रिसिल), एम-सीआरआइएल (एम-क्रिल), आइसीआरए (इक्रा) अथवा सीएआरई (केअर) में से किसी एक एजेंसी द्वारा किया जा सकता है जिन्हें एमएफआइ की रेटिंग के लिए बैंकों द्वारा प्रयोग किये जाने हेतु अनुमति दी गई है। इस संदर्भ में ऋण सूचना कंपनी अधिनियम को अधिसूचित किया गया है तथा शीघ्र ही अपना व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए नई ऋण सूचना कंपनियों को प्राधिकृत किया जाएगा।

उपयुक्त वित्तीय उत्पादों की उपलब्धता

7.146 उपयुक्त सेवाओं/उत्पादों के अभाव के कारण ग्रामीण निर्धन लोगों के पास इसके सिवा और कोई विकल्प नहीं बचता कि वे अनौपचारिक क्षेत्र के साथ लेनदेन करें जो अल्प राशियाँ स्वीकार करता है, दरवाजे पर सेवा प्रदान करता है, सभी प्रयोजनों (उत्पादक और अनुत्पादक जैसे उपभोग की आवश्यकताओं, उत्सव, विवाह, चिकित्सा और आपात स्थितियों) के लिए निधियाँ उपलब्ध कराता है तथा आसानी से परिचालनों को सुनिश्चित करता है। अतः बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं के लिए यह भी आवश्यक

है कि वे निर्धन और कमजोर वर्गों की आवश्यकताओं और उनकी चुकौती क्षमता को ध्यान में रखते हुए उनके लिए आवश्यकतानुरूप (टेलर-मेड) किरायायत (थ्रिफ्ट), ऋण, बीमा और विप्रेषण उत्पाद बनाएँ। बचत और ऋण उत्पादों के अलावा निर्धन व्यक्तियों के लिए बीमा उत्पादों की भी आवश्यकता है। समय-समय पर स्वास्थ्य संबंधी व्यय कई परिवारों की आय के स्तरों से बहुत अधिक हो जाता है जिससे वे एक ऋणजाल की स्थिति में फँस जाते हैं। अतः बीमा कंपनियों के लिए भी यह आवश्यक है कि वे ग्रामीण निर्धनों के लिए कम लागत वाले स्वास्थ्य बीमा के उत्पाद तैयार करें। अत्यधिक/कम वर्षा के कारण हानि की स्थितियों में किसानों को राहत प्रदान करने के लिए मौसम बीमा उत्पादों की भी आवश्यकता महसूस की गई है।

वित्तीय साक्षरता और प्रौद्योगिकी

7.147 सामान्य रूप से साक्षरता के अभाव और विशेष रूप से वित्तीय साक्षरता के अभाव को समाज के अपेक्षाकृत अधिक निर्धन खंडों के लिए वित्तीय सेवाओं की व्याप्ति के प्रसार में मुख्य बाधाओं के रूप में माना जाता है। अब तक की गई पहलों के बावजूद, इस समस्या के बृहत् परिमाण के चलते इस दिशा में संगठित प्रयास करने की आवश्यकता है। अतः यह महसूस किया जाता है कि परामर्श केंद्र स्थापित करने तथा विभिन्न वित्तीय उत्पादों की विशेषताओं, लाभों और जोखिम के बारे में अपने ग्राहकों का मार्गदर्शन करने के लिए बैंक आगे आएँ। ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय साक्षरता और वित्तीय उत्पादों के बारे में जागरूकता को भी बड़े पैमाने पर लेने की भी आवश्यकता है। डाकियों और स्कूल के अध्यापकों की सेवाओं का उपयोग करके इसे प्रभावी रूप में बढ़ावा दिया जा सकता है। संबंधित सूचना पुस्तिकाओं/पैम्फ्लेटों के रूप में भी एक सुनियोजित तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के बीच प्रसारित की जा सकती है। विभिन्न ग्राहक सुरक्षा व्यवस्थाओं से संबंधित सूचना को भी व्यापक तौर पर प्रसारित करने की आवश्यकता है जो प्रारंभ की जा चुकी है।

7.148 देश के कुछ भागों में ग्रामीण सूचना ई-कियोस्कों और चलते-फिरते वाहनों के प्रयोग ने ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न उत्पादों और सेवाओं संबंधी सूचना उपलब्ध कराने में अपरिमित संभावना दर्शाई है। आवश्यकता केवल बैंकिंग उत्पादों के बारे में ही नहीं, बल्कि निविष्टि (इन्सुरेन्स) उत्पादन (आउटपुट) की कीमतों, बीमा उत्पादों और स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में भी सूचना प्रसारित करने के लिए सूचना कियोस्कों के प्रयोग को बढ़ाने की है। बैंकों को चाहिए कि वे ऐसे कियोस्क संयुक्त रूप से स्थापित करने के लिए आगे आएँ और संचालन का व्यय आपस में बाँट लें। यह उल्लेखनीय है कि निजी क्षेत्र द्वारा इसी प्रकार का मॉडल (ई-चौपाल) मौसम, बाजार की कीमतों, कृषि की वैज्ञानिक प्रथाओं और जोखिम प्रबंध के संबंध में स्थानीय भाषा में तैयार जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कार्यान्वित किया जा चुका है। यह मॉडल वर्तमान में 31,000 से भी अधिक गाँवों को समाविष्ट करता है और वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए निजी एजेंसियों के साथ इसका उपयोग किया जा सकता है।

साहूकारों के लिए कानून

7.149 वर्तमान में साहूकारों को राज्य-विशिष्ट कानूनों के अंतर्गत समाविष्ट किया जाता है जो कई राज्यों में पुराने हो चुके हैं। धनराशि उधार देने संबंधी विधान की समीक्षा करने के लिए गठित तकनीकी दल (2007) द्वारा सुझाये गये मॉडल कानून की आगे और जाँच करने की आवश्यकता है तथा धनराशि उधार देने की गतिविधि को उसके नकारात्मक लक्षणों और सूदखोरी (यूजूरियस) ब्याज-दरों को समाप्त करते हुए मुख्य धारा में लाने एवं औपचारिक और अनौपचारिक खंडों के बीच सहक्रियाओं को मजबूत करने के लक्ष्य के साथ उक्त मॉडल कानून के संभावित कार्यान्वयन पर विचार करने की आवश्यकता है।

संस्थागत संरचना को मजबूत करना

7.150 समावेशक वित्तीय प्रणालियाँ निर्मित करने के लिए वैश्विक रूप से फोकस केवल विशेषीकृत व्यक्ति-ऋण संस्थाओं पर ही नहीं, बल्कि डाक बचत बैंकों, उपभोक्ता ऋण संस्थाओं जैसी अन्य वित्तीय संस्थाओं के एक विन्यास, और सर्वाधिक महत्वपूर्ण तौर पर बैंकिंग प्रणाली पर भी है। यह प्रत्याशित है कि इस स्थूल दृष्टिकोण से वित्तीय सेवा उद्योग की व्यापक पहुँच में विस्तार होगा।

7.151 भारत में भी वाणिज्य बैंकों, विभिन्न स्तरों पर सहकारी बैंकों, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों, बीमा कंपनियों और डाक घरों जैसी वित्तीय संस्थाओं की भलीभाँति विविधीकृत संरचना है। आवश्यकता वित्तीय समावेशन के उद्देश्य को बढ़ावा देने के लिए न केवल वाणिज्य बैंकों, बल्कि बीमा कंपनियों और डाक घरों जैसे अन्य वित्तीय मध्यवर्तियों को भी संबद्ध करने की है। विशेष रूप से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंक एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। तथापि, अपनी कमजोर वित्तीय स्थिति के कारण वे वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सहायता देने में पीछे रह गए हैं। जैसा कि पहले संकेत किया जा चुका है, 2001 और 2007 के बीच अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा धारित ऋण खातों की अपेक्षा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा धारित ऋण खातों की संख्या उल्लेखनीय रूप में घट गई। सरकार ने पहले ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनः संरचना की है तथा अल्पावधि ग्रामीण सहकारी ऋण संरचना के पुनरुत्थान पैकेज का अनुमोदन कर दिया है। दीर्घावधि ग्रामीण सहकारी ऋण संरचना का पुनरुत्थान पैकेज भी तैयार किया जा रहा है। यह अनुमान है कि भविष्य में ये संस्थाएँ वित्तीय समावेशन के संवर्धन में एक अत्यंत महत्तर भूमिका अदा करेंगी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और अन्य सहकारी संस्थाओं के अलावा, संयुक्त दायित्व समूह और स्वयं-सहायता समूह (एसएचजी) मॉडल का भी उपयोग छोटे और सीमांत कृषकों, मौखिक पट्टेदारों और बंटाईदारों को ऋण प्रदान करने के लिए किया जा सकता है।

सरकार की भूमिका

7.152 ग्रामीण निर्धनों की आय और उत्पादक क्षमताओं को सुधारने में केवल ऋण ही सहायता नहीं कर सकता क्योंकि ऋण अवशोषण क्षमता

विभिन्न अन्य उपादानों, जैसे मूलभूत संरचना और आपूर्ति शृंखला की सुविधा सहित उपयुक्त नीतिगत परिवेश पर निर्भर होगी। सड़कों, बिजली, सार्वजनिक परिवहन और विपणन सुविधाओं जैसी पर्याप्त मूलभूत संरचना बनाने में सरकार की एक महत्वपूर्ण भूमिका है जो ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में रहनेवाले लोगों द्वारा उत्पादन और उत्पादन के वितरण को सुसाध्य बनाएगी। स्वास्थ्य, शिक्षा, जल और स्वच्छता जैसी सामाजिक सेवाओं पर सरकार का व्यय भी उधारकर्ताओं की ऋण अवशोषण क्षमता को बढ़ाएगा। इसके अलावा, कम आय वाले परिवारों द्वारा ली गई उधार राशियों का एक बड़ा अनुपात चिकित्सा और अन्य आपात स्थितियों के लिए होता है। इस प्रकार, एक उल्लेखनीय सीमा तक गैर-संस्थागत स्रोतों से उधार को कम किया जा सकता है यदि ग्रामीण परिवारों को उचित प्रीमियम पर उपयुक्त चिकित्सा बीमा सहित स्वास्थ्य-रक्षा, शिक्षा और अन्य सेवाएँ उचित लागत पर उपलब्ध कराई जाती हैं। इस अध्याय में इसके पहले चर्चित अनुभवजन्य प्रयोग के परिणामों ने इस बात की पुष्टि की कि वित्तीय समावेशन एवं आर्थिक संवृद्धि को बढ़ावा देने में मूलभूत संरचना एक उल्लेखनीय भूमिका अदा करती है। अतः ग्रामीण मूलभूत संरचना को मजबूत करने और समर्थक परिस्थितियाँ उपलब्ध कराकर वित्तीय समावेशन को सुसाध्य बनाने में सरकार की एक महत्वपूर्ण भूमिका है जैसा कि अध्याय VI में भी संकेत किया गया है।

वित्तीय समावेशन के संवर्धन के लिए बैंकों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन

7.153 वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए बैंकों के कार्यनिष्पादन पर निगरानी रखना आवश्यक है। अमरिका जैसे कुछ देशों में बैंकों के कार्यनिष्पादन के मूल्यांकन की प्रणाली है। अतः भारत में भी बैंकों के कार्यनिष्पादन के मूल्यांकन की एक प्रणाली प्रारंभ की जा सकती है। इस प्रणाली के अंतर्गत भारतीय बैंकों को वित्तीय समावेशन के संबंध में उनके कार्यनिष्पादन पर प्रत्येक दो से तीन वर्ष तक रेटिंग दी जा सकती है तथा इस प्रकार का निर्धारण पब्लिक डोमेन में भी रखा जा सकता है। इस प्रकार की प्रणाली समकक्ष संस्थाओं के दबाव द्वारा वित्तीय समावेशन के लिए बैंकों के प्रयासों को प्रोत्साहित करेगी।

VII. सारांश

7.154 वित्तीय समावेशन के व्यापक तौर पर पहचाने गए महत्व के बावजूद इसकी कोई सर्वव्यापी रूप में स्वीकृत परिभाषा नहीं है। वित्तीय समावेशन की कार्यशील अथवा परिचालनगत परिभाषाएँ सामान्यतः स्वामित्व अथवा मुख्य धारा के वित्तीय सेवाप्रदाताओं द्वारा प्रदत्त विशिष्ट वित्तीय उत्पादों तथा जमाराशियों, ऋण, दीर्घावधि बचत, धन अंतरण और बीमा जैसी सेवाओं तक पहुँच पर ध्यान केंद्रित करती हैं। इस परिभाषा के आधार पर वित्तीय समावेशन प्रायः बैंक खातों की संख्या जैसे संकेतकों द्वारा मापा जाता है। तथापि, मोटे तौर पर यह सहमति है कि वित्तीय समावेशन को किसी एक संकेतक द्वारा नहीं मापा जा सकता। अतः बहुविध संकेतकों का प्रयोग किया गया है जिनमें शामिल हैं - बैंक

खाता रखनेवाले लोगों का अनुपात, किसी भी औपचारिक वित्तीय संस्था की सेवाओं का उपयोग करनेवाली आबादी, औपचारिक वित्तीय लिखतों के माध्यम से नियमित रूप से धनराशि प्राप्त करनेवाले लोग औपचारिक वित्तीय संस्थाओं में धनराशि रखनेवाले लोग तथा ऐसे व्यक्ति जिन्होंने किसी औपचारिक वित्तीय संस्था से ऋण या ऋण सुविधा प्राप्त की है अथवा जिनका ऋण या ऋण सुविधा बकाया है।

7.155 भारतीय संदर्भ में वित्तीय समावेशन वंचित लोगों के लिए औपचारिक वित्तीय प्रणाली द्वारा, वहनीय वित्तीय सेवाओं अर्थात् भुगतान और विप्रेषण सुविधाओं, बचत, ऋण और बीमा सेवाओं तक पहुँच की व्यवस्था के रूप में वर्णित है। वित्तीय प्रणाली को सघन बनाना और उसकी पहुँच को व्यापक करना दोनों संवृद्धि को त्वरित करने के लिए और न्यायसंगत वितरण हेतु महत्वपूर्ण हैं। वित्तीय वंचन के लिए प्रायः बताये गये प्रमुख कारणों में शामिल हैं - अत्यधिक जोखिम के अवबोधन के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में संस्थागत ऋण का अपेक्षाकृत कम विस्तार, अत्यधिक परिचालनगत लागतें, ग्रामीण आधारभूत संरचना का अभाव, तथा आधे मिलियन से अधिक गाँवों के साथ जिनमें से कुछ छुटपुट आबादी वाले हैं, देश का विशाल भौगोलिक विस्तार। व्यष्टि उपादानों के अंतर्गत, जिनके संबंध में यह समझा जाता है कि वे वंचित समूहों को ऋण की उपलब्धता के निरोधक हैं, मुख्य रूप से वित्तीय उत्पादों और सेवाओं की जानकारी का अभाव, कृषि संबंधी कृषीतर ऋण प्राप्त करने के लिए क्रियाविधियाँ, स्टाफिंग और मानव संसाधन, एवं महाजनी को विनियमित करने के लिए प्रभावी कानून का अभाव जैसे कारक शामिल हैं। माँग के दृष्टिकोण से, निम्न आय और बचत का स्तर वित्तीय सेवाओं, विशेष रूप से जमा सुविधाओं के लिए निम्नतर माँग का कारण बन सकता है।

7.156 भारत ने वित्तीय समावेशन के लिए एक बहुविध दृष्टिकोण अपनाया है, जैसी स्थिति कई अन्य देशों में भी रही है। यद्यपि वित्तीय समावेशन शब्द का मूल हाल ही का है, तथापि समाज के अपेक्षाकृत निर्धन और कमजोर खंडों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के दायरे में लाने के लिए प्रयास रिजर्व बैंक और सरकार दोनों द्वारा बहुत पहले ही 1960 के दशक के उत्तरार्ध में प्रारंभ किये गये थे। भारत में वित्तीय समावेशन की दिशा में विशिष्ट नीतिगत पहलें मोटे तौर पर तीन चरणों में आती हैं जिनमें से पहला चरण 1960 के दशक में प्रारंभ हुआ जो 1980 के दशक तक रहा और जिसमें न्यायसंगत संवृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए ऋण के सरणीकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों को निदेशित उधार, शाखा लाइसेंसिकरण नीति में उपयुक्त परिवर्तन, विशिष्ट योजनाओं का प्रवर्तन, विशेषीकृत संस्थाओं की स्थापना और ब्याज-दर विनियमन ऐसी कुछ प्रमुख नीतिगत पहलें थीं जो सरकार और रिजर्व बैंक द्वारा कमजोर वर्गों को बैंकिंग प्रणाली के दायरे में लाने के लिए की गई थीं। वित्तीय समावेशन का दूसरा चरण 1990 के दशक के प्रारंभ से 2005 के प्रारंभ तक था जिसमें फोकस वित्तीय संस्थाओं को मजबूत करने पर था। वित्तीय समावेशन के संबंध में इस चरण में की गई प्रमुख पहलें थीं - 1990 के दशक के प्रारंभ में

स्वयं-सहायता समूह (एसएचजी)-बैंक सहबद्धता कार्यक्रम का प्रवर्तन और किसान क्रेडिट कार्ड शुरू करना। वित्तीय रूप से वंचित लोगों को बैंकिंग के दायरे में लाने के लिए किये जा रहे प्रयासों को अप्रैल 2005 में भारी रूप में बढ़ावा मिला जब वित्तीय समावेशन को स्पष्टतया एक प्रमुख नीतिगत लक्ष्य बनाया गया। नवंबर 2005 में 'नो-फ्रिल्स' खाते प्रारंभ करना ग्रामीण और शहरी निर्धनों को सुरक्षित बचत जमा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए उठाया गया एक और प्रमुख कदम था। इस प्रकार जनता तक वित्तीय सेवाओं की व्यापक पहुँच का विस्तार करने के लिए संस्थाओं का एक विस्तृत नेटवर्क स्थापित किया गया है।

7.157 हाल के वर्षों में औपचारिक वित्तीय सेवाओं का विस्तार तेजी से हुआ है। अतः यह प्रश्न उठता है कि विभिन्न उपायों का वित्तीय समावेशन पर क्या प्रभाव रहा है। आंकड़ों के मौजूदा स्रोतों से वित्तीय समावेशन अथवा उसके दूसरे पक्ष अर्थात् वंचन की सीमा के संबंध में पक्के निष्कर्षों पर पहुँचना आसान नहीं है। विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध आंकड़ों में अंतर हैं तथा इन आंकड़ों का समाधान करने के लिए और काफी अधिक कार्य करने की आवश्यकता है। फिर भी, उपलब्ध सूचना यह संकेत करती है कि 1960 के दशक के उत्तरार्ध से लेकर अधिकाधिक लोगों को औपचारिक वित्तीय संस्थाओं के दायरे के भीतर लाने के लिए उल्लेखनीय प्रगति की गई है। यह प्रवृत्ति 1990 के दशक में भी जारी रही। एनएसएसओ द्वारा किये गये परिवारों के सर्वेक्षणों से संबंधित आंकड़ों से यह संकेत मिलता है कि गैर-संस्थागत स्रोतों से ऋण प्राप्त करनेवाले परिवारों की संख्या का अंश 1960 के दशक के उत्तरार्ध से लेकर 1980 के दशक तक उल्लेखनीय रूप में घट गया। तथापि, उक्त अंश 1990 के दशक में बढ़ा। फिर भी, विभिन्न पहलुओं का विस्तृत विश्लेषण यह संकेत करता है कि ऋणग्रस्त परिवारों की संख्या और उनके बकाया ऋण में 1991 और 2002 के बीच तेजी से वृद्धि हुई। बढ़ा हुआ उक्त ऋण मुख्य रूप से उपभोग और इसी प्रकार के अन्य प्रयोजनों के लिए था जिनके लिए वित्त औपचारिक स्रोतों से आसानी से नहीं मिल सकता था। परिणामस्वरूप, गैर-संस्थागत स्रोतों के प्रति परिवारों की ऋणग्रस्तता का अंश 1991 और 2002 के बीच बढ़ा जबकि विभिन्न संस्थागत स्रोतों द्वारा परिवारों को ऋण 1991 और 2002 के बीच स्थूल रूप से उसी दर से बढ़ा जिस दर से 1981 और 1991 के बीच बढ़ा था। संस्थागत स्रोतों के भीतर बैंकों द्वारा ऋण 1981 और 1991 के बीच की स्थिति की तुलना में 1991 और 2002 के बीच सीमांत रूप से निम्नतर दर से बढ़ा। तथापि, इसे 1990 के बाद के दशक में अपने तुलन-पत्रों को मजबूत करने पर बैंकों के बढ़े हुए फोकस और विवेकपूर्ण मानदंडों को लागू करने/सख्त बनाने के कारण बैंकों द्वारा विकसित की गई जोखिम के प्रति कुछ विमुखता के संदर्भ में देखने की आवश्यकता है जिसके परिणामस्वरूप बैंकों का समग्र ऋण संविभाग भी मंद हो गया था।

7.158 एनएसएसओ के नवीनतम आंकड़ों के लिए संदर्भ वर्ष 2002 था। बहुत हाल के बीएसआर डेटा के विश्लेषण से यह प्रकट होता है कि ऋण-व्यापन (प्रति 100 व्यक्ति ऋण खातों) में तथा सामान्य रूप से

ग्रामीण क्षेत्र को और विशेष रूप से कृषि को ऋण की उपलब्धता में 2000 के दशक के प्रारंभिक वर्षों से अर्थात् उक्त एनएसएसओ डेटा जारी करने के बाद सुस्पष्ट सुधार रहा है। हाल के वर्षों में की गई पहलों के प्रतिक्रियास्वरूप सभी संगठित वित्तीय संस्थाओं (वाणिज्य बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शहरी सहकारी बैंक, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों, व्यक्ति-वित्त संस्थाओं और स्वयं-सहायता समूह) के पास प्रति 100 वयस्क ऋण खातों की संख्या 2002 के 18 से सुधरकर 2007 में 25 हो गई।

7.159 जमाराशि की ओर भी, संगठित वित्तीय संस्थाओं की व्यापक पहुँच में वर्षों से विस्तार हुआ। सभी औपचारिक संस्थाओं के पास प्रति 100 व्यक्ति बचत खातों की संख्या 1993 के 51 से बढ़कर 2007 में प्रति 100 व्यक्ति 54 (प्रति 100 वयस्क 82) हो गई। तथापि, गरीबी की रेखा से नीचे रहनेवाले लोगों को शामिल करने के बाद, जिनके पास बचत करने की बहुत कम क्षमता है अथवा शून्य क्षमता है, गरीबी की रेखा से ऊपर प्रति 100 वयस्क 100 से कुछ अधिक ही बचत खाते हैं। आय में तीव्रतर वृद्धि के साथ लोग उच्चतर आय वर्ग में आ सकते हैं। जैसे-जैसे गरीबी के स्तर कम होते हैं और परिवारों के आय के स्तर ऊपर उठते हैं, उनकी बचत करने की प्रवृत्ति में भी उन्नति होगी। बैंकिंग की आदतें विकसित करने के लिए ऐसे लोगों की औपचारिक वित्तीय प्रणाली में आसानी से पहुँच आवश्यक होगी। अतः बैंकों के लिए यह जरूरी होगा कि वे इस प्रकार के ग्राहकों को अपने दायरे में लाने के लिए नवीन प्रक्रियाओं और अपेक्षाकृत नई पद्धतियों के उपाय निकालें।

7.160 आवास और फुटकर ऋण के माध्यम से बैंक परिवारों की एक संवर्धित संख्या को औपचारिक ऋण के दायरे में ला सके हैं। तथापि, अधिकांश विस्तार नगरों और बड़े कस्बों में हुआ है। अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं का विस्तार करने के लिए अत्यधिक संभावना है। एक ओर बढ़ते हुए शहरीकरण और दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि से इतर आधार वाली गतिविधियों की व्याप्ति के चलते ऋण की माँग में वृद्धि होने का अनुमान है। कृषि की गतिविधि का भी अधिकाधिक वाणिज्यीकरण हो रहा है जिससे बैंकों के लिए नये व्यावसायिक अवसर उत्पन्न होंगे। अतः बैंकों के लिए भी यह आवश्यक होगा कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापन में वृद्धि के लाभों का सावधानीपूर्वक परीक्षण करें। इस प्रगति से यह संकेत मिलता है कि बचत और उत्पादन प्रयोजन दोनों के लिए वित्तीय सेवाओं की माँग अतीत की तुलना में अत्यधिक होगी। ऋण की बढ़ती हुई माँग पूरी करने के लिए बैंकों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे अब तक की तुलना में एक बृहत्तर पैमाने पर संसाधन जुटाएँ। इससे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा और वित्तीय सघनता मजबूत होगी। संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के उद्यमों को ऋण प्रदान करने के साथ ही, वित्तीय प्रणाली के लिए यह आवश्यक होगा कि वह ऋण की गुणवत्ता को

बनाये रखने और ऋण की वृद्धि को संभाले रखने के लिए एक ही साथ जोखिम निर्धारण और जोखिम प्रबंध की क्षमताएँ बढ़ाएँ।

7.161 संवर्धित वित्तीय समावेशन की कुंजी लेनदेन की लागतों में कमी लाना है। छोटे खाते उपलब्ध कराने में परिचालन लागत कभी-कभी कम आय वाले समूहों तक बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करने के लिए बाधा बन जाती है। तथापि, देश में एवं अन्य देशों में भी कुछ संस्थाओं का अनुभव यह सूचित करता है कि प्रौद्योगिकी का उचित प्रयोग वित्तीय समावेशन की परिचालन लागत को उल्लेखनीय रूप में कम कर सकता है तथा उसे एक व्यवहार्य और धारणीय गतिविधि बना सकता है। नई सूचना प्रौद्योगिकी की उपलब्धता, ऋण सूचना सेवाओं का विस्तार, व्यक्ति-वित्त में नवोन्मेषण तथा वित्तीय उत्पादों के वितरण के गैर-पारंपरिक प्रकार, छोटे बचतकर्ताओं और उधारकर्ताओं के साथ व्यवहार करने में लेनदेन की लागतों को कम करने के लिए आगे और अवसर प्रदान करते हैं। इस प्रकार पर्याप्त बुनियादी संरचना के अभाव, उच्चतर लेनदेन लागतों और लेनदेनों के कम परिमाण जैसी कमियों को दूर करके वित्तीय समावेशन की व्याप्ति और विस्तार में वृद्धि करने की चुनौती है।

7.162 संस्थागत विकास के दृष्टिकोण से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों, जिनकी स्थापना बैंक-सुविधारित क्षेत्रों/खंडों में वित्तीय सेवाओं के वितरण को विस्तृत करने के लिए की गई थी, की भूमिका में उनकी कमजोर वित्तीय स्थिति के कारण गतिरोध उत्पन्न हुआ। उन्हें मजबूत बनाने के लिए हाल में की गई पहलों के चलते यह अनुमान है कि वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में वे एक बृहत्तर भूमिका का निर्वाह करेंगे। विशेष रूप से ग्रामीण ऋण वितरण प्रणाली में साहूकारों के महत्व को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों द्वारा धनराशि उधार देने से संबंधित आदर्श (मॉडल) कानून के त्वरित कार्यान्वयन की भी आवश्यकता है।

7.163 धारणीय वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया अनेक उपादानों पर निर्भर है। ऋणों की चुकौती की संभावनाओं को सुधारने में ऋण संबंधी परामर्श एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। यद्यपि भारत में ऋण संबंधी परामर्श उपलब्ध कराने के लिए एक शुरुआत की जा चुकी है, तथापि इस दिशा में प्रयासों को और बढ़ाने की आवश्यकता है। मूलभूत बुनियादी संरचना को मजबूत बनाकर एक समर्थक वातावरण निर्मित करते हुए सरकार वित्तीय सेवाओं की अवशोषण क्षमता में सुधार लाने में सहायता कर सकती है। स्वास्थ्य, जल और स्वच्छता एवं शिक्षा जैसे मानवीय विकास में निवेश भी उधारकर्ताओं की ऋण अवशोषण क्षमता को सुधारेगा। इसके अलावा, विशेष रूप से समाज के कमजोर और निर्धन वर्गों द्वारा विभिन्न वित्तीय सेवाओं के उपयोग को सुधारने में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किये जानेवाले प्रयासों के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं।

अनुबंध VII.1 : एनएसएसओ सर्वेक्षण में प्रयुक्त विभिन्न प्रकार के व्यय की परिभाषाएँ

- (i) **कृषि व्यवसाय** : कृषि व्यवसाय के अंतर्गत बागान और उद्यान की फसलों की खेती सहित खेती जैसे घरेलू आर्थिक कार्यकलाप, तथा खेत पर उत्पाद का प्रसंस्करण, उदा. धान का छिलका निकालना (पैडी हलिंग) और गुड़ बनाना शामिल हैं। यद्यपि गुड़ बनाना एक विनिर्माण की गतिविधि है, तथापि इसे कृषि व्यवसाय के अंतर्गत केवल तभी सम्मिलित किया गया जब यह खेत में देशी पद्धति से किया गया।
- (ii) **कृषीतर व्यवसाय** : कृषीतर व्यवसाय की परिभाषा कृषि व्यवसाय में सम्मिलित कार्यकलापों को छोड़कर अन्य सभी घरेलू आर्थिक कार्यकलापों के रूप में दी गई। इसके अंतर्गत विनिर्माण, खनन और उत्खनन, व्यापार, होटल और रेस्तरां, परिवहन, निर्माण, मरम्मत और अन्य सेवाएँ शामिल हैं। इस सर्वेक्षण के प्रयोजन के लिए कृषीतर व्यवसाय के अंतर्गत ऐसी गतिविधियों को शामिल नहीं किया जाएगा जब वे घरेलू से इतर उद्यमों में की जाती हैं। फैक्टरीयाँ अधिनियम, 1948 की धारा 2एम(i) अथवा 2एम(ii) और धारा 85 के अंतर्गत पंजीकृत कृषीतर व्यवसाय उद्यम एवं बीड़ी और सिगार कामगार (रोजगार की स्थिति) अधिनियम, 1966 के अंतर्गत पंजीकृत बीड़ी और सिगार विनिर्माण प्रतिष्ठान उक्त सर्वेक्षण के दायरे से बाहर रखे गये।
- (iii) **कृषि व्यवसाय में पूँजीगत व्यय** : कृषि व्यवसाय में खरीद, स्वयं के निर्माण, बड़ी मरम्मतों, मेंड़-निर्माण (बंडिंग) एवं भूमि-उद्धार, परिवर्तन तथा भवनों के सुधार और अन्य निर्माणों सहित अन्य भूमि सुधार के कारण किया गया व्यय कृषि व्यवसाय में पूँजीगत व्यय है।
- (iv) **कृषि व्यवसाय में चालू व्यय** : इसके अंतर्गत कृषि व्यवसाय में बीज, खाद, चारे की खरीदी, मजदूरी के भुगतान, किराया, भू-राजस्व आदि तथा भवनों की सामान्य मरम्मत और रखरखाव, निर्माण, परिवहन उपस्कर सहित मशीनरी और कृषि व्यवसाय के लिए अपेक्षित उपस्कर, फर्नीचर और फिक्स्चर एवं घरेलू टिकाऊ वस्तुओं की खरीद के लिए चालू व्यय को शामिल किया गया।
- (v) **कृषीतर व्यवसाय में पूँजीगत व्यय** : इसमें भवनों की खरीद, स्वयं के निर्माण, परिवर्धन, परिवर्तन, बड़ी मरम्मत और सुधार, अन्य निर्माण तथा परिवहन उपस्कर सहित मशीनरी और उपस्कर, फर्नीचर और फिक्स्चर के कारण कृषीतर व्यवसाय में किया गया व्यय शामिल है। कृषीतर व्यवसाय संबंधित भूमि-उद्धार सहित मेंड़-निर्माण (बंडिंग) और अन्य भूमि-सुधार को भी इसमें सम्मिलित किया गया।
- (vi) **कृषीतर व्यवसाय में चालू व्यय** : इसके अंतर्गत कच्चे माल, ईंधन और लुब्रिकेंट, किराये के भुगतान, वेतन और मजदूरी, मशीनरी और उपस्कर आदि के किराये के प्रभार आदि तथा भवनों की सामान्य मरम्मत और रखरखाव, निर्माण, परिवहन उपस्कर सहित मशीनरी और उपस्कर, फर्नीचर और फिक्स्चर एवं कृषीतर व्यवसाय के लिए अपेक्षित घरेलू टिकाऊ वस्तुओं के लिए कृषीतर व्यवसाय में किया गया चालू व्यय शामिल है।
- (vii) **घरेलू व्यय** : आवासीय भूखंड की खरीद, आवासीय प्रयोजनों के लिए भवन की खरीद, निर्माण, परिवर्धन/परिवर्तन, टिकाऊ घरेलू आस्तियों, वस्त्रों आदि की खरीद के कारण किया गया व्यय तथा डाक्टरी चिकित्सा, शिक्षा, विवाह, समारोह आदि के लिए किया गया व्यय घरेलू व्यय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया।